THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, the 28th September, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock

[*Mr. Speaker in the Chair*]

Statement on Train accident near Jangaon

مسٹر اسپیکر :- کل رات ریلوے کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس کا مجھے افسوس ہے ۔ میں آنریبل ہوم منسٹر سے خواہش کرونگا کہ اس بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں ہاؤس کے علم میں لائیں ۔

The Minister for Home, Law and Rehabilitation (*Shri D.G. Bindu*) : I wish to bring to the notice of the House a very unfortunate accident that took place last night. The 319-Down Express Train which left Secunderabad at 8-30 p.m. last night met with an accident at mile No. 174/175 at about 10-30- P.M. three miles away from Jangaon between Jangaon and Raghunathpalli Railway Stations. It has been reported that owing to continuous and heavy rains the bridge over a stream on which the train was passing gave way suddenly resulting in complete derailment of the train. Latest reports indicate that two bogies have flown away in the stream ;while two are on the line and one is lodged in the stream at the bridge. The Guard and a T. T. I., are reported missing. The scene of accident is situated 20 miles from Hanamkonda towards Hyderabad. The exact number of casualties is not known and efforts are being made to collect the same. So far 20 deaths have been reported. Salvage work is in progress.

The Railway authorities informed the Deputy Inspector-General of Police/Railways, the Road Transport Superintendent and the Director of Medical and Public Health Services at about 1 a.m. last night. On receipt of information the Road Transport Superintendent immediately instructed the R.T.D. Depot at Kazipet to rush as many buses as were available with medical assistance. Two buses were kept at Secunderabad Station to take men to the scene of accident. Till this morning four buses have left and if more buses are required, they will be sent.

As soon as the Director of Medical & Public Health Services was informed of the tragedy he despatched:

7 Medical Officers;

4 Senior Students of the Osmania Medical College;
10 Ward Boys;

4 Nurses;

1 Male Nurse;

4 Dayas; and

2 ambulances with Dr. Daver, Assistant Director. The Director Medical Services, Dr. Khatri and Dr. Jathar also left for the place in the early hours of this morning. It has also been reported that the Indian Medical Association too have provided adequate medical assistance.

The Collector and D.S.P. Warangal with first aid equipment, petromaxes and with necessary force, the Deputy Superintendent of Police, Jangaon and the Deputy Superintendent of Police, Railways reached the spot almost immediately after they came to know about the accident—at about midnight.

The D.I.G., C.I.D. & Rlys. also left for the scene of accident early this morning. The Inspector-General of Police left by about 9 a.m. and is now there.

One H.S.R.P. Platoon consisting of 25 men, 30 men of the Railway Police and 8 officers have left Hyderabad this morning for the scene of accident.

The Railway authorities sent a special train at about 3.30 a.m. this morning but the train could not reach the place of accident as the track beyond Bibinagar is reported to have been breached between Bibinagar and Jangaon. This arrangement was of no use. The special has been held up at Bibinagar.

Sufficient men from the District force have been deputed down the stream as a number of bodies are reported to have been carried away by the strong current. All Station Houses have been alerted to collect bodies when they come down the stream. Adequate arrangements have been made for salvage operations. Precautions have been taken to keep the crowd away so as to quicken the salvage work.

The Chief Minister and the Revenue Minister have left for the scene of accident at about 11-30 a.m. today.

The accident is a very serious one and involves heavy loss of life.

مسٹر اسپیکر :- جو اکسیڈنٹ ہوا میں نے سنا ہے کہ ۲۰ آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور نہیں معلوم کہ کتنے ہیں - ہم اس سانحہ کے لئے دو منٹ تک سائلنس آبزرو (Silence observe) کرینگے -

(All the Members stood in silence for two minutes)

شری جے - بی - متیال راؤ (سکندرآباد - محفوظ) :- اسپیکر سر - اکسیڈنٹ کی اطلاع ملنے پر سکندرآباد کے ۳۶ والنٹیرس مقام حادثہ پر جانے کے لئے تیار ہوئے - میں نے اونکی طرف سے ہوم منسٹر صاحب کے پاس اپروچھ (Approach) کیا تو انہوں نے ایک بس دی جس سے والنٹیرس مقام حادثہ پر چلے گئے ہیں - میں ہوم منسٹر کا والنٹیرس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں -

**Shri. V. D. Deshpande* (Ippaguda): Mr. Speaker, Sir. On behalf of the Opposition, I wish to join in the condolences to the people involved in this accident. Some of our M.L.As. belonging to those constituencies, Shri Syed Akthar Hussain and Shri Gopalrao have left for the place and if there is need of any help being rendered in this regard, I assure the Government that our services are at their disposal. I hope at least those who are injured will be getting adequate relief in time and every thing will be done in that respect.

L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker : Now we shall take up the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

The Minister for Finance, Statistics, Customs, Commerce, & Industries (Shri. V. K. Koratkar) I beg to introduce L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954.

Mr. Speaker : The Bill is introduced.

Shri. V. K. Koratkar : I beg to move :

"That L.A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time".

Mr. Speaker : Motion moved.

श्री. वि. के. कोरटकर :—अिसके बारे में मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कल हमने जो सप्लिमेंट्री डिमांड्स मंजूर किये हे अुनको ही अेक जगह लाकर यहां बिल के शकल में पेश किया गया है। आशा है कि अिसको आप मंजूर कर लेंगे। आपकी मंजूरी के लिये ही सिर्फ अुन्हे अेक जगह लाया गया है और यह बिल पेश किया गया है।

* *Shri. V. D. Deshpande :* Mr. Speaker, Sir. At the time of the First reading of this Bill, I have to say a few words.

Firstly, this introduction of the Bill consequent on granting of Supplementary Demands shows the infancy and the inefficiency through which our Finance Department is going. I am not prepared so accept for a minute that most of the items could not have been anticipated and provided for in the last budget. At this time, of course, as we have granted the demands, there is not much in the way of opposing the Appropriation Bill as such but I have to point out to the Government that such practices do not augur well for the efficiency of the Department, and in future at least, I hope, every effort will be made not to make the House consider these demands after the Budget Session.

Secondly, Sir, as regards the various views expressed at the time of granting these Demands, I am left with a feeling that the Government of Hyderabad has learned nothing and forgotten nothing in their policies. We were expecting when we were discussing the Land Commission and the Jagirdars Debt Settlement Board that the Government will have at least the frankness to accept the wastage that they have incurred. But we find the hon. Minister for Revenue, instead of accepting frankly that certain expenditure was being met on certain Departments or certain Boards which was not necessary in the situation as the ordinary Judicial machinery was adequate for that purpose also, went on pleading their case. We feel that certain unnecessary expenditure was being incurred just to appease certain personalities in the ruling party. This aspect was not accepted by the hon. Revenue Minister. We strongly feel that this practice of the Government of dividing fishes and loaves does not help to build up democracy in Hyderabad. Howsoever he may satisfy that the consolidation of the Congress party is in the interests of the Congress party, we, Members on this side, cannot accept such expenditure being incurred. It is an expenditure not warranted by the situation.

Coming next to the expenditure on cars, though the House has granted the Demand relating thereto, we so feel that there was no necessity for the purchase of new cars within two years of the Government coming into power. If it is a question of reducing the petrol consumption we had already granted certain amount towards petrol expenses; and there is no need for incurring this expenditure now.

Turning to the Police Department and the Demands connected thereto which have been granted by the House, I have a feeling once more to place before the House that the attitude of the Police Department and the Home Ministry has not changed and is not in keeping with the best democratic traditions that we have to develop in the State of Hyderabad. The enforcement of Section 144 orders and the various measures taken by the Home Ministry were not I think, necessary in the situations and were aimed at suppressing the movements of the peasants, workers and the middle classes. In today's paper it has come how the Nagpur High Court has passed strictures against the Government there for having enforced Section 144 orders to ban processions of workers there. In Hyderabad also, if we go to the High Court I have no doubt left in my mind that it would not justify the enforcement of Section 144 order in the whole of the District of Nalgonda for some time and later on for two months in the town of Nalgonda and also in the cities of Hyderabad and Secunderabad. These measures were not justified in the situation and were in contravention of the right of movement and association guaranteed by the Constitution. The Home Ministry should take a lesson from the strictures passed by the Nagpur High Court before enforcing Section 144 in future to suppress the movement, and it should think ten times before resoting to such measures. I would also like to point out that the attitude of the Home Ministry towards the Police Officials continues to be the same of screening them and giving them support and passing adverse comments against the criticism of the opposition. In saner moments and in moments of wisdom the hon. Home Minister has accepted that there are certain difficulties and he too is facing them; but instead of appreciating the stand of the House, he has been condoning the atrocities and misbehaviour of his officials. I should like to point out to the Home Minister that the Opposition during the last two years has been trying to keep up to the democratic traditions. I am afraid instead of appreciating it as a better development, perhaps it is being taken by the Home Minister as a sign of

weakness. I would like to point out to him that the people's movement in Hyderabad is growing in strength every day and if we are adjusting with situation, let not the Government feel that it is a sign of weakness. It is a sign of all of us trying to let the democratic methods solve our problems. It will be good for the Government and it will help the situation if the Government realise this aspect and try to enforce law and order in such a way as not to contravene the civil liberties guaranteed by our Constitution.

Coming to other matters–labour, commerce and industries, I have to say that the Government of Hyderabad in its labour ministry has failed to do justice to the drainage workers, to the road workers, to the textile workers and in general to the working classes in Hyderabad. The closures and the cuts that the workers have been facing every day have not been compensated for and in Hyderabad closures and other atrocities are going on. Take the case of N.G.Os. The matter was discussed in this House. I wish to point out to the Government that problem is a very urgent one and needs the attention of the Government forthwith.

These are few of the remarks which I wanted to place before the House while speaking on the First Reading of the Appropriation Bill. This is not the time to go into details and I realise that. Therefore, without going much into the details, I will, in a few words, conclude my remarks.

Coming to the Education Department, yesterday we had a chance to discuss those matters and I have only to request the hon. Minister for Education that the Government have to evolve a policy of regionwise development in Hyderabad State. I wish again to say with emphasis that in Hyderabad if we want to develop various regional languages and if we want to provide education cheap, it is absolutely necessary that the development of education in Hyderabad should be regionwise in Telangana, Marathwada and Karnataka; and it is only then that it will be possible for us to cater to the needs of the people and give to the common man education cheaply. I think this matter will be taken into consideration by the Government of Hyderabad.

These are the few matters which I wish to put before the House and I hope the hon. Ministers concerned will think

over these matters, and at least in future before taking recourse to the contingency fund they will see whether it is absolutely necessary to spend from the contingency fund and while preparing the budget for the next year all the items which are likely to come in the future will be anticipated and duly included therein. I hope the amounts will not be spent unless the House has been given a chance to discuss over the items and grant them if only they are proper.

श्री. वि. के. कोरटकर :—अध्यक्ष महोदय, अिस अप्रोप्रियेशन बिल के पहली पढत के दौरान में बहुतसी चीजें कही गअीं, जो कि आम तौर से कटौती प्रस्ताव के समय कल और परसों कही जा चुकी थीं। अुन तमाम के बारे में संबंधित मंत्रियों ने, जब अुनकी मांगे आयी थीं तब तफसीली जवाब दिया है। अब रह गया फायनान्स डिपार्टमेंट। अुसकी अयोग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह कहा गया कि वित्त विभाग ने पहलेसे सोंच कर धन की तजवीज करके क्यों नहीं रखी जो कि पूरक मांगे रखने की जरूरत हो रही है। अभी जो पूरक मांगे हाअुस के सामने आयी हैं अुनके बारे में मैं अितना ही कह सकता हूं कि यह कोअी नअी चीज नहीं है। दूसरे स्टेट में भी अिस तरह से पूरक मांगे सभा के सामने आती हैं। अितनाही नहीं बल्कि बाहर के मुमालिकों में भी अिस तरह से सप्लिमेंट्री ग्रॅन्ट्स हाअुस के सामने रखे जाते हैं। अगर ६ महीने में कोअी नयी चीज नहीं की गअी तो आप ही कहेंगे कि अिन छ: महीनों में न आप कुछ नयी चीज सीखे और न कुछ पुरानी चीजें भूले। और यदि कुछ नयी चीजें की गयीं तो आप ही कहते हैं कि बार बार नयी मांगें क्यों लेकर आते हैं ? साल भर में क्या खर्चा होता है अिसका पूरा अंदाज तो पहले किया जा सकता है। परंतु जब नयी चीजें की जाती हैं तो अुसके लिये सप्लीमेंटरी ग्रॅन्ट्स हाअुस के सामने मंजूरी के लिये रखनी ही पडती हैं। यह कोअी अचरज की बात नही है। सभी सरकारों को अिस तरह से पूरक मांगे रखनी पडती हैं।

अेक बडा आक्षेप यह किया जाता है कि हमने यानी (विरोधी दल ने) अितनी नयी नयी चीजें बताअीं लेकिन गव्हर्नमेंट ने तो कोअी नयी चीज नहीं सीखी और न पुरानी कोअी चीजें भुलादी। अिसके लिये तो मैं अपने को क्रेडिट (Credit) लेना चाहता हूं कि जो चीजें अव्वाम के फायदे की नहीं, और आप हमें सिखाना चाहते थे, अुनमें से कोअी चीज हम नहीं सीखे और हमें जिन चीजों को भूलने की जरूरत नहीं थी वह हम नहीं भूले। यह तो अच्छी ही बात हमारे लिये हुअी अिससे बढकर मैं अिस आक्षेप का कुछ जवाब नहीं देना चाहता।

अिसके बाद मोटर गाडियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह सही हो सकता है कि जो गाडियां अभी निकाली गयीं, वह और दो साल चल भी जातीं। लेकिन हमने यह देखा कि वह अितनी पुरानी होगयी थीं कि अुनपर मरम्मत का ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। वह खर्च हमें ज्यादा मालूम होता था। अिस लिये हमें अुन्हें निकालना पडा। दो साल पहले निकाली गयीं और दो साल बाद क्यों नहीं निकाली गयीं, यह कोअी बडा आक्षेप नहीं हो सकता है। यह कहा गया कि पेट्रोल तो आपके ही जेब से जा रहा था, अुसमें सरकार का क्या नुकसान है ? यह शायद सही हो, लेकिन हमने देखा की अुनपर मरम्मत का जो खर्चा आता था वह बहुत ज्यादा

होता था। अिस लिये हमने अुन्हें निकालना मुनासिब समझा। अुसमें हमारा भी थोडा फायदा हुआ और गव्हर्नमेंट का भी फायदा हुआ।

पुलिस की हदतक भी अेतराज किया गया कि १४४ दफा क्यों लगाया गया? मैं अुसके बारे में अितनाही कह सकता हूं कि जब जरूरत होती है तब १४४ दफा लगाया जाता है।

दफा १४४ कब लगाया जाय अिसके लिये भी अेक जाप्ता मौजूद है, और अुसके लिये भी कुछ शरायत कानून में हैं। अुसके तहत ही अिस दफे का निफाज किया जाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रोसेशन्स लाये जाते हैं वे असेंब्ली के सामने ही जाने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने प्रोसेशन्स मंत्रियों के घर तक ले जाते हैं तो बात अलग है। आप यदि अैसा कहते हैं कि हम अपने प्रोसेशन्स असेंब्ली हॉल तक नहीं लायेंगे बल्कि सिर्फ मंत्रियों के घर तक ही ले जायेंगे, तो फिर कुछ समझौता हो सकता है। असेंब्ली का वह हक है कि यह किसी के दबाव में न आये, और स्वतंत्रता से अपना काम करे। अुस अधिकार की रक्षा करना गव्हर्नमेंट का काम होता है। असेंब्ली में बिलकुल स्वतंत्रता पूर्वक काम होना चाहिये। अिसके पहले भी मैंने बताया था कि अिस तरह से असेंब्ली तक प्रोसेशन्स लाना मुनासिब नहीं है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—दफा १४४ का संबंध सिर्फ असेंब्ली से नहीं है, बल्कि पूरे नलगोंडा जिले में अिस तरह दफा १४४ नाफिज किया गया था, और कुछ स्थानों में तो दो महीने तक अिसें रखा गया था। और हैदराबाद स्टेट के अंदर १० मुकामात पर अभी अभी दफा १४४ लगाया गया था।

श्री. वि. के. कोरटकर :—वह जहां भी लगाया गया हो वह प्रोसेशन के बारे में ही लगाया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वे मिनिस्टर फॉर रेव्हिन्यू के बंगले पर जानेवाले थे।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अगर अैसा होता तो अिसकी जरूरत न होती।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अगर आप अिसके बारे में मिनिस्टर साहब को मश्विरा देते तो ठीक होता।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अभी तो मैंने मश्विरा दिया है।

अेन. जी. ओज के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। अिसके बारे में जब असाधारण प्रश्न आया था, और फिर जब गैर सरकारी प्रस्ताव पर बहसें हुअीं थीं तब ही मैंने कह दिया था कि जहां-तक अेन. जी. ओज का ताल्लुक है मैंने अुनसे बातचीत करने के लिये रजामंदी व्यक्त की है। और मैं अुनसे बातचीत करनेवाला हूं। मैंने अुन्हें तारीख ७ को मिलने का वक्त भी दे दिया है। अुस समय में अुनका क्या कहना है वह सुनुंगा, और जो अुनकी मांगे मानने लायक होंगी अुन्हें जरूर माना जायेगा। और जो नहीं मानी जा सकेंगी अुन्हें नहीं माना जायेगा। आपका यह रेजोल्यूशन

न आता तो शायद अिसके पहले भी में अुनसे मिलता। लेकिन अिसके दरम्यान अब मिलना ठीक नही था क्यों कि अगर मं अुनसे अभी मिलता तो अुनसे यह कहा जाता कि हमने यह प्रस्ताव लाया है अिस लिये मिनिस्टर साहब से आपका मिलना हो सका। लेकिन आप रेजोल्यूशन नहीं लाते तो भी अुसके पहले ही मैंने अुनसे मिलने का तय कर लिया था। आपके रेजोल्यूशन से तो कुछ ज्यादा देरी होगयी। अिसके अलावा अब और कुछ अेतराज नहीं है। अिस लिये मं प्रार्थना करता हूं कि अिन मांगों को मान लिया जाय, और यह जो अप्रोप्रियेशन बिल आपके सामने रखा है, अुसे स्वीकार कर लिया जाय।

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a first time".

The motion was adopted.

Shri V. K. Koratkar: Sir, I beg to move:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time".

Mr. Speaker: The question is:

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a second time".

The motion was adopted.

Clause 2

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clause 3, along with the Schedule, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 3 along with the Sehedule, was added to the Bill.

Mr. Speaker : The question is :

" That the Preamble, Short Title and Commencement stand part of the Bill ".

The motion was adopted.

The Preamble, Short Title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar : I beg to move :

" That L.A. Bill No.XXXIX of 1954, the Hyderabad State Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed ".

Mr. Speaker : Motion moved

**Shri V. D. Deshpande :* Mr. Speaker, Sir, at the time of the third reading of the Bill I wish only to place before the House one or two problems. Yesterday I had pointed out to the hon. Home Minister that the amount of Rs.4 Lacs and odd, which was granted by the Government of India for the rehabilitation of the people in the State who had suffered before, during and after Police Action, was inadequate, and that the Government of Hyderabad also should at least give an equal amount for the rehabilitation of those people. The hon. Minister for Home said that they were things of the past and whatever relief was to be given was given and that the Government of Hyderabad was not in a position to contribute to that fund. When I referred to the incidents that took place at Gulbarga and Nizamabad, he said that this particular aspect of rehabilitation of the victims had to be looked into by the hon. Revenue Minister. I do not find the hon. Revenue Minister in the House at this moment ; but whether it concerns the Revenue Minister or the Home Minister, the matter is urgent, and just as this House was made to sit and discuss and pass the Supplementary Demands, probably this matter of the rehabilitation of the people effected in Nizamabad and Gulbarga could have been taken up by Government, and the expenditure of a further sum—whatever it might be—could have been consented to by the Rajpramukh and could have been brought up before this House in the form of Supplementary Demands on account of relief to the sufferers in Nizamabad

and Gulbarga. I feel it is a failure of the Government in their duty in not having been able to put the matter before the House and in not having asked us to grant some amount in spite of the urgency of the matter at these particular places. The hon. Home Minister just skipped over the matter by saying that the hon. Revenue Minister has to deal with it. But I wish to point out once more that the losses suffered amount to about Rs.5 lacs or more in Gulbarga and probably an equal amount in Nizamabad. The merchant communitywho suffered there needed immediate relief. The matter brookes no delay and the Government have to move quickly. It would have been much better if Supplementary Demands in this regard could have been brought up before the House.

I wish to repeat and remind the House of what I had already stated yesterday. Firstly, adequate relief has to be given to the persons effected to re-start their business. In Nizamabad, as I had pointed out, the relief given was only Rs. 250 while the loss suffered by the merchants amounted to thousands of rupees. It is not possible for them in their present plight either to re-start their business or to take delivery of the goods that are lying in the godowns or to pay the sales-tax or the profession tax unless adequate relief is immediately given. It is, therefore, necessary that Government should immediately think over the matter and give adequate relief to the merchants to re-start their business. Secondly, long-term loans are absolutely necessary. Without them, it will not be possible to rehabilitate the people. This matter has also to be looked into by the Government. Thirdly, in cases where houses have been burnt, certain materials should be provided to the victims to rebuild their houses or repair them, as the case may be. Fourthly, I wish to point out that not only the merchant community, but along with them the agricultural community also has been effected in Nizamabad, who also need taccavi and other assistance, and also remission in land revenue. This matter also has to be dealt with by the Government. Probably the Assembly may not meet in the coming few months, but in the meanwhile these urgent matters are there to which the Government should give their attention.

While speaking on the subject of rehabilitation, I learn that the hon. Home Minister has drawn up a certain scheme to see that no communal disturbances occur in future. One of

the hon. Members on this side had given notice of a short-notice question to know what that particular scheme, but probably as the Office did not find sufficient time the matter did not come up. It would have been much better if that scheme had come up before the House. I wish to point out that there are definitely proofs to show that the communal elements, whether belonging to this community or that community, are growing strong in the last few months, and if the Government does not take steps to fight this evil, it is likely that the communal elements will become stronger. In today's Siasat paper I have read that the slogan 'Godse Zindabad' was raised in a certain meeting and that the communal elements were trying to consolidate and organise themselves round this slogan. How far it is true, it is for the Government to investigate, but if we allow the communal forces to grow, then democracy in India will be doomed and whatever party is in power it will not be possible for it to solve the problems of the people. Therefore, the seriousness of the situation has to be taken note of by the Government.

Specially, I have to point out to the hon. Minister for Education that his Department, i.e., various schools, is full of communal elements, particularly those belonging to the R.S.S. When we raised this matter many a time in this House, the hon. Minister did not take as serious a notice of it as he ought to have. It is not a question of furnishing proof or producing evidence before him; it is not a question of whether the Headmaster concerned agrees as to the existence of these communal elements, it is for him and the Home Department to go deep into the matter and find out how this whole thing is enveloping the Education Department. If our boys or students are not made immune from these communal elements, we fear that the coming generation will not be able to move forward in a democratic fashion and will constitute a great danger to the working of democracy in our country. I hope the hon. Home Minister will look into it.

I also wish to point out on this occasion that not only communal but certain other elements also are trying through various means, whether in the form of missions or through other agencies, to disrupt the unity of our people and our anti-imperialist traditions, and democracy. All these various disruptive forces are at large in our country. One incident at Gulbarga or Nizamabad cannot be isolated and we have to go deep into the matter and it is our duty to see that such tenden-

cies are wiped out. This problem also, I hope, will engage the attention of the Home Minister

I conclude by expressing again the hope that the matter of rehabilitation and the giving of necessary relief to those sufferers in the incidents in Nizamabad and Gulbarga will be considered in the near future—or I should say immediately—by the Government.

شری دگمبر راؤ بندو :— مسٹر اسپیکر سر - جن دو امور کا ذکر یہاں کیا گیا ہے مناسب ہے کہ ان کے متعلق میں کچھ عرض کروں -

ایک تو ریہبیلیٹیشن (Rehabilitation) کا مسئلہ ہے - اسبارے میں کٹ موشن جب پیش کئے گئے تھے اوس وقت بھی بحث ہوچکی ہے اور میں نے اونکا جواب دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک علحدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے - سنٹرل ریہبیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اسکو چلا رہے ہیں اور ہمارے ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں چند ایسے مدات ہیں جن سے ریلیف (Relief) دیجاتی ہے - چنانچہ حال ہی میں نظام آباد اور گلبرگہ میں ان ہی مدات سے امداد بھی دی گئی ہے - ریلیف کمیٹیاں وہاں بنائی گئی ہیں - لوگوں کی ضروریات معلوم کرکے بجٹ میں پراویژن فراہم کرنے کا مطالبہ کرنے کے لئے اونکو لکھا گیا ہے - اس سے بڑھکر مجھے اسبارے میں کچھ کہنا نہیں ہے -

کچھ باتیں پولیس کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ دفعہ ۱۴۴ فلاں جگہ کیوں نافذ کیا گیا وغیرہ - یہ ایسی چیز ہے جسکی ضرورت ہے - جہاں ضرورت ہوتی ہے نافذ کیا جاتا ہے - آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا - خود آنریبل ممبرس آف دی اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ دفعہ (۱۴۴) کو قانون سے نکال ہی دینا چاہئے - کیونکہ بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ آنریبل ممبرس اپوزیشن نے خود یہ سوال کیا تھا کہ فلاں جگہ دفعہ ۱۴۴ کیوں نافذ نہیں کیا گیا - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اس دفعہ کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے - اب رہا یہ معاملہ کہ کہاں اور کن صورتوں میں یہ نافذ کیا جائے اور کن صورتوں میں نافذ نہ کیا جائے - یہ چیز عدالت کے ڈسکریشن (Discretion) پر منحصر ہے - اسکے متعلق کسی دوسرے شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اسکا فیصلہ کرے کہ کہاں نافذ ہونا چاہئے اور کہاں نہیں - عدالت کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے ہیں تو اونکا فیصلہ عدالت ہی کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرے - کوئی فریق اگر اوس فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتا ہے تو اوسکو اپیل (Appeal) کا اختیار ہے - ہوسکتا ہے کہ اپیل کے بعد عدالت تحت کا فیصلہ صحیح قرار نہ پائے - لیکن عدالت تحت کو اپنے ڈسکریشن کے استعمال کا پورا پورا حق حاصل ہے - یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ناگپور

هائیکورٹ نے ایسا حکم جاری کیا ہے - یہاں بھی ہم نے کسی کے ہاتھ نہیں پکڑلئے ہیں - عدالتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے - جائیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اوسے بسر و چشم قبول کرینگے - اگر آپ ان اصولوں کو ڈیمو کریسی (Democracy) کے خلاف سمجھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اس کے لئے ایک بل (Bill) لائیے اور اسکی منظوری حاصل کرکے اس دفعہ (۱۴۴) کو نکال دیجئے - لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جو چیز عدالتوں کی ڈسکریشن پر موقوف ہے اوس کا اختیار اسمبلی (Assembly) کو دیا جائے - ہوسکتا ہے کہ دفعہ ۱۴۴ آپکی رائے میں غلط طور پر نافذ ہوا ہو - لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی رائے میں بالکل صحیح طور پر نافذ ہوا ہو - یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے ایجیٹیشن (Agitation) کیا جائے - یا گورنمنٹ کی پالیسی پر نکتہ چینی کی جائے - بہرحال گورنمنٹ کی پالیسی وہی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں امن میں خلل واقع ہونے کا امکان نظر آئے وہاں یہ دفعہ ضرور نافذ ہونا چاہئے - کب نافذ ہونا چاہئے یہ مجسٹریٹ پر منحصر ہے یہاں گورنمنٹ کی پالیسی کا سوال نہیں ہے -

دوسری بات یہ کہی گئی کہ آر - ایس - ایس (R. S. S.) اور دوسری پارٹیز آگے بڑھ رہے ہیں - میں جانتا ہوں کہ بہت سے الیمنٹس (Elements) بڑھ رہے ہیں جنکو ہم ڈیمو کریسی کے دشمن سمجھتے ہیں - کمیونلیزم (Communalism) بھی بہت بڑھ رہا ہے - اور یہ بھی معلوم ہے کہ انکی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے - کسی کو برا ماننے کی وجہ نہیں ہے - ہم اسکی تاریخ جانتے ہیں - جنکے پاس کوئی پرنسپلس (Principles) نہیں ہیں - اون کا شیوہ یہی ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ فائدہ ہونے کی امید ہو جائے تو انہیں اپنا ساتھی بنالیتے ہیں -

"Enemy of the enemy is our friend."

یہاں تو یہ ہورہا ہے کہ کمیونل الیمنٹس (Communal elements) بڑھ رہے ہیں اور اوس وقت تک بڑھتے رہینگے جب تک کمیونل الیمنٹس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے - ایسے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں جو اسکو روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے - چاہے اس طرف کے ممبرس ہوں یا اوس طرف کے میں ضرور کہونگا کہ جو کوئی بھی اسکو روکنے کی کوشش نہیں کررہے ہیں غلطی کر رہے ہیں - جب تک صاف دلی سے آگے نہ بڑھیں یہ ضرور بڑھیگا - آر - ایس - ایس کے متعلق کہا گیا کہ اسکو روکنا چاہئے - کونسا قانون ہے جسکی رو سے آر - ایس - ایس کو ممنوع قرار دیں - جن لوگوں کی خواہش ہوگی وہ برابر اس قسم کے اعمال کرینگے اور حصہ لینگے - جو کمیونل الیمنٹس مسلمانوں میں ہیں وہ ضرور حصہ لینگے اور جو کمیونل الیمنٹس ہندوؤں میں ہیں وہ بھی حصہ لینگے - ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنکو ہم ڈیمو کریسی کے دشمن سمجھتے ہیں اون کو دبانے کے لئے قانون میں کونسی چیزیں موجود ہیں -

اس بارے میں ھاؤس کے دونوں جانب کے لوگ متفق ھونگے کہ بہت سی چیزیں ھوسکتی ھیں - میں بھی سوچ رھا ھوں لیکن کوئی ڈیفینٹ اسکیم اس وقت میرے پاس نہیں ھے جسکو پیش کرسکوں - سنا گیا کہ اسبارے میں شارٹ نوٹس کوئسچن بھی آنے والا تھا لیکن میرے پاس تو اسبارے میں کوئی نوٹس نہیں آئی - اور اگر آتا بھی تو میرا یہی جواب ھوتا کہ میں اسبارے میں سوچ رھا ھوں لیکن میرے پاس کوئی مکمل اسکیم اس بارے میں نہیں ھے - اورکوئی ایسی چیزیں نہیں ھیں جنکو ھاؤس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ھو -

* *Shri V. D. Deshpande :* My personal explanation regarding this is that my party at least does not harbour any communal elements nor, for any considerations, will it ever harbour communal elements in the future. As far as imposing certain restrictions is concerned, we had earlier demanded that communal organisations should be banned and that communal organisations should not be allowed to exist in India. Well, if under our Constitution, we cannot put certain restrictions, at least certain steps should be taken to see that the minds of our students are not contaminated by communal ideology and communal philosophy. I have specially referred to the Education Department, because in a number of schools, many of my former colleagues who were communal-minded, had now become teachers and sponsors of the movements in schools and colleges. Specially, therefore, I have suggested to the hon. Education Minister that this problem has to be looked into. Whether as Congressmen or as Communists, we are all agreed on one thing *viz.* that we are secular and that we are opposed to communalism, and it is the duty of all of us, whether we are Communists, Socialists or Congressmen, to see that communalism in India is rooted out. It is from this point of view that I urged the Government—and I still urge them—that they should pay special attention to this matter and see that communalism does not grow.

Shri Ratanlal Kotecha: Mr. Speaker, Sir....

Mr. Speaker : No discussion now ·

Shri Ratanalal Kotecha : It is not a question of discussion; I just want some clarification.

मैं अेक बात की याद दिलाना चाहता हूं। बीड में जो गये साल अिलेक्शन्स हुवे अुसमें कम्युनिस्ट और आर. अेस. अेस. जिन दोनों ने अेक फ्रन्ट बनाया था, और अुन्होंने प्रयत्न किया था कि कॉंग्रेस को डिफीट किया जाय।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैं अिसको रिफ्यूट (Refute) करता हूं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—मैं अिसको चॅलेन्ज (Challenge) करता हूं।

श्री. वि. के. कोरटकर :—मिस्टर स्पीकर सर, अिसमें जो खास खास सवालात अुठाये गय थे अुनका जवाब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दे दिया है। रीहॅबिलिटेशन (Rehabilitation) के लिये रकम दी जा रही है और अगर रकम ज्यादा हो तो हाअुस के सामने सप्लीमेंटरी डिमांड्ज के लिये फिर फेब्रवरी में हम आयेंगे। अेक सवाल आपने किया था कि पहले से ही अिसको क्यों नहीं अेन्टीसिपेट (Anticipate) करके रखा गया ? आप जानते हैं कि पहले से अॅंटीसिपेट करना मुश्किल है कि दंगा होगा और रीहॅबिलिटेशन करना होगा। अगर पहले से अॅंटीसिपेट करते तो आपही कहते कि देखिये, पहले से ही कम्यूनल दंगे अॅंटीसिपेट (Anticipate) किये जा रहे हैं। अगर अिसमें ज्यादा रकम खर्च होगी तो सप्लीमेंटरी डिमांड्स के तौर पर हुकूमत फिर से अिस हाअुस के सामने फेब्रवरी में आयेगी। मैं अुम्मीद करता हूं कि अुस वक्त आप तहदिल से वह ग्रांट मंजूर करेंगे।

'कम्युनल' की हद तक जवाब के बाद भी बार बार कहा गया है। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि सेक्युलर स्टेट (Secular State) का जो नारा है वह कॉंग्रेस का ही है। और कॉंग्रेस अिस मार्ग पर चल रही है, चलेगी और आखरी दम तक अुसमें कोअी रुकावटें आयेंगी तो अुनका मुकाबिला करती रहेगी। लेकिन अेक ही चीज मैं अपने दोस्तों से और सभी से कहना चाहता हूं कि कम्युनल, कम्युनल करके किसी अेक गिरोह को चुनकर अुसके विरुद्ध अगर न बोला जाय तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि अिसमें अेक बडा भारी मनोवैज्ञानिक गुह्य है जैसे कि मराठी में 'गोम' कहा जाता है। अगर आप बार बार बोलते गये कि आर. अेस. अेस. कम्युनल है तो अेक सोसायटी बडी खुश होती है कि "देखिये, अच्छे तडाके लगा रहा है"। अगर आप मुस्लिम लीग को कम्युनल कहते गये तो दूसरी सोसायटी खुश होती है और कहती है कि 'यह बडे अच्छे तडाके लगा रहा है,'। अच्छा यही है कि किसी को चुनकर न कहा जाय। कॉंग्रेस ने यही तरीका रखा है कि अिधर अुधर क्या हो रहा है अुसको देखने की कोअी जरूरत नहीं है। अपने सीधे रास्ते से चलते चलो और सेक्यूलर स्टेट (Secular State) के अुसूल पर चलो। अुसी पर हम आज चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अिस हद तक आपने भी वादा किया है कि आप पूरी तरह से मदद देंगे तो अुसके लिये भी कॉंग्रेस पार्टी आपकी मश्कूर रहेगी।

Shri V. D. Deshpande : I wish to clarify that we feel there are communal elements not only among Hindus, but also among Muslims and other communities as well. Wherever they are they ought to be put down and brought to justice

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXXIX of 1954, the Hyderabad Supplementary Appropriation Bill, 1954, be read a third time and passed.

The motion was adopted.

Presentation of the Report of the Committee on Petitions

Shri Pampan Gowda (Manvi) *:* I. the Chairman of the Committee on petitions present this Report to the House on the following points scrutinised by the committee on the 27th September 1954 :

The subject matter of the petition presented to the House by Shri K. Ramchandra Reddy, M.L.A. is 'Granting of pattas to the Harijans, members of the Backward Classes and poor peasants of Nalgonda District,' and is signed by 2,277 persons.

The Petition is in conformity with the Rules and the Committee decided that it be circulated *in extenso* to the Members.

Mr. Speaker : The report is presented.

L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax Tax 2nd Amendment Bill, 1954

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मिस्टर स्पीकर सर, यह सेल्स टैक्स बिल जो अभी हाऊस के सामने आया है वह अैसे मौके पर आया है जब कि न अव्वाम और न यह हाऊस अपनी ठीक ठीक राय अिस पर दे सकता है। पहली बात तो यह है कि अिस बिल के जरिये अब तक डाअी साल में जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स आये थे अुन सब से कअी गुना ज्यादा टैक्स अव्वाम पर लगाया जा रहा है। ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि अिस टैक्स के जरिये हमें तकरीबन १ करोड ५८ लाख रुपया———

श्री. वि. के. कोरटकर :—मैं जरा अिसको साफ करना चाहता हूं। जहां जहां मैंने १ करोड ५८ लाख कहा है, वहां १ करोड २८ लाख होना चाहिये। वह जरा हिसाब की गलती है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—जैसा कि अभी फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया तकरीबन १ करोड २८ लाख की रकम वे जमा कर सकते हैं। अिसके साथ वे यह भी अुम्मीद करते हैं कि सेल्स टैक्स में अिजाफा होगा। अिसके माने यह हो जाते हैं कि तकरीबन अेक रुपये फी कस हैदराबाद के लोगों पर अिसके जरिये से टैक्स का अिजाफा होनेवाला है। मैं समझता हूं कि अबतक अिस हाऊस के सामने जितने भी टैक्सेशन के बिल आये अुनमें अिस कदर बडे पैमाने पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अिस तरह से जो टैक्स लगाया जानेवाला है अुसकी शिद्दत मैं हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। अिस तरह का टैक्स लगाने के पहले अगर हुकूमत अव्वाम की और मर्चंटस की राय लेती तो बेहतर होता। मैं अिस मौके पर ऑनरेबल फ़ायनान्स मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि अिस बिल के डिसकशन को मुल्तवी कर दिया जाय और अव्वाम की राय, अव्वाम के अिदारों की राय और मर्चंटस कम्युनिटी की राय लेने के बाद अिस बिल को अगले सेशन में लाया जा सकता है या अिसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। लेकिन आज के फार्म में अिसको पास करना मैं किसी तरह से मुनासिब नहीं समझता। हुकूमते हिंद के पास अेक अैसे-

न्शियल कमोडीटीज अैक्ट है और अुसके तहत अजनासे खुर्दनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन मुझे दुःख है कि अुन्होंने यहां अिस पर भी टैक्स लगाने के लिये अिजाजत दी। फायनान्शियल अिंटीग्रेशन होने के लिये कस्टम्स और सरचार्ज को दूर करना जरूरी है तो अुसके माने यह नहीं होते कि अव्वाम पर नये टैक्सेस् लगाये जाये और अिस तरह से अजनासे खुर्दनी पर भी टैक्स लगाया जाय। अिसलिये अिसको किसी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। यह कहा जाता है कि १ करोड ७८ लाख का नुकसान हुकूमत को कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से हो रहा है तो अुसके बारे में क्या किया जाय? फायनान्शियल अिंटीग्रेशन की वजह से हमें अिन मुश्किलात का सामना करना पड रहा है अिसलिये मैं कहूंगा कि जब तक हमारे पास अिस नुकसान की भरपाअी करने के लिये दूसरे जराये नहीं हैं तब तक हुकूमते हिंद का फर्ज हो जाता है कि वह हमारी ग्रांट बढाये। चाहे राजस्तान हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे हैदराबाद हो, अेक जमाना था जब कि कस्टम्स और सरचार्ज अुनके फायनान्स का अेक बडा जुज रहा है। जब हुकूमते हिंद मांग करती है कि ये कस्टम और सरचार्ज न हों तो अुसका फर्ज होता है कि अिनके निकालने की वजह से हमारा जो नुकसान होता है अुसकी भरपाअी के लिये वह हमारी मदद करे। लेकिन अैसा न करते हुअे अगर वह अेसेन्शियल कमोडीटीज पर टैक्स लगाने की अिजाजत देती है तो यह बात अिन्सानियत पर मबनी नहीं है। ज्यादा तर स्टेट्स अैसे हैं जहां पर अेसेन्शियल कमोडीटीज पर अिस तरह से टैक्स नहीं लगाया गया है। सिर्फ मद्रास और हैदराबाद जैसे कुछ मुकामात पिर यह लगाया जाता है तो वह कोअी हिसाब पर मबनी नहीं है। अिसकी वजह से अव्वाम के लये जो मुसीबत पैदा होती है वह किसी तरह से हुकूमते हैदराबाद की अिमदाद के बाअस नहीं होगी बल्कि अव्वाम में अिससे अेक तरह की बेचैनी पैदा होगी। हमने खास तौर से चीजों की अेक्जेम्टेड लिस्ट को देखा। अुसमें यह फर्क नहीं किया गया है कि अव्वाम की जो मेन गिजा है जैसे चावल, जवार, जिन पर यहां की अव्वाम गुजारा करती है अुनको अिस लिस्ट से अेक्जेम्प्ट नहीं किया गया है। बल्कि अेक तरह से हर तरह की जरूरी अनाज पर टैक्स लगाया गया है और अिसका अिन्सीडन्स हर शख्स पर डायरेक्ट पडनेवाला है। कहा जा रहा है कि अिनकम टैक्स की तरह यह अिन्डायरेक्ट टैक्स होगा और अनाज मार्केट में आने के बाद वहां पर टैक्स लगेगा। लेकिन अैसी बात नहीं है। चावल की मिसाल लीजिये। चावल की पैडी पर टैक्स लगेगा। चावल तैयार होने के बाद अुस पर भी लगेगा, चावल से जो चीजें होटलों में बनाअी जायेंगी अुन पर भी टैक्स लगेगा और चावल के आटे पर भी टैक्स लगेगा। ग्रेन मर्चंटस असोसिअेशन के खाजन और कॉंग्रेस के अेक मेंबर श्री कोटूरसत्तैय्या गुप्ताने साफ कहा है कि चावल पर छः पार्टिस पर टैक्स लगनेवाला है। यानी तीन पाअी के हिसाब से १८ पाअी तक चावल पर टैक्स आयद होगा अिसी तरह से गेहूं और जवार का हाल है। अिसलिये जो पूरे अनाज पर टैक्स आयद किया गया है वह किसी तरह से मुन्सफाना नहीं है। अिस हद तक तो हुकूमत को गौर करना चाहिये और हम समझते हैं कि अिस बिल की मुखालिफत करने के सिवा दूसरा कोअी रास्ता हमारे सामने बाकी नहीं है। मुतवस्सत तबके पर अिसका क्या असर होगा अिसके बारे में जब हम सोंचते हैं तो मालूम होता है कि कस्टम और सरचार्ज निकल जाने की वजह से आम तौर पर ज्यादा चीजें हैदराबाद के बाहर जायेंगी। नतीजतन यहां की चीजों की कीमतें बढेंगी और मुतवस्सत और मजदूर तबके को अुन चीजों को ज्यादा कीमत पर खरीदना पडेगा। अिसके साथ साथ सेल्स टैक्स भी आयद

हो जाता है और अुसकी वजह से काफी नुकसान हमें भुगतना पडेगा। अिस वजह से यह बिल मुन्सफाना नहीं है और हुकूमत को अिस बिल के रीडिंग को मुल्तवी करना चाहिये। अगर फिर भी हुकूमत को यह टैक्स लगाना ही है तो अव्वाम की जो मेन गिजा है अुसको हटाकर बाकी चीजों पर टैक्स लगाने के बारे में सोंचा जा सकता है। लेकिन जो टैक्स पूरे अजनास पर लगाया जा रहा है वह मुन्सफाना नहीं है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हम कोअी नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो टैक्स सिर्फ अेक तबके पर जोकि अेक्सपोर्टर्स थ अुनपर और खास कर जो बॉर्डर जिलों में थे अुन पर पडता था अुसी को हम तमाम अव्वाम पर रायज कर रहे हैं अैसा अुनका कहना है। लेकिन यह भुलाया जा रहा है कि जो लोग बाहर अनाज भेजते थे वे बडे पैमाने पर बाहर से फायदा अुठाते थे और अिसलिये अगर कुछ सरचार्ज या कस्टम अुनको देना पडता था तो वह राजीखुशी से दे सकते थे क्योंकि जब कोअी व्यापार प्रोफिटेबल है अैसा अुनको लगता था अुसी वक्त वे माल अेक्सपोर्ट करते थे। अिसलिये जो टैक्स लगाया गया था वह अुनको अितना ज्यादा महसूस नहीं होता था। लेकिन आज हर शख्स जब बाजार में जाकर कोअी चीज खरीदता है तो अुसको सेल्स टैक्स देना पडता है। अिसमें प्राफिट का सवाल नहीं है। हर शक्स को टैक्स देना पडेगा। अिसलिये यह जो दलील हाअुस के सामने रखी गअी थी कि मुन्सफाना तौर पर हमने अिसको बांटा है तो अैसी कोअी बात आपने नहीं की है बल्कि अेक तरह बाहर चीजें भेजनेवाले व्यापारियों की आपने अिमदाद की है क्योंकि आज ये व्यापारी बाहर की काम्पीटीशन में यहां से ज्यादा माल भेज सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं और आपने मामूली अव्वाम का जेब काटा है और अेक्सपोर्ट करनेवाले व्यापारियों को आपने रिलीफ दिया है। मामूली अव्वाम के जेब काट देते हुअे अुनको रिलीफ दिया जाता है तो यह मुन्सफाना पालिसी नहीं है।

आप की यह जो टॅक्स आयद करने की पॉलिसी है वह कोअी मुन्सफाना पॉलिसी नहीं है। अिससे तो आम लोगों का ही नुकसान हो रहा है। अिस लिये अिस तरह के टॅक्स को आयद करना ठीक नहीं है।

दूसरी चीज मैं फायनान्स मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि आम तौर पर बाजार में जो अनाज आता है अुसपर टॅक्स लगाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। जब अिस तरह का अेक बिल अिसके पहले हाअुस के सामने आया था तब कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने काफी जोर से अुस बिल की मुखालिफत की थी। सरचार्ज की भी मुखालिफत की गअी थी। और अुस मुखालिफत के कारण अुस समय सरकार को वह बिल मुल्तवी रखना पडा था। लेकिन आज जब हमारे सामने अुसी किसम का अेक बिल आया है जिसके नतायज अुससे भी खराब होनेवाले हैं तब अैसी हालत में कॉंग्रेस के लोग चुप कैसे बैठ रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे बडा अफसोस होता है कि जब अिस तरह का बिल यहां पर लाया जाता है जिसका असर तमाम गरीब अव्वाम पर पडनेवाला है तो आप चुप बैठ रहे हैं और अेक और टॅक्स आप अव्वाम पर लाद रहे हैं। आप अेक छोटी चीज की मुखालिफत करते हैं और आज अितना बडा अेक टॅक्स आयद होने के बाद अुसके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। अिसके सिलसिले में मैं अपील करना चाहता हूं कि यह अेक बहुत अहम मसला है और अिस पर बहुत संजीदगी के साथ सोंचने की जरूरत है। अिस तरह

से आप जो टॅक्स आयद करने जा रहे हैं अुसका असर हर आदमी पर पडनेवाला है। और मेरा ख्याल है कि हर आदमी के पीछे अेक रुपये का भार अिससे पडनेवाला है। अेक रुपये के अिजाफे का यह सवाल है। अिसका जो अिनसिड्न्स पडनेवाला है वह हर आदमी पर पडनेवाला है। अिसके बारे में सोचा जाना चाहिये। और अेक चीज पर गौर किया जाना जरूरी है।

सिंगल पॉअिंट सेल्स टॅक्स पर गौर किया जाना जरूरी है। यह कहा गया कि अिन चीजों पर जो टॅक्स होगा वह अेक या दो मर्तबा होगा लेकिन अैसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि पॅडी, राअिस, आटा, अिन सब पर टॅक्स लगनेवाला है। यानी अितने मर्तबा वह टॅक्स लगनेवाला है। अिस लिये यह जो टॅक्स लिया जायेगा वही सही है अैसा सोंचना ठीक नहीं हैं। और यह टॅक्स अेक या दो मर्तबा ही लिया जायेगा अैसा तसव्वूर रखना भी मुनासिब न होगा। जब टॅक्स के बारे में पहली मर्तबा सोंचा जा रहा था तभी हमने कहा था कि सिंगल पॉअिंट सेल्स टॅक्स रखना चाहिये और आज भी मरचन्ट असोसियेशन की तरफ से यह सजेस्ट किया गया है कि सिंगल पॉअिंट के बारे में सोंचा जाय तो मुनासिब होगा। आपने मॅच बॉक्स पर सिंगल पॉअिंट सेल्स टॅक्स किया, लेकिन केरोसिन पर नहीं किया अिसकी क्या वजह है यह मेरी समझ में नहीं आयी। अुस वक्त यह कहा गया कि मॅचेस छोटे छोटे दुकानों में ज्यादा तर बेची जाती हैं और आम अिस्तेमाल की चीज है। अुसके टॅक्स को कलेक्ट करने में सुविधा हो अिस लिये अिसे सिंगल पॉअिंट किया गया है अैसा कहा जाता है। मैं कहता हूं कि आपने केरोसिन पर भी सिंगल पॉअिंट सेल्स टॅक्स क्यों नहीं लगाया? वह भी अेक अैसी चीज है कि जिसे आम लोग अिस्तेमाल करते हैं। केरोसिन भी अेक अैसी चीज है जो हर स्थान से नहीं मिलती बल्कि अुसके बेचने के लिये भी अेक ही स्थान होता है। वह भी अेक कंपनी से हिंदुस्थान भर में बेचा जाता है तो अिसको सिंगल पॉअिंट क्यों नही किया गया? अिस लिये अिन तमाम चीजों को सोंचने की जरूरत है। अिसके तमाम अॅसपेक्ट पर सोंच कर अिस टॅक्स की जो पॉलिसी आज की है अुसे रिव्हाअिज करने की जरूरत है। और अुसे सिंगल पॉअिंट पर लाने की जरूरत है। अिस लिये मेरा पहला सजेशन है कि अिस बिल को ड्राप (Drop) ही किया जाय तो मुनासिब होगा। और अगर ड्राप नहीं किया जा सकता है तो कम से कम अुसे अिस सेशन में नहीं लाना चाहिये। जिस तरह अिसे अब आखिर में लाकर पास कराने की अुजलत की जा रही है वह सही नहीं है। अिसे आअिंदा जब कभी सेशन होंगा तब लाया जा सकता है और अिस पर ज्यादा संजीदगी के साथ सोंचा जा सकता है। मेरा सुझाव यह है कि दरमियान के वक्त में अिसे अव्वाम की राय के लिये और मर्चंटस की भी राय के लिये भेजा जाय और अिसके बारे में अुनके क्या ख्यालात हैं यह मालूम किया जाय तो मुनासिब होगा। और अुनके जो सजेशन्स आयेंगे अुनकी रोशनी में फिर अिसके अुपर सोंचा जा सकता है। अिस तरह अिस अहम बिल को अुजलत से यहां पर पेश कर के पास करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है।

फायनान्सियल अिंटिग्रेशन के जमाने में हमें बहुत कुछ अॅसेट्स जो हमारे थे अुन्हे छोडना पडा और अुससे हमारा काफी नुकसान हुआ। और हमें अिस नुकसान का मुकाबिला करना पडा है। जब हमनें अितना नुकसान सहा है तो अुसे पूरा करने के लिये सेंट्रल गव्हर्नमेंट को हमें अेड (Aid)

देनी चाहिये। और हम चुंकि अपनेको पब्लिक के नुमाअिंदे समझते हैं अिस लिये हमें अुनको अिस बात की कोशिश करनी चाहिये कि यह जो जनता का नुकसान हो रहा है अुसको न होने दें। हमने जब कस्टम निकाले हैं और सरचार्ज भी निकाल ने की कोशिश की जा रही है तब अिस पर से अुसकी नुकसान भरपाअी करने के लिये अिसेन्शियल कमोडिटी अॅक्ट जो कि सेंटर का है अुसमें हीला नहीं बनाना चाहिये। अिसे सेक्शन ३१ के तहत अमेंड करने की कोशिश की जा रही है।

हमारी यह जो कमी होनेवाली है अुसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है अिसके बारे में मैंने अपने ख्यालात हाअुस के सामने अिसके पहले भी रखें हैं। हम जागीरदारों को और दूसरे सरमायेदारों को कॉंपेन्सेशन दे रहे हैं जो कि कुछ करोड रकम है। अुसके बारे में जो मुहायदा पुराने जो यहां के सिव्हिल अॅडमिनिस्ट्रेटर्स थे अुनके और जागीरदारों के बीच हुआ था अुस रिव्हाअिज करना चाहिये। यह जो नुकसान हो रहा है अुसे पूरा करने के लिये मेरा तो यह भी सजेशन था कि अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स आज जो लिया जा रहा है अुसे हम बढा सकते हैं। अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स १० हजार रुपये की अुपर की आमदनी पर रखा गया है। अुसे ३,६०० रुपये की आमदनी पर रखा जाना चाहिये ताकि हमें ज्यादा अिनकम हो। यह भी अेक मेरा सुझाव है जिसके बारे में सोंचा जा सकता है। और भी कअी चीजें छोटी मोटी हैं जिनको सोंच कर निकाला जा सकता है कि हमारा जो नुकसान सरचार्ज और कस्टम निकालने के कारण हो रहा है अुसे किस तरह पूरा किया जाय। लेकिन नुकसान के नाम पर कॉमनमॅन (Common man) को टॅक्स अदा करना मुनासिब नहीं होगा। अिससे आप अव्वाम का फायदा नहीं करेंगे और हुकूमत की आज की पॉलिसी है कि "to tax the food of the public" यह बिलकुल सही पॉलिसी नहीं है। अिसलिये अिस बिल को ड्रॉप किया जाय तो ज्यादा मुनासिब है। कम से कम अिसे फिलहाल विड्रा (Withdraw) कर लिया जाय तो अच्छा होगा अितना कहते हुअे में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री. रतनलाल कोटेचा:—अध्यक्ष महाशय, यह जो बिल आज हाअुस के सामने आया है अुस पर विरोधी दल के लोगों ने काफी विरोध किया और विरोध करते हुअे अुन्होंने कहा कि चूंकि अिस बिल पर जनता की अबतक कोअी राय नहीं आअी है अिस लिये अिस बिल को मुल्तवी किया जाय। मैं यह समझता हूं कि हाअुस में जो नुमाअिंदे हैं और जनता की तरफ से चुनकर आये हैं वह बराबर जनता की नुमाअिंदगी यहां पर कर सकते हैं। वह अिस बिल के बारे में सोंच सकते हैं और अुन्हे सोंचना भी चाहिये। मैं समझता हूं कि अिस बिल पर जनता ने अपनी कोअी राय नहीं दी है अिस लिये अिसे मुलतवी नहीं किया जा सकता है। जब अिस बिल को मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि अिसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिये। मुझे यह अंदेशा है कि यह बिल अिस लिये मुलतवी करने के लिये कहा जा रहा है कि दरम्यानी वक्त में अिसके खिलाफ मिटींग्ज आदि लेकर अेजिटेशन (Agitation) किया जाय और जो बात जनता के जहन में भी नहीं है अुसे अुनके जहन में पैदा किया जाय और दरम्यानी वक्त में गव्हर्नमेंट पर दबाव लाया जाय कि वे अिस बिल को मंजूर न कर सकें। लेकिन मैं कहना चाहता

हूं कि अिस तरह से आज अिस बिल को मुलतवी करने की कोअी जरूरत नहीं है। अिस बिल के अूपर अभी तक किसी ने अपनी राय नहीं दी है। अैसा कहकर बिल को मुल्तवी करना ठीक न होगा। सिर्फ अपोजिशन लिडर ने कुतर सीन्नय्या जो बेपारियों के प्रतिनिधी हैं अुनके स्टेटमेंट को यहांपर पढकर सुनाया। और अुनके जो आरग्युमेंटस हैं अुन्हें भी हाअुस के सामने रखा लेकिन वाक्या यह है कि आज जो बिल हमारे वित्त मंत्रिजीने लाया है अुससे तो हैदराबाद स्टेट के काश्तकार बहुत खुश हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आपसे किसने आकर कहा? आप किसकी खुशी बोल रहे हैं?

श्री. रतनलाल कोटेचा :—यह जनता का आनंद है। और ज्यादा तर अिससे काश्तकारों को बहुत खुशी हुअी हैं। आपका तो सिर्फ अपोजिशन करने का ही काम है अिस लिये आप अैसा कह रहे हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—पूरे बॉर्डर की क्या आप नुमाअिंदगी कर रहे हैं? क्या आपकी ही पार्टि को अिसकी नुमाअिंदगी दी गअी है?

श्री. रतनलाल कोटेचा :— अध्यक्ष महोदय, लिडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो अितनी मुखालिफत कर रहे हैं अुनका अुस नाते यह कर्तव्य था कि हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देते क्योंकि अुन्होंने सरचार्ज और कस्टम हटाकर जो अेक बडा स्टेप अुठाया है अुस के लिये अुन्होंने अेक भी शब्द शुक्रिये का नहीं कहा। जो अच्छी चीज है अुसको तो कम से कम अच्छा कहना चाहिये था। अुनका जो ड्यू शेयर (Due Share) है वह तो अुन्हे मिलना चाहिये था। लेकिन अुसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। अुनको अुनका ड्यू शेयर देते हुअे आप यदी चाहते तो आपके आरग्यूमेंट भी रख सकते थे। लेकिन आप तो सिर्फ नुकताचीनी करना चाहते हैं। सरचार्ज और कस्टम निकाला गया, क्या यह काम भी आपको ठीक नहीं लगा? मैं हमारे फायनान्स मिनिस्टर साहब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अुन्होंने यह जो स्टेप अुठाया है अुससे देहातों के काश्तकार बहुत खूश हुअे हैं। कॉंग्रेस पार्टी की यह कअी दिनों की मांग थी। अितना ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की भी अिसी तरह की मांग थी। लेकिन मुझे यह देखकर अचरज होता है कि आज अिस बिल का विरोध किया जा रहा है और जो अच्छी बातें की गअीं जिसे आप भी चाहते थे अुनके बारे में अेक भी शब्द आभार का आपके मुहसें नहीं निकल रहा है। अिसके सिलसिले में प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने अेक रेंजोल्यूशन पास किया था और अुसमें यह ख्वाअिश की गअी थी कि पहले सरचार्ज को हटाया जाय और बाद में कस्टम्स को भी हटाया जाये। और गव्हर्नमेंट ऑफ अिंडियाने भी हमारी गव्हर्नमेंट को कंपेल किया। जिसका नतीजा यह हुवा कि आज सरचार्ज और कस्टम हटाये जा रहे हैं। अिससे काश्तकार बहुत खुश हैं, और अिससे काश्तकारों को बडा रिलिफ मिलनेवाला है। बेपारी कोअी अपने जेबसे अिस सरचार्ज या कस्टम को नहीं देता था। अुसे तो काश्तकारों को ही देना पडता था। यह टॅक्स काश्तकारों को हर पल्ले के पीछे १ रुपये से लेकर ५ रुपये तक देना पडता था। और अुसको यह सरचार्ज और कस्टम तो हमको कभी न कभी निकालना पडता ही था। अुसकी जो कमी होगी अुसे पूरा करने के लिये बिल आज हाअुस के सामने लाया जा रहा है।

यह देखकर मैं मानता हूं कि हमारी जनता बहुत खुश हुअी होगी और अिस काम के लिये वह हमारे वित्त मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देगी।

मैं समझता हूं कि जब चीजों के प्राअिसेस बढे थे तब सरचार्ज और कस्टम का जो अिन्सिडन्स पडता था वह ज्यादा महसूस नहीं होता था क्योंकि काश्तकारों को चीजों के दाम भी ज्यादा मिलते थे। लेकिन जब अनाज की कीमतें कम होती जा रही हैं तब काश्तकारों को और दूसरे लोगों को यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। जब मूंग का भाव २० रुपये पल्ला था तब सरचार्ज दस या आठ रुपया पडता था। यानी सरचार्ज का अिन्सिडन्स २५ से लेकर ५० पर्सेंट तक पडता है। और अिसी के कारण फिर बॉर्डर्स पर बहुत बडी तादाद में स्मगलिंग (Smuggling) शुरु हुवा। लातूर जैसे जो बडे बाजार हैं जो बॉर्डर्स के करीब थे वहां के जो गुंड बेपारी थे अुन्होंने यह स्मगलिंग का काम शूरू किया और बेचारे जो गरीब बेपारी थे अुनका नुकसान होने लगा। यह स्मगलिंग अितना फैला था कि अब अिसे कैसे खतम किया जाय या अिसको कैसे चेक किया जाय यह अेक बडा मसला था। अिस के लिये यही रास्ता था कि अिस तरह का जो कस्टम और सरचार्ज जो कि स्मगलिंग की असल जड थी अुसे ही बंद किया जाय तो स्मगलिंग अपने से ही बंद हो सकता था। मैं गव्हर्नमेंट ऑफ अिंडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अुन्होंने हमारे सरकार को अिस के लिये कंपेल किया कि वह जल्द से जल्द कस्टम और सरचार्ज को निकाल दें। गये डेढ साल तक कॉंग्रेस पार्टि अिसके लिये प्रयत्न कर रही थी कि यह बात हो जाय और अुसनें भी सेंट्रल गव्हर्नमेंट के पास अपनी अिस मांग को पेश किया था। और आज सेंट्रल गव्हर्नमेंट की मदद से अिसको निकाला गया अिस लिये मैं अुन्हे भी धन्यवाद देता हूं।

अभी अेक ऑनरेबल मेंबर ने अपने भाषण में कहा कि यह जो नया सेल्स टॅक्स आयद किया जा रहा है अुसका अिन्सिडन्स (incidence) हर शख्स के पीछे १ रुपया पडेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह जो हिसाब आपके सामने रखा गया वह सही नहीं हैं। अैसा नही होगा। हिसाब यह किया गया कि हमें डेढ या पावने दो करोड रुपये हासिल करने हैं और हमारे स्टेट की आबादी भी करीब अुतनी ही है तो अिसके माने यह निकाले गये कि हर शख्स के पीछे १ रुपये का अिन्सडन्स पडेगा। यह जो कॅलक्युलेशन किया गया वह सही नहीं है। क्योंकि देहात में रहने-वाले जो काश्तकार या मजदूर हैं वे अनाज नहीं खरीदते हैं। अुनकी जवारी या बाजरी वहीं खर्च की जाती है वे अुसे मोल नहीं लेते हैं अिस लिये अुन लोगों पर अिसका ज्यादा भार नही पडेगा। देहात का जो अनाज है वह ज्यादा तर वहीं खतम होता है। देहात के लोग बाहरसे अनाज नहीं लेते हैं। देहात में जो मजदूर होते हैं वे भी अपनी मजदूरी अनाज में ही लेते हैं। अुन्हें बाहर से अनाज लेने की जरूरत नही पडती। अिस लिये मेरा यह कहना है कि आपको जो कहना है कि अिसका अिन्सिडन्स सब पर पडनेवाला है वह सही नहीं है। अिसका अिन्सिडन्स देहात पर नहीं बल्की औरंगाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल, जालना, अुस्मानाबाद, आदि जो बडे बडे शहर हैं अुन्ही के लोगों पर यह भार पडनेवाला है। और मैं चाहता हूं कि वहां पर यदि अिस तरह अिन्सि-डन्स पडेगा तो कुछ नुकसान नहीं होनेवाला है, और वैसा वह पडना भी चाहिये। आजतक हैदराबाद स्टेट की रिवायत कुछ अैसी रही हैं कि देहातों से टॅक्स वसूल किया जाय और अुसका खर्चा अलबत्ता

शहरों पर ही किया जाय। लेकिन अब यह बात नहीं चल सकेगी। हैदराबाद में सिमेंट की सडकें बडे बडे अस्पताल, बिजली आदि सब का अिंतेजाम अच्छा हो, और अुसके लिये देहात के लोगों से टॅक्स लिया जाय यह अब चलनेवाला नहीं है। आज सिटीज में जो टॅक्स लेव्हल है वह बहुत ही कम है और देहातों में यह लेव्हल ज्यादा है। यह जो नया सेल्स टॅक्स वसूल होनेवाला है वह ज्यादातर शहरों से होने वाला है। अिसलिये अिसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं है। और अिस टॅक्स के लगाने में जरा भी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। हमारा जो पैसा कम हो रहा है अुसके भरपाअी के लिये यदि शहरों से पैसा आयेगा तो कोअी खराब बात नहीं। अिस टॅक्स से देहात के लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी।

साथ साथ यह भी कहा गया कि शहरों पर भी अिसका ज्यादा भार पडेगा। लेकिन फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बताया है कि जवारी या दूसरी जो चीजें हैं अुनके भाव तो आज घट रहे हैं। तब यह जो अिन्सिडन्स पडेगा वह कोअी ज्यादा नहीं होनेवाला है। मूंग का भाव आज १ रुपये से आठ आने पर आगया है अैसी हालत में गव्हर्नमेंट को अेक आना देना कोअी बहुत ज्यादा नहीं है।

में दरखास्त करना चाहता हूं कि आज अव्वाम के दिमाग में जो बातें नही हैं अुन्हे आप अुनके दिमाग में भरने की कोशिश न करें। आप यदि अैसे बातें अुनके दिमाग मे भर कर अुनको भडकाने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं है। आज जो यह बिल आपके सामने आया है अुसें आप बगैर किसी हिचकिचाहट के मंजूर कर लें तो अच्छा होगा। अितना कहते हुअे में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री. रूक्माजी.गोंडिबा पाटील (आष्टी) :—अध्यक्ष महोदय, आज तक मुझे अितना ताजुब कभी नहीं हुआ जितना की आज यहां पर यह देखकर हो रहा है कि अिस बिल को विरोध किया जा रहा है। पहले जमानेंमें जब कि हमारी पाप्युलर गव्हर्नमेंट नही थी तब सरहद के लोगों को कस्टम्स की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पडता था अुसको हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब हमारी पार्टि की तरफ से अेक आंदोलन चलाया जा रहा था तब सरहद के लोगों को यह कहा गया कि हमें पहले कस्टम खतम करेंगे, और हमारा यह नारा था। यह हमारा ही नही बल्कि अुस जमाने में अपोजिशन पार्टि के जो लिडर हैं वे भी यही कह रहे थे और अुनका और दूसरी भी जो मुख्तलिफ पार्टियां थीं अुन सबका यह नारा था कि हम कस्टम्स को खतम करना चाहते हैं। लेकिन आज जब कस्टम निकाली गअी है और अुससे जो नुकसान होनेवाला है अुसकी भरपाअी के लिये अेक बिल यहां पर लाया जा रहा है तब हमारे अपोजिशन पार्टि के लोग अिसकी मुखालिफत कर रहे हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, अेक गलतफहमी हो रही है कि जो कस्टम्स या सरचार्ज निकाले जा रहे हैं अुसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन अैसी बात नही हैं। हैदराबाद सरकार ने अिसे निकाला अिसके लिये तो हम अुनकी ताअिद कर रहे हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—फिर अुस काम के लिये आप शुक्रिया क्यों नहीं आदा करते हैं ?

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—शूक्रिया तो अदा करते हैं लेकिन अुसके साथ हि साथ अपना अफसोस भी जाहिर करना चाहते हैं कि दूसरे तरफ से कॉमन मॅन को टॅक्स करने की कोशिश की जा रही है।

श्री. रूख्माजी घोंडिबा पाटील :—खैर अुसके बारे में मुझे कुछ नही कहना है। लेकिन आपने अपने भाषण में तो अेक लब्ज भी शुक्रिया अदा करने के लिये अिश्तेमाल नहीं किया। लेकिन अिस बिल की जितनी बुराअी की जा सकती थी वह की गअी और अब भी की जा रही है। अेक जमाना था जब कि अिस कस्टम को हटाने के लिये हमारे अनाडी काश्तकार मरने के लिये तैयार थे और अुस वक्त हमारे लिडर ऑफ दी अपोजिशन अुनकी हमारी लिडिंग कर के हमें अुस काम के लिये आगे बढाते जा रहे थे और अुनके साथ हम बॉर्डर के लोग काम भी करते थे। आष्टी के बॉर्डर के वाकयात शायद अुनको भी याद होंगे जब कि अिसके सिलसिले में वहां की जनता ने अिस काम के लिये अपना खून बहाया है और गोलियां तक खाअीं हैं और आज जब वह मांग सफल की जा रही हैं तो अपोजिशन लिडर अिसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यह देखकर बडा ताज्जुब होता है। कॉंग्रेस ने अेक जमाने में जो वचन अव्वाम को दिया था अुसको आज पूरा किया जारहा है। अिस लिये बॉर्डर की जनता आज बहुत खुश है, और आज मैं अुनकी तरफ से फायनान्स मिनिस्टर साहब का और गव्हर्नमेंट का शूक्रिया अदा करता हूं। गव्हर्नमेंट यह जो कदम अुठायी है अुसकी मुखालिफत करने की अपोजिशन पार्टि के लिडर को कोअी जरूरत नही थी। अपोजिशन पार्टि के लिडर ने कहा कि अव्वाम को सोंचने का मौका नही दिया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अव्वाम की ही राय थी कि अिस तरह से कस्टम्स खतम किये जायें और जब कस्टम खतम करते हैं तो अुसका जो नुकसान होगा अुसे पूरा करना तो गव्हर्नमेंट का फर्ज होता है और अुस कमीको पूरा करने के लिये ही यह बिल आज हाअुस के सामने आया है। यह बिल कभी भी पीछे हटनेवाला बिल नही है। यह तो बराबर पास हो कर ही रहेगा। यह जो सेल्स टॅक्स का बिल यहां पर लाया गया है वह लाना जरूरी था और वह बराबर पास होगा अिसमे मुझे शक नही है। रजाकारों के जमानें में आंदोलने करते वक्त जिन लोगों ने अपना खून बहाया अुनका अच्छा स्मारक आजतक हमनें नही किया। अुस जंग के जमाने में तीन काश्तकारों की लाशें अिस काम के लिये बहायी गयी और जो खून बहाया गया अुसका ही आज हम सच्चा स्मारक कर रहे हैं अैसा मेरा ख्याल है। अपोजिशन पार्टि का यह कर्तव्य था कि जब अेक अैसा बिल लाया जा रहा है जिससे अैसे तमाम लोगों का सच्चा स्मारक होता है जिन्होंनें अिस काम के लिये अपना खून बहाया तो सरकार का आप स्वागत करते। लेकिन आज यह कहा जा रहा है कि अिसे आज न लिया जाय और मजीद तीन महिने का मौका दिया जाय। तीन महीनें में तो करोडो रुपयों का नुकसान होता है, और आज जो करप्शन है अुसकी वजह से भी काफी नुकसान जब आज हो रहा है अैसी हालत में अुस की बुनियाद को ही खतम करना जरूरी था और अिस लिये अिस कस्टम्स को बिलकुल बंद कर दिया गया है। मुझे आज बडी खुशी हो रही है। मैं अपोजिशन लिडर से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है अुसकी आप मुखालिफत न करें। यह भी सेंट्रल गव्हर्नमेंट के मशविरेसेही यहां पर लाया गया है। अुन्होंनेअिन चीजों पर सेल्स टॅक्स लगाने की अिजाजत दी थी। मेरा तो कहना है कि यह बिल अिससे भी पहले आना चाहिये था लेकिन हमारी गव्हर्नमेंट ने अिसके लाने में काफी देरी की। शायद अपोजिशन मेंबर्स अिसकी मुखालिफत करेंगे अिस डर से यह बिल जल्दी नही लाया गया होगा, अैसा मेरा ख्याल है। कॉंग्रेस ने देरी से ही क्यों न हो लेकिन अेक अच्छा कदम अुठाया है और यह बिल आज हाअुस के सामने रखा है। अुसके लिये अिस बिल

का तो आपको स्वागत करना चाहिये था। यह जो नुकसान हुवा है वह सेल्स टॅक्स लगाये बिना पूरा नही किया जा सकता था, अिस लिये अिसे लगाना लाजमी था। कस्टम्स और सरचार्ज खतम करने के बाद हमें करीब ५ करोड रुपये का नुकसान हो रहा था। यह पूरा कैसा करना यह सरकार के सामने सवाल था। यह जो सेल्स टॅक्स है वह कोअी गरीब काश्तकार या मजदूरोंपर नहीं बैठनेवाला है। यह तो मालदार और बडे बडे लोगों पर ही बैठनेवाला है।

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

जो आज तक लाखों रुपये कमाये हैं और गादियों पर सोते हैं अुनपर यदि कुछ टॅक्स बैठता भी है तो कोअी दुःख की बात नही है।

यह कहा गया कि अिस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजना चाहिये। मेरा ख्याल है कि अिसे सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने की कुछ जरूरत नही है। हमें मालूम है कि जो भी बिल सिलेक्ट कमिटी के पास जाता है अुसमें काफी वक्त गुजर जाता है, और अुसमें पैसा भी काफी खर्च होता है। यह अेक अहम बिल है और अिसे जल्द से जल्द पास करने की जरूरत है। अिस लिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका यह जो सजेशन है अुसे आप वापस लें। यह जो १ करोड और ५८ लाख का खसारा आ रहा है अुसे जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। अिस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजकर यदि यहां से खतम कर दिया गया तो अिसे पास होने में फिर काफी देर होगी और गव्हर्नमेंट को सेल्स टॅक्स के जरियेसे जो पैसा मिलना है वह काफी कम होगा। अिस लिये अिसे जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिये। अेक जो हिसाब बताया गया कि हर शख्स के पीछे १ रुपया ज्यादा होगा वह ठीक नहीं हैं। यह टॅक्स गरीबों पर नही बैठनेवाला है बल्कि अमीरों पर ही और जो शहर में रहते हैं अुन्ही पर ज्यादा तर बैठनेवाला है। आज तो ६ पाअीका सेल्स टॅक्स रखा जा रहा है लेकिन मै कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर यदि १२ पाअी का भी यह सेल्स टॅक्स रखा जाय तो ज्यादा नही है क्योंकि यह तो अमीरों पर ही बैठनेवाला है। फायनान्स मिनिस्टरसाहब ने यह जो स्टेप अुठाअी है अुससे आज स्टेट के तमाम लोग खुश हैं और बेपार बिलकुल खुला होगया है और आज हम अेक नये सूरज का प्रकाश देख रहे हैं।

पटेल पटवारी, गांव के गुंडे और करोडगिरी के छोटे मोटे आफिसर का जो अेक तबका है वह हमारा दुश्मन है। हम कहते हैं कि निजाम सरकार का राज खतम होगया है लेकिन अुनके लिये अभी कोअी तबदीली नहीं हुअी है। यह जो करोडगिरी का काला सांप है जिसकी बची हुअी आधी दुम कांटी गअी तो अुनको वह अच्छा नहीं मालूम होता था। आज अुसके बचे हुअे भाग को पत्थर डाल कर खतम करने की कोशिश की जा रही है। अुस सांप को बचाने की कोशिश अपोजिशन के लीडर साहब नहीं करेंगे अैसी मुझे अुम्मीद है। अपोजिशन के लीडर ने यह मांग की कि अिस बिल को वापिस लिया जाय या अिस का डिसकशन आगे ढकेल दिया जाय तो अिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह अपनी मांग वापस ले लेंगे। अिस बिल की मुखालिफत करना ठीक नहीं है। अिसकी अगर मुखालिफत की जायेगी तो अुनको देहात के लोगों की बददुआ लेनी पडेगी।

में यह बताना चाहता हूं कि करोडगिरी निकाल देने के बारे में हमारा खास प्रपोजल था। यह काश्तकार और मजदूरों का मसला है। यह बिल सेल्स टॅक्स बिल नहीं है बल्कि अेक अमर बिल है। अमर गव्हर्नमेंट का बिल है लोगों की ताकत बढानेवाला बिल है। यह छः पाअी के बजाय बारा पाअी की आशा रखनेवाला बिल नहीं है। कपास, जवार, चांवल, बाजरा, अिन चीजों पर से कस्टम और सरचार्ज निकाला गया है तो अुसका फायदा काश्तकारों को मिलेगा। अेक चीज अभी हमारे दिल में खटकती है और वह यह है कि यह करोडगिरी पूरी की पूरी आज खतम हो जानी चाहिये थी, लेकिन गव्हर्नमेंट के सामने कुछ दुश्वारियां होने की वजह से वह आज नहीं हो सका। अिस डिपार्टमेंट में जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं अुनका गव्हर्नमेंट को अिंतजाम करना होगा और वह दो तीन महीने के अंदर किया जायेगा। गव्हर्नमेंट ने जब तक करोडगिरी को नहीं निकाला था हम लोगों को बहुत दुःख होता था। अिसको निकालने के लिये हम लोगोंने पी. सी. सी. को रेकमेंड किया और पी. सी. सी. ने भारत के प्राण पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काँग्रेस के सदर हैं और हिंदुस्तान के प्राअिम मिनिस्टर हैं अुनके पास यह प्रपोजल भेजा। अुन्होंने हैदराबाद हुकूमत पर शर्त आयद कि की अगर आप सेल्स टॅक्स बिठाते हैं तो करोडगिरी और सरचार्ज को अुठाना पडेगा। अुसी शत के तहत यह बिल लाया गया है। अिसके लिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैदराबाद हुकूमत को और साथ साथ फायनान्स मिनिस्टर को शतशः धन्यवाद दूंगा। आज हमारी मनोकामना पूरी हो गअी। आष्टी तालुके के हरिभाअु जगताप और देवराव और लोनी के खाशाबा जिन लोगों ने करोडगिरी का मुकाबला करने के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है। जिस वक्त वह आंदोलन चलता था तो अपोजीशन के लीडर वहां थे। अुनको अिसके बारे में ममता है अैसा मुझे विश्वास है। जब वे हम लोगों को अिसके खिलाफ भडकाते थे अुस वक्त अुनको जो प्रेम था वह आज नहीं है, अैसा मैं नही मानता। जिन लोगों ने अिसके लिये अेक जमाने में प्राणों की बाजी लगाअी अुनके खून से आज आवाजें निकलती हैं अिसीलिये मैं अिस बिल को अमर बिल कहूंगा और जो लोग अिसका साथ देंगे अुनका नाम भी अमर रहनेवाला है।

अेक चीज फायनान्स मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं कि गरीब काश्तकार और मजदूर तबके के लोगों से सेल्स टॅक्स बराबर अदा किया जाता है, लेकिन जो लखोपति और करोड-पति हैं, जो लोगों का खून चूसते हैं, वे सेल्स टॅक्स देना टालते हैं, क्योंकि बडी बडी तनख्वाह पानेवाले सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट के आफिसर अुनका साथ देते हैं। अुन आफिसरों को सख्त ताकीद दी जाय। वे समझते हैं कि असेंब्ली है चीफ मिनिस्टर हैं, अपोजीशन लीडर हैं, सिर्फ बकवास करते हैं, लेकिन हमारा क्या करेंगे अगर वे अपनी तनख्वाह बढाने के लिये हुकूमत के पास रिप्रेजेंटेशन्स करते हैं तो अुसके लिये हमें अेतरांज नहीं है लेकिन अुधर हजारों रुपये खाते हैं, यह बुरी बात है। अुनको मालूम होना चाहिये कि सेल्स टॅक्स हमारे देश को आगे बढानेवाला है। आज सेल्स टॅक्स पूरी तरह वसूल नहीं होता अिसकी वजह यही है कि बडे बडे आफिसर अुसमें गडबड करते हैं। गोरवाला कमेटी का कहना था कि सेल्स टॅक्स से करीब आठ करोड की आमदनी होगी, लेकिन हमारे यहां सिर्फ दो या ज्यादा से ज्यादा तीन करोड की आमदनी होनेवाली है। मेरा खयाल है कि अिस साल तकरीबन छः करोड तक सेल्स टॅक्स वसूल होना चाहिये, ताकि मराठवाडे के जो छोटे प्रॉजेक्टस, रास्ते और तकावी वगैरा के कूम्म बंद पडे हैं वे शुरू किये जा सकेंगे। अितना सेल्स टॅक्स अगर वसूल नहीं होता

तो वह अुन आफिसरों की गलती है। मैं अुनसे अपील करूंगा कि वे अिस रास्ते को छोड दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो लोग सिर्फ तनख्वाह खाते हैं लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं वे हरामखाअू हैं। अगर अेक हद तक यह मान लिया जाय कि सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट के आफिसर करप्शन नहीं करते, लोगों को नहीं सताते तो कम से कम अितनी बात निश्चित है कि वे अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते। जिस काम के लिये जितना वक्त देना चाहिये अुतना नहीं देते। हमारे यहां के व्यापारी राजपुताने से आते हैं और अुनका बहीखाता रखने का ढंग अैसा है कि हमारे आफिसर अुसको नहीं समझ सकते। अगर अुनको 'अप्पाजी' लिखना है तो वे लिखेंगे 'अपज' अिस-लिये अुनसे जितना सेल्स टॅक्स वसूल किया जाना चाहिये अुतना नहीं किया जाता। अगर ऑफिसर अिन दुश्वारियों को नहीं समझ सकते तो हुकूमत से मेरा अेक सजेशन है कि व्यापारियों से सेल्स टॅक्स किस तरह से वसूल किया जाय अिसके बारे में अफसरों को सलाह देने के लिये असेंब्ली के मेंबरों की और कुछ नॉनआफिशियल लोगों की सेल्स टॅक्स सलाहगार समिति मुकर्रर की जाय। जब तक अैसी कमेटी कायम नहीं की जाती तब तक गोरवाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सात करोड की सेल्स टॅक्स से आमदनी होगी या नहीं अिसको मालूम नहीं किया जा सकता और जब तक अैसी कमेटी मुकर्रर नहीं होती तब तक सात करोड सेल्स टॅक्स भी वसूल नहीं किया जा सकेगा। अगर अैसी कमेटी कायम की गअी तो गोरवाला कमेटी की सिफारिश सही है या नहीं मालूम हो जायेगा। मैं अुम्मीद करता हूं कि अगले सेशन तक हमारे यहां से करोडगिरी पूरी तरह से खतम हो जायेगी और फिर यह काला सांप हमारे सामने नहीं आयेगा। मैं हुकूमत को अिस बिल के पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं कि अुन्होंने अच्छे वक्त पर अिस बिल को लाकर लोगों के दिलों में दिलासा प्राप्त करा दिया है। आखिर में मैं अितना ही कहूंगा कि अिस बिल को पास करने में अिस हाअुस की अिज्जत है, गव्हर्नमेंट की अिज्जत है और तमाम सियासी पार्टियों की अिज्जत है।

* شری انا جی راؤ گوانے (پربھنی) :— مسٹر اسپیکر سر - جو بل ہمارے سامنے آیا ھے اوس کے تعلق سے آنریبل فینانس منسٹر نے یہ بتلایا ھے کہ کسٹم (Custom) اور سرچارج (Surcharge) نکال دینے کی وجہ سے آمدنی میں جو کمی واقع ھو رھی ھے اوس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل مجبوراً ھاؤس کے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ھے- کسٹم اور سرچارج نکالنے پر میں انہیں دھنیہ واد ضرور دیتا ھوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہونگا کہ سیل ٹیکس کے سوروپ میں ٹیکزیشن بل (Taxation Bill) جو لایا جا رھا ھے اوس کی وجہ سے جو بار لوگوں پر پڑیگا اون کا شراپ بھی اون کو ھی سہن کرنا پڑیگا - آنریبل ممبرس فرام پاتودہ اور آشٹی جو بارڈر کے رھنے والے ھیں انہوں نے اپنی سوارتھی نظر سے ھاؤس کے سامنے کچھ باتیں کہی ھیں - میں اون کہنے والوں میں سے نہیں ھوں کہ کسٹم اور سرچارج رھنا چاھئے لیکن علاج کا یہ طریقہ نہیں کہ آدمی کے جسم پر کسی جگہ زخم ھو تو اوسی آدمی کا کان یا ناک کاٹ کر زخم پر لگادیا جائے - میں اس کو پسند کرنے والوں میں سے نہیں ھوں - ٹیکزیشن کا اصول تو یہ ھو سکتا ھے کہ ٹیکس کا بار اون لوگوں پر پڑے جن کی تجوریاں اور جیب اوس بار کو برداشت کرسکتے ھیں - نہ کہ اون لوگوں پر پڑے جو زندگی کسی نہ کسی

طرح بسر کرنے پر مجبور ہیں - اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جیسا کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ جنتا کی ہر کمیونیٹی کی رائے لی جاتی تو اچھا تھا - آنریبل ممبر فرام پاٹودہ نے گھبرا کر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے ممبر اس بل کو لیکر رولنگ پارٹی کے خلاف پروپگنڈہ کے طور پر استعمال کرینگے - میں اون سے یہ کہونگا کہ آپ بھی تو اون کی نمائندگی کرتے ہیں آپ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں آپ بھی اپنا پروپگنڈہ کیجئے - جنتا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ایسی ذہنیت کا مظاہرہ کرے - جس بل کا اثر جنتا پر ہوتا ہے اوس کے متعلق ہمارا یہ کام ہے کہ جنتا کو اوس کے بارے میں سمجھائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں - یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، ہم بھی بتاسکتے ہیں پھر اس کے متعلق آنریبل ممبر فرام پاٹودہ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت کیا تھی - ہمیشہ جس طرح کہا جاتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپوزیشن پارٹی اس کو اپنے پروپگنڈہ کے لئے استعمال کریگی - میں کہتا ہوں کہ خود آپ کو اپنا پول کھل جانے کا ڈر ہے - میں آنریبل فینانس منسٹر سے کہونگا کہ عوام سے اس بارے میں مشورہ لینا ضروری تھا - اس آمدنی کو تو پورا کرنا پڑیگا اس کے لئے اور بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے - لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی میں کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ کے سامنے سیل ٹیکس لگانے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے - اگزمپشن لسٹ (Exemption list) میں جو کوئی بھی گڈس (Goods) ہوتے ہیں اونہیں پرپائنٹ ٹیکس لگانے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں - اس کے متعلق اگر اپوزیشن کے ممبرس سے نہیں تو خود اپنے آفیشیلس اور اکنامسٹس (Economists) ہی سے مشورہ کیا جاتا تو اچھا تھا - بمبئی گورنمنٹ نے پروہیبیشن (Prohibition) کے ذریعہ ایک کثیر آمدنی کو ختم کردیا - لیکن انہوں نے اس کے لئے اسینشیل گڈس (Essential goods) پر ٹیکس نہیں لگایا - آپ بھی ایسے ہی سورسس (Sources) نکال سکتے تھے - فوڈ گرینس یا اسینشیل گڈس پر ٹیکس لگانے سے اس کا اثر غریب کسانوں اور کامن میان پر ہوگا - آنریبل ممبر فرام پاٹودہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے سیل ٹیکس کی پوری رقم سکندرآباد اور حیدرآباد سے وصول ہوگی - میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دوسروں پر کیسے اثر نہیں ہوگا - خصوصاً اس میں دو چار آئٹمس ایسے ہیں جن کا تعلق حیدرآباد یا سکندرآباد سے نہیں ہے - مثلاً کیروسین آئیل - اس کو کہاں بیچا جاتا ہے اور کہاں سے اس کا ٹیکس وصول ہوگا - آئیل ٹیکس کی آمدنی جو ساڑھے چھ لاکھ ہوگی وہ کیا حیدرآباد اور سکندرآباد سے وصول ہوگی یا دیہاتوں سے وصول کی جائیگی - کاٹن پر بھی جو پرچیز ٹیکس (Purchase tax) وصول ہو رہا ہے وہ کس سے وصول ہو رہا ہے - کاشتکاروں سے وصول کیا جاتا ہے یا خریدار اپنی جیب سے دیتے ہیں - مارکٹ میں جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اوس کا حساب لگا کر ہی خریدنے والا اپنا بھاؤ طے کرتا ہے - گویا ان ڈائرکٹلی (Indirectly) کاشتکاروں سے ہی وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے - آپ گویا کاشتکاروں کی وکالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تجارت پیشہ طبقہ کی وکالت کر رہے ہیں -

اور بہانہ کاشتکاروں کا لے رہے ہیں -

کاٹن پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے خریدار اپنی جیب سے نہیں دیتا بلکہ وہ کاشتکاروں سے وصول کرلیتا ہے۔ یہ بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس سے جو ایک کروڑ کی آمدنی ہونے والی ہے وہ بھی کنزیومر (Consumer) سے ہی وصول ہوگی۔ (۱۰) پرسنٹ مالدار ہیں اور (۹۰) پرسنٹ غریب لوگ ہیں۔ اس لئے لازماً اونہیں پر اس کا اثر پڑیگا۔ ڈائرکٹلی ہو چاہے ان ڈائرکٹلی ہو پہلے بھی جو بل کیش کراپس (Cash crops) پر ٹیکس لگانے کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آیا تھا ہم نے اوس کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ لیکن اس میں بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی اسینشیل گڈس کی تعریف میں آتے ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ جسکے بغیر کوئی آدمی دو دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر گھر میں چراغ لگایا جاتا ہے۔ اس بل کے پیش ہونے پر آنریبل ممبر فرام پاٹودہ خوش ہورہے ہیں۔ میں کہونگا کہ یہ اوپر کی شکر ہے جو آپ چاٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں لیکن جب یہ زہر حلق کے نیچے اتریگا تب معلوم ہوگا۔ کسٹم اور سرچارج تو ختم کر رہے ہیں لیکن اس کمی کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے۔ آنریبل فینانس منسٹر نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا" میں جانتا ہوں کہ اس کا اثر کنزیومر اور ملک کے ایک بہت بڑے طبقے پر پڑیگا۔ لیکن میں مجبور ہوں،،۔ مجبوری بتلانے سے کام نہیں چلیگا۔ آپ کے پاس اس کے لئے اور کئی طریقہ ہوسکتے تھے۔ آنریبل ممبر فرام آشٹی کود کود کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ لگایا تھا۔ ہمارے لوگ شہید ہوگئے وغیرہ وغیرہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو نظام کو بھی ختم کرنے کا نعرہ لگایا تھا اور جس کے لئے ہم اور آپ دونوں مل کر احمد نگر کے بارڈر پر لڑے تھے۔ آپ نے جاگیرداری کو ختم کرنے کے لئے نعرہ لگایا تھا اور بہت سی چیزوں کے متعلق نعرہ لگایا تھا۔ لیکن اب اون چیزوں کو ختم کرنے کے لئے آپ کی زبان نہیں اٹھتی۔ ایک چیز کو ختم کرکے اوس کی بجائے دوسری مصیبت دینے والی چیز ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ صرف نعروں سے خوش ہو کر یہ کہنا کہ آج جو بل لایا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔

میں آنریبل فینانس منسٹر سے عرض کرونگا کہ وہ اس بل کے متعلق پھر سوچیں اور آج اس کو ملتوی کریں۔ آج عوام اس ٹیکس کو نہیں دے سکتے۔ یہ بار اون لوگوں پر پڑنے والا ہے جو کھانے کپڑے اور گیاس کے تیل کی ایک چمنی جلانے کے لئے محتاج ہیں۔ اگر آنریبل فینانس منسٹر اس کو اب ملتوی کر کے بعد میں سوچکر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں تو ہم بھی اس ضمن میں اپنی اسکیمس اون کے سامنے رکھینگے۔ لیکن اگر آنریبل منسٹر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ ہم کو کانفیڈنس (Confidence) میں لینا نہیں چاہتے تو یہ اور بات ہے۔ بمبئی اسٹیٹ میں بھی ایسے بڑے ٹیکس نہیں لگائے جارہے ہیں ہمارا اسٹیٹ تو اس سے چھوٹا ہے۔ آنریبل منسٹر کو ازکم اس پر غور کریں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

* شری بی - ڈی - دیشمکھ (بھوکردن - عام) :- مسٹر اسپیکر سر - آج جو بل هاؤس کے سامنے ہے وہ سیلس ٹیکس کی ترمیم کا بل ہے - اس کے ذریعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ۱۹۵۰ع کے قانون کے تحت جو شیڈول (۱) کے آئٹمس تھے ان کو نکال دیا جائے اور تقریباً سوا کروڑ روپیہ کا ٹیکس عوام کے سر پر لاد دیا جائے - اوس طرف آنریبل ممبرس فرام آشٹی اور پاٹودہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پر آنریبل فینانس منسٹر کو دھنیہ‌واد دینا چاہئے - لیکن انہیں کونسے شوگر کوٹڈ پلس (Sugar quoted pills) کھلائے گئے ہیں جس کے باعث وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کروڑ بیس بچیس هزار کے ٹیکس پر ٹریژری بنچس کو مبارکباد دیں - یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم بل ہے - اس کے ذریعہ سرچارج اور کسٹمس ختم ہو رہے ہیں - لیکن میں اون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فینانشیل انٹیگریشن (Financial integration) کے بعد تقریباً چار سال تک دستور کے خلاف عمل کرتے ہوئے ان کو برقرار رکھا گیا - عوام سے نوٹ کھسوٹ کرکے خزانہ کو پر کرتے رہے - چار سال پہلے جو چیز ختم ہوجانی چاہئے تھی اس کو ختم نہ کرکے ٹال مٹول کرتے رہے اور ممکن تھا کہ مزید دو سال تک اس کی ٹال مٹول کرتے اگر سنٹرل گورنمنٹ انہیں اس کی اجازت دیتی تو پھر کس بات کے لئے انہیں مبارکباد دینا چاہئے - حکومت نے کونسی نئی چیز کی ہے جس کے لئے دھنیہ‌واد دینا چاہئے - سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جو آمدنی ہونا چاہئے وہ نہیں ہو رہی ہے - اس کی آمدنی گھٹ کر ایک کروڑ ستر پچھتر لاکھ تک آگئی ہے - اس کو پورا کرنے کے لئے یہ بل لایا جا رہا ہے - اس کے امپلیکیشنس (Implications) کیا ہونگے - اس کے کیا اثرات عوام پر پڑنے والے ہیں اون سے آنریبل ممبرس کو غلط فہمی ہو رہی ہے - اون کو تو آنریبل ممبر سمجھ نہیں رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مبارکباد دیجئے -

میں آنریبل موور آف دی بل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیڈول (۱) میں جو ضروری اشیاء رکھی گئی تھیں اون میں سے ہر ایک پر ٹیکس لیا جا رہا ہے لیکن کیا کوئی اس کی حد بھی ہے - اب اس میں صرف بیس اشیا باقی رہ گئی ہیں - میں پہلے بل کے حوالہ سے اور اس بل کے حوالہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے سگریٹ کو پھر میاچس کو پھر اب کیروسین پر ٹیکس عائد کر رہے ہیں - ہمیں علم نہیں کہ پریسیڈنٹ نے اس کی منظوری دی ہے یا نہیں اگر منظوری بھی دی ہے تو وہ صاف نہیں ہے اور منظوری کے باوجود بھی ہمیں اس کی سختی سے مخالفت کرنا ہوگا - اگر ایسا بل صرف مدراس میں پاس کیا گیا ہے تو وہاں بھی اس کی سختی سے مخالفت ہو رہی ہے ورنہ سارے ہندوستان میں تو اسینشیل گڈس پر ٹیکس لگانے کی کسی اور صوبائی حکومت نے جرأت نہیں کی ہے - اس لحاظ سے ہماری حکومت نے جو اقدام کیا ہے وہ کسی مفید نتیجہ کا حامل نہیں ہوگا -

اس بل کے ایمس اینڈ آبجکٹس (Aims & Objects) میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ اس قانون کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے نہیں لایا گیا ہے بلکہ جو نقصان ہو رہا ہے اسی کی تلافی کے لئے لایا جا رہا ہے - میں خاص طور پر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد

میں ایک ٹیکس کی کمی کے بعد کتنے جدید ٹیکس عائد کئے جا رہے ہیں اور بحیثیت مجموعی ٹیکزیشن ہمارے پاس کس نوبت پر پہنچ گیا ہے ۔ اس کو نظرانداز نہ کیا جائے محض اس آواز پر کہ سرچارج اور کسٹمس کو ختم کر رہے ہیں اس بل کی تائید نہیں کی جاسکتی اگر دستور کے تحت سنٹرل گورنمنٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہئے تو اس سے ہماری جس قدر آمدنی متاثر ہوتی ہے اس کی پابجائی کرنے کی ذمہ داری بھی سنٹرل گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے ۔ اس کے لئے ہم مرکزی حکومت سے مانگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہماری حکومت سنٹرل گورنمنٹ سے لڑتی ہے تو اس کی تائید کرنے کے لئے ہم بھی تیار ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دستور کی روشنی میں بھی ہماری حکومت ایسا کرسکتی ہے ۔ ایسی صورت میں جب کہ سنٹر نے ہمارے انکم ٹیکس اکسائز ڈیوٹی ۔ ریلوے اور پوسٹ اینڈ ٹیلیگرافس کی آمدنی لے لی ہے جو ہمارے خاص ذرائع تھے اور اس کے لئے مختلف کمیٹیوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہم مانگ کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت خائف اور ڈرپوک بن رہی ہے ۔ اس بارے میں ہمارے ہاؤس میں ایک ریزولیوشن بھی لایا گیا تھا لیکن اس کو نامنظور کردیا گیا اور اب ٹیکس عائد کر رہے ہیں ۔ میں آنریبل ممبرس سے کہونگا کہ اگرچیکہ اس بل سے دو کروڑ تک بھی ممکن ہے کہ آمدنی ہو لیکن اس کا اثر ہمارے چولھوں پر پڑنے والا ہے ۔ غریبوں کے پیٹ کا سوال آتا ہے اس لئے سنجیدگی سے غور فرمائیں ۔ یہ ایسا ٹیکس ہے جو ہمارے ۹۹ فیصد لوگوں کو متاثر کرتا ہے ۔ اس لئے اس پر جذبات کی رو میں بہتے ہوئے نہیں سوچنا چاہئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہاؤس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگزمپٹڈ گڈس (Exempted goods) کو اس قانون کی زد میں لانے کا یہ ایک مضر طریقہ ہے ۔ اس جانب آنریبل ممبر فار پربھنی نے اشارہ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گذشتہ وقت بھی اوس کو اس وجہ سے واپس لیا گیا تھا کہ ہاؤس میں اس کی سختی سے مخالفت کی گئی اور اس میں چند قانونی دشواریاں بھی تھیں ۔اس لئے اس بل کی ہمیں جذباتی طریقہ پر تقریر کرتے ہوئے تائید نہ کرنی چاہئے ۔

اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرچارج اور کسٹم ڈیوٹی کا صرف ایسے لوگوں پر اثر پڑتا تھا جو مستاجر ہیں اور وہ یہاں سے مال باہر بھیجتے ہیں ۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— جو آرگیومنٹس (Arguments) پہلے آچکے ہیں ان کو نہ دہرائیے ۔

شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ :— میں کپاس اور دالوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرونگا جنہیں اسٹیٹ میں رکھنا ضروری ہے ۔ اگر ان چیزوں کو تاجر منافع کی ہوس میں باہر بھیجنا شروع کردیں تو ممکن ہے کہ ان کی قلت کی وجہ سے ایک طرف قیمتیں بڑھ جائیں اور دوسری طرف ان پر ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے ۔ سرچارج کے برخاست کرنے کے بعد اس کا امکان ہے کہ اڑد اور مونگ وغیرہ ہمارے متصلہ پراونسس مدراس اور مدھیہ پردیش

وغیرہ کو برآمد کی جائیں - اس خطرہ کی طرف بھی آنریبل منسٹر توجہ فرمائیں اور کنزیومرس پر قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو خطرہ ہو سکتا ہے اس کا لحاظ کریں - جیسا کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے فرمایا یہ بل هاؤس کے سامنے بڑی عجلت میں لایا گیا ہے اس لئے اس کو آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے - میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تقریباً ٦٦ لاکھ روپئے وصول کئے گئے ہیں لیکن اگر اس کو دو چار مہینے کے لئے ملتوی کیا جائے تو اس سے حکومت کی آمدنی میں کوئی خاص خسارہ ہونے والا نہیں ہے - اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو کم از کم آئندہ سشن تک ملتوی کیا جائے -

**Shri L. K. Shroff* (Raichur): Mr. Speaker, Sir, this is probably the sixth or the seventh amendment of the Sales Tax Act of 1950 which we are considering today. Though we had an amending Bill only a few days ago, still, we do not feel sorry that this amending Bill has again been brought before the House. The context in which this Bill has been placed before the House is something that is exhilarating, something that is making us feel very joyous.

As has already been stated before by hon. Members who preceded me, this amending Bill of the Sales Tax has been brought here to make up the loss that will be incurred by the Government as a result of the removal of the surchage on certain commodities and the customs duty on the same commodities.

Opposition has been expressed by Members of the Opposition to the imposition of sales tax on certain essential commodities. But I do not know why they feel so,—is it because that this Government did not wait to be demanded by the Opposition Members in the next Budget Session that this surcharge must go, is it because that they have missed the bus thus, that they are feeling so? I hope my fear is wrongly placed.

It is true that the surcharge and the customs have been levied for these past four years or even after integration. Customs duty on imports has already been removed and now it is proposed to remove the surcharge on those commodities which was being levied hitherto.

We have already been told that the Government is sustaining a loss of 65 lakhs of rupees by removing the surcharge and about a crore and 13 lacs by removing the customs on

those items on which surcharge is being removed. Altogether there will be a loss of 1 crore 78 lakhs to the Government on these two items only. Having sustained such a heavy loss the Government has got to think of some other source of income to make up the loss ; and the Government has thought of levying sales tax on some of those commodities on which it has not been levied before.

Of course, hon. Members of the Opposition have said that the customs and other sources of income which we have lost have been lost by us as a result of the financial integration and therefore we have got a right to demand from the Centre to grant subvention to make up the loss. It is very well known to the House, Sir, that the Government of India was granting a subvention of Rs. 1.19 crores until the financial integration and after that the subvention has been increased year after year and today we are receiving nearly 4 crores of rupees. Only the other day, the hon. Mninister for Planning told the House that in the three years of the first Five-Year Plan the Government of India has given us 10 crores of rupees. They had promised 10 crores for the whole period of five years. So, it cannot be said that this Government has not been demanding of the Centre its due share of the central source of income on the items from which it has lost its own income. And hereafter also it cannot be said that this Government will keep quiet and will not demand to make up or reimburse the loss that has been incurred now.

As I said before, I feel that because the Government has taken courage in both the hands and removed both the big items of income without getting any demand from the Opposition Members and much earlier than the hon. Members had expected the Government to do, there is this feeling probably.

Well, Sir, it is said that this sales tax on essential foodgrains is going to hit the poor villager and the labourer so much. Hon. Members of the Opposition have taken every conceivable opportunity of representing the villager and the poor labourer. But what are the facts ? Let us be guided by facts and let us not be carried away by emotion.

Here is the Government sustaining a loss of 1.78 crores on account of the removal of these two items. If sales tax

is levied upon cereals it is estimated about a crore of rupees will be got. Crore of rupees, Sir, from 1 crore and 85 lakhs of the population of this State. Even assuming the arguments of the Opposition Members are quite correct that even the poorest of the villager will be getting the incidence of this tax, what, after all, is the incidence of tax on the villager or every one of the people of the State? It will be about half a rupee, Sir, for the whole year—about half-a-rupee for the whole year on each individual of the State. Would it be too much, Sir? Would it be too much for any individual to bear this burden? After all, I would like to ask also, is it the contention of the hon. Members of the Opposition that this surcharge and the customs that were being levied were got from the pockets of the merchants and other peoples? Certainly not. Every incidence of tax, whether it falls upon the merchant or the middleman or anybody else, finally falls upon the villager and the producer. He was paying altogether surcharge and customs included something like 10 to 30 or 35 per cent of the actual value of the foodgrains and other commodities that were being exported from the State and he is made to pay about half a rupee or so for the whole year on the foodgrains that he may have to buy,—even supposing that every one of the 1 crore 85 lakhs of the people of the State are going to buy foodgrains also which is far from truth.

Again, it was said, is not the villager buying kerosene and will he not be forced to pay sales tax on it? What is the income that the Government gets on kerosene by way, of sales tax? It is 3 lakhs of rupees; it is not even 3 lakhs of rupees, Sir, I am sorry, it is 30 thousand,—30 thousand on the whole population of the State for the whole year, and supposing also that the villager burns the midnight oil. What a contrast? We have got to be very careful in judging facts.

Again it was said on cotton also there will be sales tax. As a matter of fact there was sales tax even on cotton. There was surcharge on cotton seeds and kapas which fetch an income of 40 lakhs of rupees to the State Exchequer. Having removed that and having levied sales tax on cotton the Government will be getting extra 12 lakhs. That is the Government is losing 40 lakhs and getting 12 lakhs, that is, it is putting 28 lakhs of rupees back into the pockets of the villagerer. Opposition has been taken very forcefully to this amending Bill that is placed before the House.

Of course, we should thank the hon. Members of the Opposition for having said that if the Government is going to put forth its claims before the Centre they will also support them. Government is certainly going to place its claims before the Centre and I am sure the hands of the Government would be strengthened further by the support that would be given by the Opposition Members. But to say that this sales tax on cereals and other commodities is going to hit hard every one of us is to say something that is not quite true. As has been already pointed out most of the villagers do not buy their foodgrains and other commodities from shops. Their needs are very few and they generally satisfy the mselves by producing them in their own fields and gardens. So the incidence of this tax will be mostly upon the people who dwell in the cities and towns and they should not grudge this because that would help them. It would be by accepting this kind of tax that they would help the poor ryots of the villages, because they would be helping them to get back about 28 lakhs of rupees into their own pockets.

Therefore, Sir, I hope that the opposition that has been levelled so far by some of the hon. Members and the hon. Leader of the Opposition will not be repeated or voiced forth again by other members from the Opposition who will follow me in the discussion now.

* شری کے - وینکٹ راما راؤ (چنا کونڈور):— مسٹر اسپیکر سر - ھاؤس کے سامنے اس وقت سیلس ٹیکس کا بل آیا ھوا ھے - شائد یہ دوسری مرتبہ ھمارے سامنے آیا ھے - ھم دیکھتے ھیں کہ ھر سشن میں سیلس ٹیکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ امنڈمنٹس آتے رھے - اس سشن میں سیلس ٹیکس پر دو ترمیمات آئے - ھم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ھم نے اس بل کے لانے پر آنریبل منسٹر کو مبارکباد نہیں دی - مجھے ایسا شبہ ھوتا ھے کہ آنریبل ممبر اس بل کو پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائے ھیں - اس بل کے ذریعہ سرچارج کو ابالش (Abolish) نہیں کیا جارھا ھے - اس کے لئے تو ابھی زمانہ درکار ھے - اس کے لئے آپ ابھی سے مبارکباد دیتے جائیں تو آپ کے دھنیہ وادوں کے حزانے ابھی سے خالی ھو جائینگے - اس لئے وہ شکریہ کسی اور دن کے لئے محفوظ کردیں تو اچھا تھا - یہ ان ڈائرکٹ ٹیکس ھے - اور اس کا اثر ھر شخص پر پڑنے والا ھے - سرچارج کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ کسان کے پاس سے وضع کیا جاتا ھے - یہ صحیح نہیں ھے - یہ سمجھا جاتا ھے کہ امپورٹ (Import) اور اکسپورٹ (Export) کے تعلق سے سرحد کے بیوپاری ھی متاثر ھوتے ھیں - ایسا نہیں ھے - پورے ملک سے مال وھاں آتا ھے - ایسے مقامات پر لوگوں سے سرچارج وصول

نہیں کیا جاتا - البتہ ایسے اشخاص جو اکسپورٹ کرتے ہیں انکو اپنے جیب سے بھرنے کی نوبت آتی ہے - اسطرح کہ امپورٹ اور اکسپورٹ کا بیوپار کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں - لیکن تھوڑے سے لوگوں کے فائدے کے لئے آپ پورے اسٹیٹ کے رہنے والوں پر بار ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں - اسکا کہاں تک جواز ہوسکتا ہے - سیل ٹیکس کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کاشتکار جوار باجرا یا دھان فروخت کرنے کے لئے جونہی بازار میں جائیگا اوسکی بابتہ سیل ٹیکس اوسکو دینا پڑیگا - یہ غلط تصور ہے کہ سیل ٹیکس صرف تاجر کو ہی دینا پڑیگا - تاجر تو سیل ٹیکس کی جو رقم ہوگی وہ وضع کرکے رقم کسانوں کو ادا کریگا - کسانوں کی ہمدردیاں جتانے والوں کی توجہ میں اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں - اگریکلچرل گرین (Agricultural grain) کی قیمتیں اب بھی گر رہی ہیں اور انکی قیمتوں میں کمی کا امکان پیدا ہو جائیگا کیونکہ تاجر ڈائرکٹ طور پر سیل ٹیکس ادا نہیں کریگا بلکہ وہ بھی کسانوں سے وصول کریگا - اس طرح کا ٹیکس لگاکر پھر کس منھ سے آپ کسانوں کی تائید کرینگے - ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اسکو ملتوی کرنے کے لئے ایجیٹیشن (Agitation) کیا جائیگا - اسکے جواب میں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا - لیکن یہ ان ڈائرکٹ ٹیکس (Indirect tax) ہے - اس کا اثر کن لوگوں پر ہونے والا ہے اس پر غور کئے بغیر ٹیکس عائد کرنا درست نہیں ہے - اس سے کسانوں پر بار پڑیگا - خود کسانوں کے فروخت کرنے کا جب زمانہ ہوتا ہے اوس وقت اناج کی قیمتیں گری ہوئی ہوتی ہیں - جب پورا غلہ دیہات سے نکلکر شہروں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کسانوں کو خرید و فروخت کے لئے شہروں میں آنا پڑتا ہے اور اوس وقت اوسکو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑیگا - معمولی معاشیات کا اصول جاننے والے ہی پر موقوف نہیں بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسانوں کو جب دوبارہ ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ قیمت ادا کرکے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے - ایسی صورت میں اسکو بھی سیل ٹیکس ادا کرنا پڑیگا - اس شیڈیول (Schedule) میں مرچ - املی وغیرہ جیسی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جن سے کسانوں کو روزمرہ کام پڑتا ہے - وہ ان چیزوں کی حد تک خود مکتفی ہیں یہ غلط فہمی ہے - وہ زمانہ اب نہیں رہا اب دنیا بدل گئی ہے - دیہات کی زندگی بھی اب شہروں سے وابستہ ہوگئی ہے - شہروں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انکا اثر برابر دیہاتوں پر پڑتا ہے - شہروں میں کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو لازماً دیہات میں بھی بڑھجاتی ہیں - یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سرچارج کی ہم مخالفت کررہے نہیں لیکن اس بل کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بل پر غور نہیں کیا گیا ہے - معلوم ایسا ہوتا ہے کہ واڑی کا ٹکٹ لئے ہیں اور ورنگل جارہے ہیں - اگر کوئی کہے کہ بابا تم نے واڑی کا ٹکٹ لیا ہے اور تم ورنگل جا رہے ہوتو اسکو ماننے کے لئے تیار نہیں - یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے - تاجروں پر بھی اسکا اثر پڑنے والا ہے اور کسانوں پر بھی پڑنے والا ہے - مٹھی بھر لوگوں کے فائدے کے لئے جملہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے - اسطرح

سرچارج کو ختم کرکے عوام پر یہ ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے - پورے حیدرآباد کی جنتا پر اسطرح سیاس ٹیکس عائد کرنا کسی طرح درست نہیں ہے - یہی وجہ ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کررہے ہیں - نہ صرف مخالفت کررہے ہیں بلکہ پازیٹیو سورسس آف انکم (Positive Sources of Income) بھی بتا رہے ہیں اور کنسٹرکٹیو سجیشنس (Constructive suggestions) بھی دے رہے ہیں مگر بد قسمتی یہ ہے کہ اوس طرف کے آنریبل ممبرس کے کانوں تک وہ نہیں پہنچتے ہیں - آنریبل فینانس منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اگزمپٹیڈ گڈس میں اضافہ کرینگے اور اگریکنچرل انکم ٹیکس کو ہم مان لینگے لیکن دو سال ہوئے اسکے باوجود اب تک ایسا بل نہیں لایا گیا ہے - اوسکو ویسا ہی رکھکر سیل ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے - اکسپورٹ کرنے والوں کو سرچارج کے ختم کرنے سے ریلیف مل جاتی ہے ایسی صورت میں اون ہی لوگوں پر اسکا بار عائد کیا جائے تو ہمارے اعتراض کی نوبت ہی نہیں آتی - بجائے اسکے جملہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلئے ہم اختلاف کررہے ہیں - اکسس پرافٹ ٹیکس (Excess Profit tax) کے طور پر حکومت کوئی بل لاسکتی ہے اسی طرح اور بھی کئی سجیشنس ہوسکتے ہیں - اسلئے میں کہونگا کہ جلدی میں اس بل کو پاس کرنے کی بجائے اسکو ملتوی کیا جائے - سرکاری خزانے کے نقصان کی بھرپائی کے لئے کئی ذرائع ہوسکتے ہیں اون پر ہم اور آپ ملکر غور کرسکتے ہیں - ایجیٹیشن وغیرہ سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ایجیٹیشن ہو بھی تو کیا ہے آپکے پاس تو دفعہ ۱۴۴ موجود ہے - لیکن اوس سے کس حد تک ایجیٹیشن دب سکتا ہے یہ اور بات ہے - ہمارے منتری منڈلی بھی ایسے ہیں کہ جنکو کمیونیزم (Communism) اور کمیونلیزم (communalism) کا فرق معلوم نہیں ہے - اب بجٹ سیشن میں شائد آنریبل ممبر ہمارے سامنے آئینگے - اسلئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکو ملتوی کیا جائے - اتنا کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں -

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— ہم پھر ۵ - ۴۰ کو ملینگے -

The House then adjourned for recess till Forty Minutes Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Forty Minutes past Five of the Clock.

[*Mr. Speaker in the Chair*]

श्री. वि. कें. कोरटकर :—मिस्टर स्पीकर सर, जब मैंने सेल्स टैक्स का यह बिल हाअुस में पेश किया था अुसी वक्त मैंने जिस चीज को बहुत साफ तरीके से अैवान के सामने रख दिया था कि यह बिल कुछ मजबूरी के तहत रखा जा रहा है। बहुत सी बातें मैंने साफ साफ रखी थीं। जो

अेतराजात किये गये हैं अुनमें बहुत सी वही चीजें दोहराअी गअी हैं जो मैंने पहले से अेंटीसिपेट (Anticipate) कर के अैवान के सामने रखी थीं।

अेक महत्व की चीज जो अिस बारे में कही गअी है वह यह है कि अिस बिल का अिन्सिडन्स आखिर किन लोगों पर पडनेवाला है, और सरचार्ज और कस्टम का अिन्सिडन्स किस पर था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जनरल बजट की बहस के दौरान में अुस तरफ से और अिस तरफ से, दोनों तरफ से अिस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि सरचार्ज और कस्टम का जितना भी बोझ है वह काश्तकारों पर पडता है, और किसी पर नहीं पडता। बहरहाल अुस वक्त भी मैंने कहा और मेरे पहली स्पीच में भी मैंने कहा था, अुसी को फिर अिस वक्त भी कहने की जुरंत करता हूं कि किसी भी टैक्स का अिन्सीडन्स अेकदम किसी अेक तबके पर कभी नहीं पडता। सरचार्ज और कस्टम का बोझ भी अुस वक्त कुछ बाहर के लोगों पर पडता था, कुछ काश्तकारों पर पडता था और कुछ व्यापारियों पर पड़ता था। अिस तरह से मैंने अर्ज किया था कि यह जो सेल्स टैक्स लगेगा अुसका बोझ भी किसी अेक खास तबके पर पडनेवाला नहीं है। अिससे अेक तो तबका बदल जाता है, और दूसरा अैसा होता है कि पहले जो थोडीसी तादाद पर टैक्स था वह बहुत बडी तादाद पर फैल जाता है, और अुसका परिणाम यह होता है कि जो थोडीसी तादाद को महसूस होता था वह अब महसूस नहीं होगा। मैंने यह भी कहा था कि अिसी लिये यह टैक्स अेक तरहसे मुन्सफाना टैक्स है, और अब भी मेरा विचार यही है। क्योंकि जैसा कि विरोधी दलके नेताने कहा १४ आने पर हेड पड़ेगा, मुमकिन है १२ आने पर हेड पडेगा।

मैंने हाअुस में कहा था कि अिस टैक्स से होनेवाली पूरी आमदनी करीब १ करोड २८ लाख है। अिस वक्त जो टैक्स हम छोड रहे हैं वह अेक करोड ७८ लाख छोड रहे है, और अनकरीब में बाकी बचा हुआ २२ लाख भी छोड देंगे। अुसके लिये मैंने हाअुस के सामने रखा था कि अिस तरफ की पार्टी का बहुत ही ज्यादा अिसरार है कि जो छोटा सा टैक्स रह गया है अुसके लिये भी ६ महीने तक अिन्तजार मत कीजिये, और जितनी जल्द हो सके अुतनी जल्द अिसको निकाल दिया जाय। बहुत से लोगों ने अिशारतन भी कहा है कि डिसेंबर के आगे नहीं जाना चाहिये और मैं भी अुसके लिये बराबर कोशिश करूंगा।

हाअुस के सामने यह रखना चाहता हूं कि अिस टैक्स की तरफ किस लाअिट में देखना चाहिये। अिसमें दो करोड का टैक्सेशन छोड दिया जा रहा है, और सिर्फ १ करोड २८ लाख के टैक्स का अिन्तेजाम किया जा रहा है। अिसके माने यह हो जाते हैं कि करीब करीब ७२ लाख टैक्स कम लिया जायगा। अिस लाअिट में लें तो आपको यह ज्यादा आक्षेपार्ह नहीं मालूम होगा।

अिसके बारे में यह भी कहा गया कि टैक्सेशन के लिये दूसरी कोअी चीजें आप क्यों नहीं देखते ? मैंने पहले अर्ज किया था कि कम से कम मुझे १ करोड ७८ लाख की रकम किस तरह से पूरी की जाय अिसके लिये कोअी चीज नजर नहीं आअी। अेक वक्ताने अेग्रीकल्चरल अिनकम टैक्स और अेक्सेस प्रॉफिट टैक्स के बारे में कहा। अेग्रीकल्चरल अिन्कम टैक्स बढायें तो बहुत थोडी आमदनी होगी, और अेक्सेस प्रॉफिट टैक्स अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अुसका कोअी मामला हमारे सामने अभी नहीं है। यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया से ग्रांट क्यों नहीं लेते

जब कि फायनान्शियल अिंटीग्रेशन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है ? अिसके लिये मैं अितना ही अर्ज कर सकता हूं कि अिसके बारे में आपस में कुछ मुहाअिदे हुअे हैं। जिस वक्त वे हुअे अुस वक्त जैसा आप समझते हैं वैसा मैं भी समझता था कि हमारा हिस्सा जितना मिलना चाहिये था अुतना नहीं मिला है, और अुसके लिये आपको मालूम है कि पिछले साल जो अिनकम टैक्स कमीशन अेन्क्वायरी के लिये यहां आया था कि किस तरह से अुसको बांटा जाय, तो हमारी गवर्नमेंट ने अपना क्लेम अुनके सामने रखा था, और अुसका नतीजा यह हुआ कि अुस वक्त हमारी ग्रांट करीब अेक करोड से बढा दी गअी थी, और वह अिस वक्त भी ज्यादा हुअी है। अब अिन चीजों की वजह से ग्रँट कितना बढाया जा सकता है यह सवाल रहा। मैं आपकी अिनफरमेशन के लिये रखना चाहता हूं कि अिसके लिये खास तरीके हैं। कान्स्टीटयूशन के तहत फायनान्स कमीशन पांच पांच साल के लिये मुकर्रर होता है, अुस वक्त हम अपना क्लेम अुनके सामने रख सकते हैं। यह क्लेम जरूर रखा जायगा और यह भी मैं आपकी अिनफारमेशन के लिये रख सकता हूं कि यह फायनान्स कमीशन बहुत मुमकिन है पांच साल के पहले भी मुकर्रर किया जायगा, और मुझे अुम्मीद है कि पिछले साल के कमीशन में जिस तरह से हम यशस्वी हुअे अुसी तरहसे अिसमें भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वह अेक आनेवाली चीज है।

अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढा होगा कि अैसेहि अेक दूसरे मामले के तहत मैं जब केन्द्र सरकार के पास गया था तो अुन्होंने अुसको बहुत सहानुभूति के साथ सुना, और हमारी लायबिलिटी (Liability) फायनान्शियल अिंटीग्रेशन (Financial Integration) के वक्त जितनी कायम की गअी थी अुससे बहूत कम कर दी गअी है, और अुसमें करीब करीब १५ करोड का फायदा हुआ है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—क्या अिसकी वजह से डेट ऑफ रिडम्शन क्या होगा और अिंटरेस्ट क्या रहेगा अिन चीजों को वाजे किया जा सकता है ?

श्री. वि. के कोरटकर :—अिसका पूरा ब्यौरा अभी मेरे पास नहीं है। आपने कहा था कि अैसी कोशिश क्यों नहीं करते, तो मैंने जाहिर किया है कि अिस तरह की कोशिश की जा रही है और की जायगी। कोशिश करना सभी का काम है क्योंकि जो पैसा बचेगा वह हमारे लिये बचेगा। लेकिन अिसका पूरा ब्यौरा बजट के वक्त हाअुस के सामने रखूंगा कि डेट ऑफ रिडम्शन, के लिये कितना जायगा, और हमारे पास कितना बचेगा वगैरा। क्यों कि अभी हिसाबात होने के हैं लेकिन प्रिन्सिपल तय हो गया है। सादे तौरपर मैंने हिसाब लगाया है कि हमारी लायबिलिटी करीब १५ करोड से कम हो जायगी। अिन चीजों को केन्द्र सरकारने भी सहानुभूति से सुना है।

यह जो कहा जाता है कि ग्रान्टके लिये मैंने नहीं कहा है तो वैसी बात नहीं है। मैंने यह चीज गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया के सामने रखी थी। दूसरे भी स्टेट जिनके सामने कस्टम का सवाल है अुन्होंने भी कहा था कि ग्रांट ज्यादा दी जाय। केंन्द्र सरकार का अिसके लिये अेक ही आर्ग्यूमेंट था कि ग्रांट दी जाय यह कहना सहल है मगर सही नहीं है। क्योंकि आखिर वह भी कहां से देंगे ? कोअी भी गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स लगाकर ही दूसरों को ग्रांट देगी। अिसके माने यह हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया हिंदुस्तान के दूसरे लोगों पर टैक्स लगायें और अुसमें से सव्वा करोड रुपया हमको

दें। मैं समझता हूं कि अुनका यह जवाब बिल्कुल सही है कि दूसरे लोगों पर टैक्स लगाकर आपको ग्रांट नहीं दी जा सकती। अिन चीजों के लिये आपको अपना पैसा खुद मुहैया करना पडेगा।

यह जो दस पांच चीजें कही गअी थी अुनको मैंने हाअुस के सामने रख दिया हैं। अेक चीज पर जोर दिया जा रहा है और वह है सिंगल पॉअिंट सेल्स टैक्स और मल्टीपल पॉअिंट सेल्स टैक्स। मैंने बहुत वक्त हाअुस के सामने रखा है कि मेरी आत्मा अिसके लिये पूरी तरह से खुली है। बंबअी और मैसूर में जो दो कमेटियां मुकर्रर की गअी थीं अुनकी रिपोर्ट को मैंने पूरी तरह देखा है। अुनका मतलब यह है कि सिंगल पॉअिंट सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स खो जाने के बहुत चान्सेस है।

हमारे देशमें दो तरहके स्टेटस हैं। कुछ स्टेटस अैसे हैं जिनको सेल्स टैक्स की आमदनी की फिकर नहीं है जैसे मध्यप्रदेश है, जहां सरप्लस बजट है, अुनको ज्यादा फिकर नहीं है। लेकिन जिन स्टेटस् को अपनी आमदनी सेल्स टैक्स से बढाना है अुनको मल्टीपल सेल्स टैक्स के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत वक्त कहा जाता है कि बंबअी में सिंगल पाअिंट सेल्स टैक्स है, लेकिन अिसमें असलियत नहीं है। वहां पर भी दो पॉअिंट पर टैक्स है। वहां के ओहदेदार भी बडे परेशान हैं कि अिसको किस तरह से लागू किया जाय। अुनके ही बनाये हुये नियम अुनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं अितना रख सकता हूं कि बंबअी में भी सिंगल पॉअिंट सेल्स टैक्स सब चीजों पर नही है। मेरी आत्मा अभी भी खुली है। अिस वक्त मैं अिसके तफसील में नहीं जाता लेकिन अितना कहना चाहता हूं कि अगर अेक रजिस्टर्ड डीलर पहला टैक्स टालता है तो अुसको तो वह खरीद दारसे मिलता है परन्तु सरकारमें जमा नहीं होता। मैंने अिन दोनों रिपोर्टों को अपनी पार्टी के लिये मंगवाया है। मैं अिस बात की कोशिश करूंगा कि ये दोनों रिपोर्टस् लीडर ऑफ अपोजीशन के पास भी पहुंच जायें।

अिसके बाद मैंने मर्चंटस् से भी कहा था कि आप अेक स्कीम बनाकर दीजिये जिससे टॅक्स कें टालने का मौका न रहे। मैं अुसको मानने के लिये तैयार हूं। अुस तरफ से केरोसीन के बारे में अेक कटमोशन रखा गया है। कटमोशन के वक्त मैं अुसके बारे में तफसीलसे बहस करूंगा। अिस वक्त अितना ही कहुंगा कि केरोसीन पर सिंगल टैक्स मानने के लिये मुझे कोअी बाधा नही है। अुस पर सिंगल टैक्स बराबर आयद किया जा सकता है, अिसको मैं मानता हूं, और अिसलिये आपका कटमोशन भी मैं कबूल कर लूंगा।

अेक महाशय ने यह भी कहा था कि अिस वक्त हमें सोचना चाहिये कि दरामद किस तरह रोकी जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि अिस वक्त यह कान्स्टीटयूशन के खिलाफ है। दरामद बरामद को अेक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में नहीं रोका जा सकता। जब तक कान्स्टीटयूशन है और जब तक धंदे की स्वतंत्रता है, अुस वक्त तक यह नहीं रोका जा सकता, और अुस वक्त तक हमारा अुधर रूझान भी नहीं हो सकता———

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आप अिस बात को वाजे कीजिये कि अनाज पर सिर्फ मार्केट में ही टैक्स लिया जायगा, वह किस तरह लिया जायगा? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स यह कह रहे थे और शायद आपने भी कहा था कि सिर्फ मार्केट में अनाज पर टैक्स लिया जायगा।

श्री. वि. के. कोरटकर :—यह परचेस टैक्स रहेगा जैसा कि अिस वक्त अेग्रीकल्चरल प्रोडयूस पर लिया जाता है और आपको अिस बात का डर था कि यह टैक्स शायद पांच छ : जगहों पर लिया जायगा। अेग्रीकल्चरल प्रोडयूस के सेल्स टैक्स के बारे में हमारा जो तजरूबा है यह पांच छ: जगहों पर कहीं भी नहीं लिया जाता। होलसेल डीलर और रीटेल डीलर से लिया जाता है। लेकिन अिसमें अेक चीज हमारे सामने रखी गअी और वह महत्वपूर्ण है कि हॉटेल में खाने की चीजें पकाअी जाती हैं तो अुस पर भी टैक्स पडेगा। होटलों पर हमने अभी तक कोअी टैक्स नहीं रखा है। अुनके लिये लायसेन्स फी अलग रखी गअी है, क्योंकि अुनके लिये लायसेन्स फी है, और अुसको बढाने का अिरादा हो तो वह हम अेडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते हैं। अिसलिये अिस पॉअिंट पर मैं जरूर सोचूंगा अितनाही कहना चाहता हूं। होल सेल डीलर अगर रीटेलर को बेचता है तो टैक्स रीटेलर से लिया जायगा, लेकिन कमीशन अेजंट पर कोअी टैक्स नहीं रहेगा। अुन पर परचेस टैक्स नहीं है। होलसेल डीलर जहां खरीदेगा वहां अेक पॉअिंट लिया जायगा और रीटेलर जहां होल सेल डीलर से लेगा वहां अेक पॉअिंट लिया जायगा। आम कमोडिटीज के सेल्स टैक्स जिस तहर वसूल किये जाते हैं अुसी तरह से काश्तकारों से वसूल नहीं किया जायगा। अुनसे वसूल करने के लिये अिस बिल में कोअी चीज नहीं है।

आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि अिस बिल के विवाद को मुल्तवी नहीं करना चाहिये। अिसमें अेक बडा अच्छा पॉअिंट लाया गया है कि १ करोड ७८ लाख की आमदनी गव्हर्नमेंट ने छोडी है और अुसके बजाय १ करोड २८ लाख का टैक्स लगाया है।

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a first time."

The Motion was adopted.

Shri. V. K. Koratkar : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be read a secon time"

Mr. Speaker: Motion moved.

Shri V. D. Deshpande : Mr. Speaker, Sir. I wish to move a Motion under Rule 115 of the Hyderabad Legislative Assembly Rules to the effect that this Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon within four months.

Mr. Speaker : Yes. The hon. leader of the Opposition can move it by way of an amendment to the motion already moved by the Member-in-charge of the Bill.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move.

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (2nd Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion theron, within four months."

Mr. Speaker : Amendment moved.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन अभी अिस बिल के सेकंड रिडिंग के लिये पेश हो रहा है, अिसके पहले मैंने फायनान्स मिनिस्टर साहब की तकरीर काफी गौर से सुनी। लेकिन मैं अुनकी तकरीर से मुतमैन न हो सका, और मैं यह महसूस कर रहा हूं कि अिस बिल को अितनी अुजलत के साथ मंजूर न कराया जाय। आज आप तमाम अनाज खुरदनी पर टॅक्स लगा रहे हैं जिसका संबंध तमाम अव्वाम से आता है। अैसे टॅक्स को हम कबूल नहीं कर सकते और न अव्वाम अिसे कबूल कर सकती है। बहुत कुछ आरग्यूमेंटस (Arguments) रखे गये थे लेकिन अिसके सिलसिले में मुझे अेक किस्सा याद आ रहा है कि अेक आदमी के हाथकी जंजीरें छोडी गअीं लेकिन अुसके पैर में जंजीरे डाल दी गअीं, वैसा ही यह किस्सा हुवा है। आपने सरचार्ज और कस्टम को हटा दिया लेकिन सब अनाजों पर सेल्स टॅक्स लगाकर कॉमन मॅन के पैर में जंजीरें डाल दी हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—काश्तकारों के पैर में नहीं हैं।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—आप अगर अुनके हाथ में जंजीरें रखते तो कुछ नही होता लेकिन आज तो आप अुनके हाथ की जंजीरें तोड कर अुनके पैरों में जंजीरें डाल रहे हैं। आपका जो १ करोड और ७८ लाख का डिफिसिट हैं, जिसमें बीस लाख का कस्टम आ जाता है, यह डिफिसिट कैसा पूरा किया जाय, यह आपके सामने सवाल है। अुसको हल करने के लिये आप आवाम के अनाज खुर्दनी पर सेल्स टॅक्स आयद करना चाहते हैं। हुकूमते हिंद का जो अिसेन्सशियल गुड्स अॅक्ट (Essential goods Act) है अुसमें जो चीजें आती हैं अुसपर टॅक्स नही लगाया जा सकता। लेकिन आपने गव्हर्नमेंट ऑफ अिंडिया से अुसके लिये अिजाजत मांग ली है और आज आप तमाम अव्वाम पर अिसके जरीये टॅक्स लगा रहे हैं। कस्टम्स और सरचार्ज निकालने के बाद जो डिफिसिट आता है अुसे पूरा करने के लिये आपको अिस टॅक्स के लगाने की जरूरत नही थी। अुसके लिये आप दूसरे भी जरिये ढूंड सकते थे। मुझ को अगर पूछा जाय तो मैं कह सकता हूं कि हुकूमत चाहती तो दूसरे जरिये बराबर ढूंड सकती थी। लेकिन वह चाहती नहीं। जिसका नतीजा यह हुवा कि आज आवाम के फुड पर भी सेल्स टॅक्स बैठ रहा है। आज मुआविजे के तौरपर काफी रकम हुकूमत को देनी पड रही है। अुसी तरह जो प्रिवी पर्स (Privy purse) दी जा रही है अुसे भी कुछ कम किया जाय तो आपको कुछ रकम हासिल हो सकती है। अिसके बारे में हैदराबाद सरकार को सोंचना चाहिये। १ करोड ५८ लाख का जो डिफिसिट आ रहा है अुसको पूरा करने का सवाल हमारे सामने है। आज आप निजाम को प्रिव्ही पर्स के तौर पर ५० लाख रुपया दे रहे हैं। हमारा तो कहना है कि अिसे कतअी देने की जरूरत नही है, लेकिन आप अिसे नही मानेंगे

लेकिन अुसमें से भी पांच दस .... गाय तो आपको ३०-४० लाख रुपये मिल सकते हैं। अुसी तरहसे कॉंपेन्सेशन के बारे में जो अॅग्रिमेंट (Agreement) या मुहाअदा जागिरदार या जमीनदारों से हुकूमत का हुवा है अुसे भी हालात के लिहाज से रिवाअिज (Rev.se) किया जा सकता है। यह जो कॉम्पेनसेशन हुआ है अुसे आप अेक बटे चार पर लाकर कम करें तो आपको और कुछ रकम मिल सकती है। डेट्स (Debts) रिझमशन (Resumption) के लिये जो रकम रखते है वह भी कम की जा सकती है। अिस तरह से यह जो १ करोड और ५८ लाख की कमी बताअी जा रही है अुसे पूरा करने के लिये अलग अलग रास्ते सोंचे जा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन है अुसमें यदि कुछ कमी की जाय तो और भी रकम हमें मिल सकती है अिसपर भी अगर यह जो डिफिसिट हैं व पूरा नही हो सकता है तो फिर वैसी हालत में नये टॅक्स आयद करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन में समझता हूं कि अेकदम पहले ही अिस तरह से अनाज खुरदनी पर टॅक्स लगाना मुनासिब नही है। अगर हम टॅक्स बाद में लगाना चाहिंगे तो दूसरे जराये टॅक्स के निकालने चाहिये, न की आवाम के आम चीजों पर जरूरियात जिंदगी पर टॅक्स लगा दिया जाय। लेकिन अिस तरह से अिंडायरेक्ट टॅक्सेशन (Indirect Taxation) का अुसूल ठीक नहीं हो सकता। यह प्रोग्रेसिव्ह स्टेप (P ogressive step) नही हो सकती है। जब आप ने सरचार्ज और कस्टम खतम किया है और आप जब अेक नया टॅक्स लगाना चाहते हैं जो की सारी अव्वाम पर असर करता है तो अिस बिल को अिस सेशन में लाने के बजाय बजेट सेशन के वक्त लाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। बजेट सेशन के वक्त गव्हर्नमेंट की जो नअी पालिसीं होती है वह सामने रखी जाती है और अुस वक्त ज्यादा सोंचने का मौका मिलता है। अिसे भी आम बजेट सेशन के वक्त सामने रख सकते थे लेकिन अिसे १२ सितंबर को हाअुस में पेश किया गया और आज अिसे पास करवाने के लिये कहा जा रहा है। जब अेक मजीद बडा टॅक्स करीब डेढ करोड का आयद कर रहे हैं और यह टॅक्स आम अव्वाम पर लादना चाहते हैं तो अुनकी राय लेना जरूरी था। लेकिन वह नही ली जारही है और आप का गढा बन्द करने के लिये अपने भाअी को गढे में डाल रहे हैं। यह आप की पालिसी ठीक नही है। यह ख्याल किया जा रहा है कि अगर यह बिल कल पास न किया जाय तो हमारे कस्टम और सरचार्ज जो कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग खतम करना चाहते थे वह खतम नहीं होंगे, अिस लिये अिस बिल को आज ही पास कर देना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अुसका अिस बिल से कोअी तालुक नहीं है। गव्हर्नमेंट ने तो पहले ही अैलान कर दिया है कि अक्टूबर से हम सरचार्ज और कॅस्टम खतम कर रहे हैं और वह तो अुन्हे किसी हालत में करने ही पडेंगे चाहे यह बिल आज यहां पास हो या न हो। अिस बिल के आज पास होने या न होने का अुससे कोअी तालुक नही है। अिससे जो डिफिसिट आनेवाला है अुसके बारे में हम काफी संजीदगी के साथ सोंचने की जरूरत है और अिसके बारे में अव्वाम की क्या राय है यह भी मालूम कर लेना चाहिये। अिसको पूरा करने के लिये और भी चीजें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं ने अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स के बारे में कहा था कि आज जो १० हजार रुपये के अूपर अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स लगाया जा रहा है अुसे अगर ३६००की आमदनी पर रखा जाय तो मुनासिब होगा। सिलिंग के लिये भी हमने यह आमदनी रखी है। अिससे हमारा ज्यादा फायदा होगा और अॅग्रिकल्चरल अिनकम टॅक्स हमें ज्यादा मिलेगा।

अब अिस बिल के जरिये जिन चीजोंपर सेल्स टॅक्स लगाया जा रहा अिसके बाद अब अैसी कौनसी चीजें बची हैं कि जिनपर अबतक सेल्स टॅक्स नहीं लगाया गया। करीब करीब आपने सभी चीजोंपर सेल्स टॅक्स लगाया है। अब सिर्फ अफीम, गांजा, ओपियम, और खादी का कपडा अैसी ही चीजें अिस सेल्स टॅक्स से बची हैं। बाकी तमामपर सेल्स टॅक्स लग चुका है। जो सेल्स टॅक्स जंग के जमाने में अेमरजन्सी (Emergency) के तौर पर लगाया गया अुसे अब कानून बनाया जा रहा है। यह अेक रिग्रेसिव्ह टॅक्स (Regressive tax) है। यह अेक रिग्रेसिव्ह टॅक्स माना गया क्योंकि तमाम जनता को अिसे देना पडता है। लेकिन अिस तरह का जो रिग्रेसिव्ह टॅक्स है अुसे आज के डेमोक्रटिक सेट अप (Democratic set up) में लगाना मुनासिब नहीं है। अिस तरह का रिग्रेसिव्ह टॅक्स लगाकर हुकूमतसे मुल्क की तरक्की कैसे अुम्मीद कर सकते हैं ? मैं समझता हूं की हुकूमत को अिसके बारे में ज्यादा सोंचना चाहिये। अिस लिये यह जो बिल पेश किया जा रहा है अुसे पब्लिक ओपिनियन (Public opinion) के लिये भेजने की जरूरत है क्योंकि अिस बिल के जरिये से हम तमाम अव्वाम पर अेक बडा टॅक्स आयद कर रहे हैं। हम अिसे बेपारियों के सामने भी रख सकते हैं कि हमारा कस्टम्स और सरचार्ज निकालने की वजह से जो नुकसान हो रहा है अुसे पूरा करने के लिये आप कुछ रास्ता सुझाअीये। अुनके सामने यदि अिन चीजों को रखा जायतो वे भी अुसके बारेमें सोंच सकते हैं और अपनी राय हुकूमत को दे सकते हैं। अब तक सेल्स टॅक्स से जो रकम वसूल हुअी है वह ६० लाख से ज्यादा है। अैसे मौके पर अिसके बारे में तमाम लोगों को सोंचनेंका मौका देना चाहिये। मैंने तो यह भी सुना है कि कॉंग्रेस पार्टि के कुछ अेम. अेल. अेज. ने भी यह सुझाया था कि कम से कम जवारी, चांवल अैसी चीजों पर सेल्स टॅक्स न लगाया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि यह बिलकुल आम जनता का फुड है। अुसके बारे मे सोचना जरूरी था। लेकिन सबको अेक ही लाठी से रास्ते पर लाने की कोशिश की जारही है, और सब के लिये अेक ही टॅक्स आयद किया जा रहा है। लेकिन अिसके लिये तो जरूर सोंचा जाना चाहिये था। आज लोगों की परचेजिंग पॉवर (Purchasing power) कम हो गअी है, अिस लिये बाजारों में अनाज के भाव कम हो रहे हैं। आप यदि अिन अनाजों पर टॅक्स आयद करेंगे तो जनता भूखे रहकर आपके टॅक्स देगी। आज यदि वह ६ औंस खाती है तो कल ५ औंस खायेगी और आपके टॅक्स देगी। अिसलिये मेरा कहना है कि अिसको पब्लिक ओपिनियन अिलिसीट (Elicit) करने के लिये भेजा जाना चाहिये। हाअुस ऑफ पिपुल में भी अिस तरह का प्रोसिजर (Procedure) है और जब कोअी अहम बिल, आता है, जैसे हिंदू कोड बिल था, तो वह अव्वाम के ओपिनियन के लिये भेजा गया था और अव्वाम की अुसपर क्या राय है यह पहले जान लिया गया था। अुसी तरह मेरा यह सुझाव है कि अिस बिल को भी पब्लिक ओपिनियन अिलिसीट करने के लिये भेजा जाना चाहिये और बाद में तीन चार महीने के बाद अुसको लिया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि टॅक्स अिन्क्वायरी कमिटी जो अपॉअिंट की गअी थी क्या अुसकी रिपोर्ट गव्हर्नमेंट के पास आअी है ? और अुन्होंने जो सिफारिशात की अुसमें क्या यह भी सिफारीश है कि अिन चीजों पर भी टॅक्स लगाया जा सकता है ? अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आअी है तो अिसे

पास करने की अितनी जल्दी क्यों की जा रही है ? मेरा सुझाव है कि अिसे फर्स्ट रिडिंग के बाद ही अब पब्लिक ओपिनियन अिलिसिट करने के लिये भेजना मुनासिब होगा। मैं अुमीद करता हूं कि फायनान्स मिनिस्टर साहब मेरी अिस सूचना को मान लेंगे और अिस बिल को मुल्तवी कर देंगे।

श्री. वि. के. कोरटकर :—अध्यक्ष महोदय, अभी जो मोशन हाअुस के सामने आया है अुसका मैं विरोध करना चाहता हुं। मैंने कअी मर्तबा कहा है कि हमने जो सरचार्ज या कस्टम निकाले वह कोअी दिखावट के लिये नहीं निकाले किंतु पब्लिक की बहुत दिनों की यह मांग थी। और अुनके दबाव के कारण हम अिसे निकाल रहे हैं। अुसकी वजह से जो नुकसान होनेवाला है अुसे तो पूरा करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट का खर्चा चलाना तो लाजमी है। अगर अिस कमी को अभी तुरंत पूरा न किया जाय तो स्टेट का खर्चा चलाना नामुमकिन है। अिस लिये यह बिल अितने जल्दी आपके सामने रखा जा रहा है। हमारा बजेट पहले से ही घाटेका है। हमारे बजेट में करीब १ करोड का घाटा तो रेव्हेन्यू साअिड में है और ७० लाख का घाटा कॅपिटल अकाअुंट्स में है। अिस तरह से करीब दो करोड का तो पहले ही घाटा है। अुसके अंदर यदि अेक करोड और अठ्ठावन लाख का यह जो घाटा आ रहा है अुसे भी जोडा जाय तो फिर गव्हर्नमेंट का काम चलाना बडा मुश्किल हो जायेगा। अिस लिये मैं दरखास्त करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है अुसे अिसी सेशन में मंजूर किया जाय। नहीं तो हमें बडे तकलीफ का मुकाबला करना पडेगा, और हमारा खर्चा चलाना नामुमकिन होगा।

Mr. Speaker : I shall now put this amendment to vote. The question is :

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, within four months."

The motion was negatived.

Shri Annajirao Gavane : Mr. Speaker, Sir. I demand a division.

The House then divided :

Ayes 33 Noes 41.

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

The motion was adopted.

Clause 2.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

"That in line 6, for 'six', substitute, 'three'.'

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. *Venkat Rama Rao* (*Karimnagar*) : Sir, I beg to move :

"That after line 8, add :

'(*ix*) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Officeal Gazette'."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : Sir, I beg to move :

"That after line 8, add :

'(*ix*) So much of the turnover as is attributed to transactions in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh need not move his amendment as it seeks to omit the clause.

Shri V. D. Deshpande : Sir, I moved my amendment very reluctantly and to make the best of the worst situation. I am opposed to this Bill ; but, at the same time, I want to modify it if possible so as to make it less cumbersome to the common man ; and from this point of view, I have given my amendment, namely, to substitute 3 pies in the place of 6 pies.

As it stands now, the clause reads thus :

"So much of the turnover as is attributable to transactions in cotton including kapas shall be liable to tax at the

rate of six pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the Official Gazette."

Here, the tax to be levied on cotton and kapas is suggested at the rate of 6 pies in the rupee and I am suggesting 3 pies, in view of the fact that the textile industry in Hyderabad and the Handloom industry in Hyderabad utilise cotton and kapas. Now due to the removal of surcharge, the kapas and cotton will be demanded more and more outside and there will be dearth of it in the textile mills in Hyderabad and also for the handloom industry. Naturally, prices in Hyderabad will go up. Added to this, the sales tax, as it is proposed here, will make the cloth here costlier and the cloth which is the common man's goods should be within his reach. Therefore, I firstly feel that there should be no tax on cotton and kapas as such because after it is turned into cloth it is already made taxable. The very commodity will thus be taxed twice-once as a raw material and again when it is turned into cloth. This injustice, I am of the opinion, is not warranted by the situation. There is another amendment opposing the very clause as such. But my amendment is a reasonable one or appears to be a reasonable one at least by suggesting 'let the tax be there, but let the rate be 3 pies instead of 6 pies'.

That is the amendment that I have proposed.

My second amendment is regarding kerosene. Hon. Minister for Finance has assured me that he will have no objection to accept my amendment. Its reasonableness is quite evident to the members in view of the fact that before I moved it the hon. Finance Minister felt agreeable to it. So I need not dilate on that point as such. But as I have earlier expressed the view, kerosene also is a common man's commodity and its taxing will interfere with the light facilities that ought to be available in the Taluk and District places to the common man. It is the common man who uses kerosene in large quantities and if the Government cannot give them more light, it should not at least deny them the existing light. This tax on kerosene amounts to denying light to them or rather reducing the facility of light to the common man and if on any day either on the eve of the election or during the course of the election the villagers or people in taluk places or such places where electricity is not available

remember the Government, it is with this sentiment that this is the Government which has meant for them little more darkness and little less light. I do think the Government will have to go to the electorate if not immediately, at least after 2 years, or even if they are postponed for a time due to the exigencies of linguistic states, sometime thereafter; and in due course they have to reply to the common man in whose small pocket the franchise resides; and in order to save the position of the Government to some extent and in order to enable the common man feel that the Government has not cut the light completely but only partially, I have brought forward this amendment and I think the Government will have no objection to accept my amendment regarding kerosene.

About the other amendment, I will simply say one thing about it. My suggestion is that cereals etc. should not be taxed and I have made myself clear on that point. If it is to be taxed, it should not be taxed more than once and that taxing should be only in such markets as are prescribed. The Government should announce that in certain markets, say, Jalna, Latur,, etc. those commodities which come there for sale alone would be taxed and they will not be taxed ordinarily in the markets, in the ordinary retail shops of retail shop-keepers or when converted into the forms of attas or in the form of certain eatables in hotels. All these stages should be removed and the tax should be restricted to such markets as are prescribed. The hon. Member who has moved the amendment will make the point further clear.

I, therefore, request the hon. Finance Minister to think ten times before rejecting this particular modification of the tax which the hon. Member has proposed.

*شری سی ایچ - وینکٹ رام راؤ :— مسٹر اسپیکر سر - اس ٹیکس کے تعلق سے غور کریں تو اس چیز کو ماننا پڑیگا کہ یہ ٹیکس دو اشخاص پر عائد ہوگا - ایک کنزیومر (Consumer) اور دوسرا پروڈیوسر (Producer) جنرل ڈسکشن میں آنریبل منسٹر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دوسرے لوگوں پربھی اسکا اثر پڑسکتا ھے - لیکن میں کہونگا کہ دوسروں پر اسکے اثرات پڑنے والے نہیں ھیں صرف کنزیومر اور پروڈیوسر پر ھی پڑینگے - اودھر کے آنریبل ممبرس نے جنرل ڈسکشن کے وقت یہ کہا ھے کہ اس بل کا سواگت کرنا چاھئے تھا بجائے اسکے اپوز (Oppose) کیا جارھا ھے - اور محض ایجیٹیشن کرنے کی خاطر ڈھول اچھالنے کی کوشش کی جا رھی ھے اور ٹائم مانگا جا رھا ھے لیکن اوف آنریبل ممبرس کو یہ بتانا چاھتا ھوں کہ صحیح معاملات پر عوام کی رائے کو

یکجا کرنا کوئی غلط طریقہ نہیں ہے - ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کررہے ہیں - ہم عوام کے نمائندے ہیں اور اسی لئے یہاں آئے ہیں کہ صحیح باتوں کے متعلق عوام کی رائے کو یکجا کریں - ہم یہ کام بجا طور پر کررہے ہیں- میں اپنے امنڈمنٹ کے سلسلہ میں صاف صاف طور پر یہ بتانے کی کوشش کرونگا کہ ایک چیز پر کتنی جگہ سیل ٹیکس عائد ہوگا - جسطرح بل کی موجودہ صورت ہے اگر اسکو منظور کرلیا جائے تو کتنی جگہ ٹیکس دینا پڑیگا - مثال کے طور پر میں دھان کا ذکر کرونگا - دھان تیار ہوتے ہی فروخت کیا جائیگا اوسکو ایک شخص لیگا وہ ٹیکس ادا کریگا - لازمی طور پر قیمت کا تعین وہ اسطرح کریگا کہ اوس میں سیل ٹیکس شامل ہوگا - اسکے بعد وہ دھان چاول کی شکل اختیار کرلیگا - تاجر خریدینگے اور اسکو چلر فروش کو بیچےگا - ایسی صورت میں تاجر چلر فروش سے سیل ٹیکس لیگا - اسکے بعد چلر فروش چاول کھانے والوں کو فروخت کریگا اور اون سے سیل ٹیکس لیگا - اس سے ظاہر ہوگا کہ اسکا اثر راست طور پر کنزیومرس پر پڑیگا - یا جو لوگ چوڑوا - مرمرے وغیرہ تیار کرینگے تو ان پر یہ ٹیکس عائد ہوگا - آٹا تیار کرینگے تو ان پر عائد ہوگا اور بالآخر کھانے والوں پر اسکا اثر پڑیگا - ہوٹل میں ریفرشمنٹ (Refreshment) تیار ہونگے تو اون کو دینا پڑیگا - بہرحال کنزیومر پر بار پڑیگا یا پروڈیوسر پر - اسطرح گویا آپ پانچ چھ جگہ سیلس ٹیکس لینگے - اور کنزیومر پر اسکا بار بڑھتا جائیگا - کیا ان ہی حالات کی موجودگی میں آپ ہم سے خواہش کرتے ہیں کہ ہم اس بل کا سواگت کریں اور آپکو مبارکباد دیں - ہمارا یہ مطالبہ بالکل واجبی ہے کہ اس پر بعد میں سوچا جائے - چنانچہ ہم نے آلٹرنیٹیو امنڈمنٹ (Alternative amendment) بھی پیش کیا ہے - پانچ چھ مرتبہ کنزیومر اور پروڈیوسر کو جو سیل ٹیکس دینا پڑ رہا ہے یہ درست نہیں ہے - جہاں تک مجھے علم ہے آپکو آپکے اڈوائزر نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ حیدرآباد کے عوام اب اسکے متحمل نہ ہونگے کہ ان پر مزید ٹیکسس عائد کئے جائیں - جب ایک مرتبہ کوشش کی گئی اور آپ نے نہیں مانا تو ہم نے آلٹرنیٹیو امنڈمنٹ پیش کیا ہے - تاکہ کسانوں پر کم سے کم بار عائد ہو - کم سے کم ایک پوائنٹ پر سیلس ٹیکس ہو اور وہ تین پائی ہو - میں مانتا ہوں کہ جتنا پیسہ آپکو ملنا چاہئے نہیں ملیگا - تین پائی رکھینگے تو بار تو ہوگا لیکن پھر بھی کم ہوگا - اسلئے وہ برداشت کرنے کے قابل ہونگے - ایک پوائنٹ پر تین پائی رائس (Rice) وغیرہ پر رکھا جائے تو مناسب ہے - میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ امنڈمنٹ واجبی ہے اسلئے امید ہے کہ اسکو ھاؤس قبول کریگا -

* شری بی - ڈی - دیشمکھ :— مسٹر اسپیکر سر - فرسٹ ریڈنگ کے موقع پر اس بل کے بارے میں میں نے اپنے تفصیلی خیالات کا اظہار کیا ہے - میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسینشیل گڈس (Essential goods) جنکو شیڈیول میں اگزمپٹیڈ گڈس (Exempted goods) میں رکھا گیا تھا انکو بھی اسکی زد میں لانے کی

کوشش کی جا رہی ہے - اس کے لئے دفعہ ۲ رکھا گیا ہے - دستور کے دفعہ ۲۸۶ کے لحاظ سے میں کہونگا کہ سنٹرل ایکٹ بن چکا ہے اوسکے ضمن ۳ کے لحاظ سے پریسیڈنٹ کی اسنٹ (Assent) لازمی ہوجائیگی - اسینشیل گڈس کے بارے میں دفعہ ۲۸۶ کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضمن ۱ اوس سے متعلق ہے - یہ قانون بننے کے بعد آیا وہ لاگو ہوگا یا نہیں - دالیں - کپاس وغیرہ دوسرے پراونسس (Provinces) میں جاتے ہیں - اون پر سرچارج (Surcharge) عائد ہوتا تھا - دفعہ (۲۸۶) یہ ہے -

"No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(*a*) outside the State; or

(*b*) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India."

ضمن ۳ یہ ہے -

"No law made by the Legislature of a State imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

میں یہ کہونگا کہ سیل ٹیکس کا شیڈیول نمبر ۱ میں جو اگزمپشن (Exemption) رکھا گیا تھا اور سنٹرل ایکٹ جو پارلمینٹ کا ہے :-

The Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase) Act, 1952.

اس ایکٹ کے لحاظ سے اسکے ضمیمہ میں جو آرٹیکلس (Articles) ہیں

"Cereals and pulses in all forms including bread and flour, including atta, maida, suji and bran (except when any such article is sold in sealed containers)."

اور اس میں خاص طور پر کپاس کو بھی شریک کیا گیا ہے -

"Raw cotton, including ginned and unginned cotton or kapas, cotton thread...."

ممبر انچارج آف دی بل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دستوری مسئلہ کو اڈوائزرس (Advisors) سے مشورہ کرکے انہوں نے حل کرلیا ہے یا یہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے - اگر پریسیڈنٹ (President) کے اسنٹ

(Assent) کا سوال پیدا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکے حاصل ہونے تک چار مہینے گزر جائینگے - ان حالات کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اسینشیل گڈس (Essential goods) جنکو پہلے مستثنے قرار دیا گیا تھا اس قانون کی زد میں نہیں آنے چاہئیں - چونکہ اس سے عوام پر بار عائد ہوگا اسلئے پریسیڈنٹ کا اسنٹ حاصل کرنا ہوگا - دفعہ ۳ کی ترمیم کرکے جب تک ان اشیا کو شیڈیول (Schedule) سے خارج نہ کریں اونکے متعلق یہ تصور ہوگا کہ اگزمپٹیڈ گڈس (Exempted goods) میں یہ چیزیں نہیں ہیں - اسلئے دفعہ ۳ کا امنڈمنٹ منظور ہونا ضروری ہے جب تک وہ منظور نہو یہ کلاز ۲ منظور نہ ہوسکیگا یہ میرا خیال ہے -

श्री व्ही. डी. देशपांडे :—प्रॅक्टिकल पाॅअिंट आफ व्यू से यह मसला हमारे सामने आया है। क्लाज तीन पर हमने अमेंडमेंटस दिये हैं। वहां पूरी तरह से अेक्जेम्शन दिया है और क्लॉज दो में पार्शल अेक्जेम्शन का मसला है या सिंगल पाअिंट का मसला है। जब तक हुकूमत की पॉलिसी क्लॉज तीन पर जाहिर नहीं होती, हमने अक्जेम्शन के लिये जो चीजें रखी हैं अुनको वह किस हद तक मानती है वह मालूम नहीं होता। क्लॉज दो को पहले लेना मुनासिब नहीं है। अिसलिये मेरी दरखास्त है कि क्लाज तीन को पहले डिसकशन के लिये लेना चाहिये।

श्री. वि. के कोरटकर :—अिसकी कोअी जरूरत नहीं है। क्लॉज दो में सिर्फ कॉटन का मामला है। बाकी सब चीजें बाद में आयेंगी। क्लॉज दो में सिर्फ कॉटन का मामला तसफिया पायेगा।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—फर्ज कीजिये कि हमारा जो पहला अमेंडमेंट है अिसको अगर हुकूमत ने मान लिया तो फिर दूसरा अमेंडमेंट जो अूपर है अुसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। हुकूमत अिसको मानेगी या नहीं मानेगी वह अलग सवाल है। लेकिन टेकनिकली अैसा होने के अिमकानात हैं कि जो पहली अमेंडमेंट है अुसको अेंटीसिपेट करना होगा। अगर गव्हर्नमेंट क्लॉज तीन के अमेंड-मेंट को मानती है तो क्लाज दो के अमेंडमेंट को हमें तबदील करना होगा। यानी ये चीजें अेक दूसरे पर मुनहसर हैं। अिसलिये मैं समझता हूं कि क्लाज तीन को पहले लिया जाय और बाद में क्लाज दो को लिया जाय।

श्री. वि. के. कोरटकर :—आपने जब यह सवाल किया है कि गव्हर्नमेंट अिसको मानेगी या नहीं मानेगी और यही दिक्कत है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अुसको माननेवाला नहीं हूं। अिसलिये अब कोअी मुश्किल आनेवाली नहीं है।

شری بی - ڈی - دیشمکھ :— میرا جو اعتراض تھا اوسکا جواب آپ نے نہیں دیا ہے- شیڈیول نمبر (۱) سے "کاٹن انکلوڈنگ کپاس" (Cotton including kapas) کو خارج نہیں کیا گیا ہے - جب تک کہ اسکو شیڈیول سے خارج نہ کیا جائے اوس وقت تک اس پر سیلس ٹیکس کے عائد کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا -

श्री. वि. के. कोरटकर :—पहली जो अमेंडमेंट है कि कॉटन के अूपर बजाय छह पाअी के ३ पाअी रखा जाय अुसके बारे में अितना ही कहना चाहता हूं कि कॉटन पर कास्टम आयद था और

कपास पर पहले से ही कस्टम और सरचार्ज दोनों आयद थे। कॉटन पर कस्टम की आमदनी करीब ४२ लाख होती थी, और कपास में कस्टम और सरचार्ज की आमदनी अेक लाख पचास हजार के करीब होती थी। और अब वह सब मिलाकर करीब ४४ लाख होती है। अब जो छह पाअी जिसके अूपर आयद की जायगी अुससे आमदनी २५ लाख ६९ हजार के करीब होगी। यानी यह आमदनी पहले से कम होगी। अुस सूरत में मैं जिस तरमीम को कबूल नहीं कर सकता।

दूसरी अमेंडमेंट की हालत भी अैसी ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया अेक करोड ७८ लाख के घाटे को जिस वक्त सिर्फ अेक करोड २८ लाख का टैक्स लगाकर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें अगर तीन पाअी का टैक्स कर दिया गया तो करीब पचास लाख की अुसमें कमी हो जायगी। जिसलिये वह भी मैं कबूल नहीं कर सकता।

केरोसीन की हद तक मैंने पहले ही कबूल कर लिया था कि मैं अुसको सिंगल पॉअिंट पर कबूल करता हूं और तीन पाअिज कबूल कर लेता हूं। बाकी देशमुख साहब की जो अमेंडमेंट है अुसमें ज्यादा नुकसान होनेवाला है जिसलिये अुसको मैं कबूल नहीं करता।

شری بی - ڈی - دیشمکھ :— میں نے اسنٹ کے بارے میں پوچھا تھا اوسکا جواب نہیں ملا -

श्री. वि. के. कोरटकर :—कॉन्स्टीटयूशन के तहत आपने जो कहा कि प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के लिये चार महीने लग जायेंगे, मैं अितना ही कहूंगा कि मुमकिन है अितने नहीं लगेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट मिनिस्ट्री की अिजाजत से यह बिल लाया गया है जिसलिये आशा है कि प्रेसिडेंट की अिजाजत के लिये चार महीने नहीं लगेंगे। अगर लगे भी तो आपके लिये खुशी की ही चीज होगी।

Mr. Speaker : We can postpone consideration of clause 2 until after the clause 3 is considered.

Clause 3

Shri B. D. Deshmukh : I beg to move :

"That for item "1" substitute "1. All cereals and pulses including all kinds of rice (except when sold in sealed containers)."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

"That after item "1" add : 2. Flour including ata, maida, Suji and bran (except when sold in sealed containers)."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao : I beg to move :

"That in item "3" between "potatoes," and "meat' insert "eggs".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ch. Venkatrama Rao : I beg to move :

"(*a*) That in item "6" for "Fresh milk" substitute "Milk (liquid or powder)".

(*b*) That in item "6", omit "(except when sold in sealed containers)".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh : I beg to move :

"That after "10" add "11. Cotton including kapas.".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

"That after item 15, add : "16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard."

Mr. Speaker : Amendment moved.

* شری بی ۔ ڈی ۔ دیشمکھ :— یہاں پر میں نے جو ترمیم لائی ہے وہ کوئی نئی ترمیم نہیں ہے ۔ بلکہ سابقہ جو ہمارا قانون سیلس ٹیکس ایکٹ بابتہ سنہ ۱۹۵۰ع تھا اس میں آئٹم نمبر (۱) جو تھا اوسکو یہاں پر جوں کا توں لانے کی میں نے کوشش کی ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اجناس خوردنی مثلاً دالوں وغیرہ پر کسی قسم کا سیل ٹیکس نہ ہونا چاہئے ۔ اور اس چیز کو ہمیشہ ہاؤس کے سامنے واضح کیا گیا ۔ باوجود اسکے کہ میں جملہ اشیاء کو اگزمپٹ اسٹ میں لانا چاہتا ہوں چونکہ ایک آنریبل ممبر نے میری امنڈمنٹ پر ایک امنڈمنٹ پیش کی ہے ۔ اگر میری امنڈمنٹ آنریبل موور قبول نہیں کرتے تو اس امنڈمنٹ ٹو امنڈمنٹ کو قبول کرلیں جسکے ذریعہ جوار ۔ رائس ۔ تور اور چنے کی دال جو ضروریات زندگی میں ہیں اور عام طور پر ہر غریب سے غریب آدمی بھی اون کا استعمال کرتا ہے ۔ اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں ۔ اون پر ٹیکس عائد نہ کیا جائے ۔ اگر امنڈمنٹ ٹو امنڈمنٹ کو بھی قبول کرلیں تو زیادہ مناسب ہوگا ۔

Shri V. D. Deshpande : I beg to move an amendment to the amendment of Shri B. D. Deshmukh:

That the item I substitute : "1. Jawar, Rice, Tuvar Dhal Gram Dhal "

Mr. Speaker : Amendment to Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh : I accept the amendment.

*श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मिस्टर स्पीकर सर, श्री. बी. डी. देशमुख साहब की तरमीम को जो तरमीम मैंने पेश की असकी वजह यह है कि ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर साहब के तर्जे अमल से और ख्यान से मालूम हुआ कि 'आल सीरियल्स और पल्सेस' के लिये वे अिजाजत देने के लिये तयार नहीं हैं। मुमकिन है दाल रोटी के लिये तैयार हो जायें चूंकि मराठवाडे के अंदर दाल-रोटी खाते हैं और तेलंगाने में अन्नम-पप्पू खाते हैं।

شری اناراؤ گن مکھی (افضل پور) :- کیا کرناٹک کے لوگ کچھ بھی نہیں کھاتے ؟

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—कर्नाटक में दोनों मिलाकर खाते हैं (Laughter) यह जो लोगोंका बुनियादी डायट (Diet) है अुसकी हदतक कम से कम अेक्जेम्पशन (Exemption) दिया जाय यह मेरी मांग है, क्योंकि जेलों में भी बगैर किसी टैक्स के अितना मिलता है। अगर अुतना भी बगैर टैक्स के दिया जाय तो लोगों को कुछ रिलीफ (Relief) मिल सकता है। मं जानता हूं कि शायद अिस मसले पर अिस हाअुस में अकसरियत है। अुस तरफ के लोगों को अगर अिस बिल पर राय देने की आजादी दी जाय तो मुझे अुम्मीद है कि हाअुस की मेजॉरिटी (Majority) अेक्जेम्प्शन (Exemption) की ताअीद मे ज्यादा हो जायेगी। अभी अुस तरफ के अेक आनरेबल मेंबर ने मूंग की दाल को भी अेक्जेम्प्ट करने के लिये कहा था, लेकिन वह दाल हम रोजाना नहीं खाते अिसलिये अुसका सवाल छोड दिया जाय। जिन चीजों को अेक्जेम्प्शन देने के लिये कहा जा रहा है वह यहां के कामन मैन्स बेअरेस्ट फुड (Common man's barest food) है। अगर आज आप लोगों को काम नहीं दे सकते, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, फ्री राशन (Free ration) नहीं दे सकते तो कामन मॅन को कम से कम अैसा फुड मुहैया करना चाहिये जिसपर टॅक्स न हो। अितना भी अगर नहीं हो सकता तो हुकूमत के लिये क्या दुआ करना चाहिये यह मेरी समझ में नहीं आता। आपका खुदा आपका रक्षण करे अितना ही मुझे कहना पडेगा। यह आम लोगों की मांग है, अिसलिये अिस अमेंडमेंट टु अमेंडमेंट को मानना चाहिये।

दूसरी अमेंडमेंट के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि यह तो हद हो गअी कि आप पहले जवार, चावल और गेहूं पर टैक्स लगायेंगे और अुसके बाद अगर अुसका आटा बनाया जाय और दूकानों में बेचनेके लिये रखा जाय तो अुसपर भी टैक्स लगायेंगे। यह पालिसी मेरी समझ में नहीं आती। मैदा, सोजी, आटा वगैरा चीजें ज्यादा तर अैसे ही लोग खरीदते हैं जिनको घरबार वगैरा नहीं है या जहां पीसने का अिन्तेजाम नहीं है और बनाबनाया आटा खरीद कर रोटी बनाते हैं। जब बेसिक चीजों पर टैक्स लगाते हैं तो आमतौर पर यह अुसूल रहता है और आनरेबल होम मिनिस्टर साहब फायनान्स मिनिस्टर साहब को बतायेंगे कि अेक ही आदमी को दो मर्तबा सजा नहीं दी जाती। लेकिन यहां तो अेक ही चीज पर टैक्स का सिलसिला अिस तरह से जारी किया जा रहा है कि खेत से अनाज आने पर अुस पर टैक्स, अुसकी शकल में तबदिली हो गअी तो अुस पर टैक्स और कोअी तबदीली हो गअी तो अुस पर भी टैक्स। मुझे डर है कि शायद आप आगे चल कर खानेवाले पर भी टैक्स न लगायें। अिसलिये हुकूमत की तवज्जह अिस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। अिनको अेक्जेम्प्शन लिस्ट में लाना चाहिये और जैसा मैंने अभी बताया जवार, चावल, तूवर और चने की दाल को अेक्जेम्प्शन लिस्ट में लाना चाहिये। अिसकी वजह से मुमकिन है कि हुकूमत को २०-२५ लाख का नुकसान होगा, लेकिन कामन मॅन को अितनी सहूलत देने के लिये आनाकानी नहीं करनी चाहिये। १५ करोड की ग्रांट पर जो सूद और रिडम्शन (Redumption) मिलेगा अुसके लिहाज से सोचें तो कामन मॅन के लिये अितना छोड देना कोअी बडी बात नहीं है। जागीरदारों को हम कितना मुआवजा दे रहे हैं। अिसलिये मैं समझता हूं कि अितना रुपया बचाने के लिये दूसरे तरीके सोंचे जा सकते हैं और मुनासिब हो तो हम भी अुनका साथ दे सकते हैं। लेकिन

कमसे कम बेसिक चीजों को अेक्जेम्प्शन लिस्ट में अिन्क्लूड (Include) करना जरूरी है ।

अिस के बाद का जो अमेंडमेंट है वह मिल क्लाथ कास्टिंग लेस दैन रुपीज टू पर यार्ड (Mill Cloth costing less than rupees two per yard) के बारे में है। अेक्जेम्प्टेड लिस्ट में हेंडलूम कपडे को अेक्जेम्प्शन दिया गया है और तीन रुपये यार्ड का जो हेंडलूम कपडा है अुसको भी अेक्जेम्प्शन दिया गया है। अिसके बारे में मैंने अुस वक्त कहा था कि कोर्स और मीडियम क्लाथ को अेक्जेम्प्शन लिस्ट में लाना चाहिये। अुसी को मुझे फिर दोहराना पड रहा है, क्योंकि अब कपॉस पर टॅक्स लगाया जानेवाला है और हमारी तरमीम भी सहीं मानी गअी है। अैसी सूरत में अुससे बननेवाला जो कोर्स क्लाथ है और मीडियम क्लाथ है जो रुपये यार्ड तक हैं अुनको माफी में रखना चाहिये तो थोडा सा जस्टिस (Justice) कामन मैन की हद तक होगा। मुझे अुस नारे की याद आ रही है कि 'कपडा रोटी मकान दो' आप यहां अुन लोगों के रोटी पर हाथ मार रहे हैं और अुनके कपडे पर भी आपकी नजर है। जो रोटी और कपडा अुनको मिलता है अुसको मंहगा कर रहे हैं और मकान तो आपके पास है ही नहीं। जो कुछ है वह भी बरबाद हो रहे हैं। अिसलिये मेरी गुजारिश है कि अिन तीनों चीजों पर हुकूमत को नजर डालनी पडेगी। दूसरे बडे बडे तबकों के अिनकम पर हाथ डालने के लिये हम कहते हैं और काम्पेन्सेशन कम करने के लिये कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि जागीरदारों को आप ठुकरा देना चाहते हैं। मैसूर के पास रेल्वे नहीं थी, लेकिन हमारे पास रेल्वे थी। वह हुकूमते हिंद ने ले ली और हमारी रेल्वे की अेक करोड की आमदनी कम हो गअी। अिसके लिये हुकूमते हिंद पर दबाव लाअिये और अुन्होंने हमारी रेल्वे ली तो मुआवजे के तौर पर हमको अेक करोड या कम से कम ५० लाख रुपये मिलने चाहिये। अिसके लिये मजबूर करने के लिये हम सुझायें तो आप कहते हैं कि वहां पर हमारी कुछ नहीं चलती। हुकूमते हिंद से मुन्सफाना तौर से रकम नहीं मिलती तो निजाम के पास से आप ले सकते हैं, जागीरदारों का काम्पेन्सेशन कम कर के ले सकते हैं, बडे अेग्रीकल्चरल प्रोडूसर्स पर अिनकम टॅक्स बढाअिये अैसा हम कहें तो कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते, यानी जब शेर, हाथी और घोडे का मुकाबला नहीं कर सकते तो गरीबों, बेकारों, किसानों और मजदूरों को आराम की जिंदगी देने की जो आपकी पालिसी कही जाती है अुसमें कभी कारामद नहीं हो सकते। यह पालिसी अैसी है कि जिसके नतीजे अुस हर सियासी पार्टी को भुगतने पडे हैं जिन्होंने अव्वाम के खिलाफ अैसे कदम अुठाये हैं। मुझे वह फ्रेज याद आ रही है कि जिस कुत्ते को खतम करना है अुसको पहले मैड (Mad) कहा जाता है। हुकूमत अैसे कदम को अुठा रही है जो मजनू की तरह मालूम हो रहा है। अव्वाम से वादे किये जाते हैं कि हम रोटी, कपडा और मकान दिलायेंगे लेकिन अिधर रोटी और कपडे पर टॅक्स लगाया जा रहा है। अिसलिये मैंने कपडे के सिलसिले में यह अमेंडमेंट हाअुस के सामने रखी है कि दो रुपये यार्ड तक का कपडा माफी में रखा जाय। मैं अुम्मीद करता हूं और जमाना यह कह रहा है, अव्वाम कह रही है कि आप अिसको मानेंगे। अगर आप न मानें तो जैसा कि नारा है कि 'रोटी कपडा मकान दो वरना कुर्सी छोड दो' आपको अिनमें से किसी अेक चॉअिस (Choice) को चुनना पडेगा। लोग अपना नारा अमल में लायेंगे। आपका चॉअिस क्या है? आपके मुस्तकबिल का फैसला आपके हाथ में है। अिस पर आप संजीदगी से सोचें अितना ही मुझे कहना

* شری سی ایچ ۔ وینکٹ رام راؤ :۔ مسٹر اسپیکر سر ۔ میں نے شیڈیول کو بغور دیکھا ہے غنیمت ہے کہ اس میں ایسی اشیاء ہیں جو زندگی کو باقی رکھنے کے لئے کافی ہوسکتی ہیں ۔ اس میں غذائی اجناس کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ جن چیزوں میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور جو زیادہ وائٹالیٹی (Vitality) رکھتی ہیں اس میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مڈیکل میان (Medical man) اور سائینٹیفک (Scientific) نقطۂ نظر رکھنے والے دودھ اور انڈوں کو شامل کرتے ہیں ۔ میں نے دیکھا کہ ان دو چیزوں کو منسٹر صاحب نے اپنی مہربانی سے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے دودھ کے ڈبوں اور ملک پوڈر کو نہیں چھوڑا ۔ دودھ کی آج جو قیمت ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک کامن میان (Common man) اس کو استعمال کرنے کی استطاعت رکھتا ہے ۔ کامن میان کو تو چھوڑئیے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں ۔ مجھے اس آنریبل اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناتے جو کچھ ملتا ہے اوس سے اپنے خاندان کو پالنے پوسنے کے بعد میں اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ دودھ خرید سکوں یا دودھ پر غیرمعمولی خرچہ کرسکوں ۔ چنانچہ مجبوراً مجھے ملک پاوڈر استعمال کرنا پڑتا ہے جب کہ مجھے چار چھ احباب کو چائے وغیرہ پلانی ہو ۔ باہر کے ملکوں میں جہاں دودھ کی بہتات ہے وہاں سے ہمارے پاس دودھ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کے ایسے لوگ جو یہاں عام طور پر دودھ نہیں خرید سکتے وہی اس سے استفادہ کرتے ہیں ۔ میں منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف بھی مبذول کراؤنگا کہ اگر ماؤں کو دودھ نہیں آتا ہے تو جز معاش لوگ یہی ڈبہ کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اس لئے اگر ایسی چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے تو اس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہوگا جس کا لازماً نتیجہ ایسے کامن پر پڑیگا جو پہلے سے کم استطاعت رکھتا ہے ۔

میں منسٹر صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیپلز ڈیموکریٹک کنٹریز (Peoples Democratic Countries) ہیں یا وسٹرن کنٹریز (Western Countries) ہیں وہاں کی حکومتوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ کامن میان کو اس کی غذا میں زیادہ سے زیادہ دودھ اور انڈے مل سکیں ۔ میں رشیا اور چائنا کی مثال دیتا ہوں وہاں بھی یہی حال ہے ۔ اگرچیکہ ہمارے منسٹر صاحبان کو اکثر ان ممالک کی مثال پر اعتراض رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں خواہ وہ کہیں کی ہوں ان کو اپنانا چاہئے ۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دودھ اور انڈے کامن میان کی غذا میں شامل ہیں یا نہیں ۔ دودھ انڈے اور مسکہ کی قیمت کیا ہونا چاہئے تاکہ اوسے کامن میان استعمال کرسکے ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک پریونٹیو میژر (Preventive measure) ثابت ہو اور دوسری طرف عوام توانا اور صحت مند رہیں ۔ ٹی ۔ بی ہاسپٹل کا ادگھاٹن کرتے وقت ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی بالکل یہی فرمایا تھا کہ ہاسپٹلس کھولنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ پریونٹیو میژرس اختیار کرنا چاہئے انہوں نے بھی یہ پراورب (Proverb) کہا تھا " Prevention is better than cure " انہوں نے یہ بھی فرمایا

تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ جس ایریا میں کم سے کم پیشنٹس ہوں وہاں کے ڈاکٹر کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جائے ۔ میرے کہنے کا منشا یہ ھے کہ ہماری حکومت کو بھی اس طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس پر ٹیکس نہ لگانا چاہئے کیونکہ ان چیزوں کا استعمال ایک طرح کا پریونٹیو میژر ہی ھے ۔ لیکن آج قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال غیر ممکن ہوتا جا رہا ھے ۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایم ۔ ایل ۔ اے بننے سے قبل ایک ہفتہ میں کئی انڈے کھاتا تھا لیکن اب ایم ۔ ایل ۔ اے بننے کے بعد ہفتہ میں ایک انڈا کھانا بھی مشکل ہوگیا ھے ۔ اس لئے میں منسٹر صاحب سے خواہش کرونگا کہ ان باتوں کا لحاظ کریں ۔

श्री. वि. के. कोरटकर :—सेल्स टॅक्स निकालने के बाद कितने बार खा सकेंगे ?

شری سی ایچ ۔ وینکٹ رام راؤ :— موجودہ جو پوزیشن ھے میں وہ بتلا رہا ہوں ۔

श्री. वि. के. कोरटकर :—जिस हदतक आपका कहना मैं मान लेता हूं।

شری سی ایچ ۔ وینکٹ رام راؤ :— موجودہ حالات میں ھائیر مڈل کلاس کے لوگوں کے لئے بھی دودھ اور انڈے خریدنا مشکل ہوگیا ھے ۔ ہوسکتا ھے کہ چند سال بعد پلاننگ وغیرہ کے تحت کامن میان کو بھی یہ چیزیں مل سکیں لیکن اوس وقت کا انتظار نہ کرنا چاہئے اس ریزنیبل امنڈمنٹ کو منظور کیا جانا چاہئے ۔

श्री. वि. के. कोरटकर :—अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर जो अमेंडमेंट्स आये हैं अुनमें से मैं अमेंडमेंट नंबर तीन जो अंडे के बारे में है अुस हदतक मान लेता हूं। और दूसरी जो अमेंडमेंट्स हैं अुन्हें मैं कबूल नहीं कर सकता। पहली जो अमेंडमेंट है अुसमें सिरियल्स (Cereals) और पल्सेस (Pulses) को निकालने के बारे में कहा गया है। जवार, राअिस, तुव्वर, ग्राम आदि पर सेल्स टॅक्स न लिया जाय अैसा अिस अमेंडमेंट का मनशा है। मैं अिसको कबूल नहीं कर सकता। अगर अिस अमेंडमेंट को कबूल किया जाय तो अिस बिल का जो मकसद है वही फौत हो जाता है। यह अमेंडमेंट जो दी गयी है वह बहुतही होशियारी से दी गअी है। अिसे यदि मान लिया जाय तो पूरा बिल ही बेकार होता है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—सिरीयल्स पर आपको कितना टॅक्स मिलेगा ?

श्री. वि. के. कोरटकर :—अंदाजा यह है कि सिरीयल्स और पल्सेस पर ही ८० लाख से १ करोड तक का सेल्स टॅक्स मिलेगा। १ करोड और २८ लाख का जो अंदाजा लगाया गया है जैसा कि मैंने पहले कहा कि अुसमें से १ करोड तक तो सिर्फ सिरीयल्स पर मिलेगा। १ करोड तक सेल्स टॅक्स छोड़ने की तो मेहरबानी बहुत होगी। वह मैं नहीं कर सकता हूं।

अिसके बाद कॉटन के बारे में जो अमेंडमेंट आअी है अुसे भी मैं कबूल नहीं कर सकता। कॉटन पर तो पहले से ही सेल्स टॅक्स है। वह कोअी सेल्स टॅक्स से खाली नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अिसपर से ४२ लाख निकाले गये हैं। और आपकी अिस अमेंडमेंट को माना जाय तो ६०,७१

लाख की कमी हो जायेगी। अिस लिये मै अिसे भी कबूल नहीं कर सकता, और मिल क्लॉथ के बारे में जो अमेंडमेंट है अुसे भी मैं कबूल नहीं कर सकता हूं । मिल क्लॉथ पर सेस लगाया जा रहा है।

आटा, सोजी, मैदा आदि के बारे में जो कहा गया अुसपर मुझे अितना ही अर्ज करना है कि अिस पर तीन चार टाअिम सेल्स टॅक्स नहीं लिया जाता है। जो लोग आटा सोजी, या मैदा वगैरा चक्की पर पिसवाने के लिये ले जाते हैं अुनसे तो कोअी टॅक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन आटा, सोजी, मैदा आदि तयार करने के जो बडे बडे कारखाने हैं, जो बडे पैमाने पर अनाज लेकर अुसका आटा, सोजी बनाकर बेचते हैं, अुनपर यह टॅक्स आयद होनेवाला है। यह जो मिल के लोग होते हैं वे होलसेलर या रिटेलर को बेचते हैं। अिसमें यह भी है कि जिनके धंदे की आमदनी ७५०० रुपयों से कम है अुन्हे कोअी सेल्स टॅक्स नहीं देना पडेगा। अुसके बाद जिनको अपनी मजदूरी मालकी शकल मे मिलती हैं यानी जो अपनी मजदूरी अनाज में लेते हैं, अुनपर भी यह टॅक्स नहीं बैठनेवाला है। अिस लये अिस टॅक्स का असर बहुत बडे तादाद पर पडेगा यह जो ख्याल किया जा रहा है वह गलत है।

पॉवडर मिल्क के बारे में जो अमेंडमेंट दी गअी है अुसे भी में मंजूर नहीं कर सकता हूं। ताजा दूध पर तो टॅक्स है ही नहीं और मेरा ख्याल है कि दूध के डब्बे जो अिस्तेमाल करते हैं वे अमीर ही लोग ज्यादा तर होते हैं। और वे अिस टॅक्स को दे सकते हैं। पॉवडर मिल्क पर दूसरी जगह भी टॅक्स लगाया जाता है, और अुसी तरह यहां भी लगाया जा रहा है। मख्खन जो बन्द डिब्बों में रखा जाता है अुसपर सेल्स टॅक्स लिया जानेवाला है। दूसरे बटर पर टॅक्स नहीं है। डब्बे मे जो बटर होता है अुसे तो मालदार लोग ही ज्यादातर अिस्तेमाल करते हैं। अुस पर टॅक्स आयद किया जा रहा है । अिसलिये अिसका तो स्वागत किया जाना चाहिये। बाकी कुछ खास चीजें नहीं हैं। मैंने बताया ही है कि अंडोंकी हदतक जो अमेंडमेंट था अुसे मैं ने कबूल कर लिया है, और बाकी अमेंडमेंट्स कबूल नहीं हैं।

Clause 3.

Mr. Speaker : I shall put the amendment of Shri B. D. Deshmukh as amended by Shri V. D. Deshpande to vote.

The question is :

"That for item '1', substitute :

'1. Jawar, Rice, Tuwar Dal and Gram Dal'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after item '1' add :

'2. Flour including ata, maida, suji and bran (except when sold in sealed containers.)"

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The amendment No. 3 standing in the name of Shri Ch. Venkatrama Rao, *viz.*, "In item '3' between 'potatoes,' and 'meat' insert 'eggs', has been accepted by the Member in charge of the Bill. As such, it need not be put to vote.

The question is :

"That in item '6', for 'Fresh milk' substitute 'Milk (liquid or power)".

Mr. Speaker : The question is :

"That in item '6', omit '(except when sold in sealed containers)".

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after item '10' add : '11. Cotton including kapas'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after item 15, add : '16. mill cloth costing less than Rs. 2 per yard".

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 as amended was added to the Bill.

Clause 2.

Mr. Speaker : I shall now put the amendments to Clause 2 to vote.

The question is :

"That in line 6, for 'six' substitute 'three'."

The motion was negatived.

Mr. Speaker : The question is :

"That after line 8, add :

'(*ix*) So much of the turnover as is attributed to transaction in all cereals and pulses including all kinds of rice which takes place in market prescribed shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette'.".

The motion was negatived.

Mr. Speaker : Amendment No. 3 standing in the name of Shri. V. D. Deshpande, *viz.*, "After line 8, add :

'(*ix*) So much of the turnover as is attributed to transaction in kerosene shall be liable to tax at the rate of 3 pies in the rupee at such one point only as may be specified by Government by notification in the official Gazette'.".

has been accepted by the Member-in-charge of the Bill. As such, it need not be put to vote.

Mr. Speaker : The question is :

" That Clause 2, as amended, stand part of the Bill "

The motion was adopted.

Clause 2 as amended was added to the Bill.

Mr. Speaker : The Question is :

" That the Preamble, Short title and Commencement stand part of the Bill " .

The motion was adopted.

The Preamble, Short title and Commencement were added to the Bill.

Shri V. K. Koratkar : Sir, I beg to move.

" That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed " .

Mr. Speaker : Motion moved.

**Shri V. D. Deshpande*: Now the Bill is a *fait accompli* and though some amendments have been accepted the common man has been taxed. His food, his clothes, have been taxed and his house has already been taxed. Thus the scheme of taxing the common man is now complete.

At this stage of the third reading of the Bill, I cannot but express the view that the Government has failed in its responsibility to the common man. They failed to assert their claim on the Government of India in this particular respect. The consequences of such types of taxation as these are evident and will bear fruit ere long. I wish to emphasise that this kind of taxation will not help the Government. This type of taxation on the common man's food and cloth will in the long run affect the trade and commerce of Hyderabad. Already, the merchant community has brought this point to the notice of the Government of Hyderabad that their multipoint sales tax and their taxing every item that people use will lead to disasterous effects. At this third reading of the Bill, I cannot but oppose this Bill and I am constrained to say that wise counsels had not prevailed on the Government and in their anxiety to fill up the gap they have taken recourse to a course of taxation which is inequitable and which is not in the interests of the common man and which once more shows to the world the feudal and the monopolistic character of the present Government who do not think of taxing those who have unearned incomes or those who have exploited the common man by having high rates of profits. It is not them that the Government has dared to touch. It is the common man that is touched when the question of deficit is there. This has been the policy of the British Government in India and this has also been the policy of the Nizam during the Razakar Government in Hyderabad and the very same tradition the present Government is continuing. They have utterly failed through the present legislation to do justice to the common man. I need not dilate upon this point much more because I find that our outlook fundamentally differs. It differs basically. The way in which we think we should give relief to the common man is entirely different from that in terms of the Government think. Without any pinch on their conscience the Government could so easily tax the common man's food and cloth. Well, the Bill is at the third reading stage and it is a *fait accompli*. I believe all the Opposition Members and also a section of the Congress, I believe, is opposed to this flat type of taxation. As I have pointed out so far as jawar, rice,

pulses, etc., concerned, even now I feel that the majority of the House does not want to tax the common man's food. But the party whip is there and the ruling party must have had recourse to it. But such a thing does not last long and in due course it will react on them with double energy and sooner or later such legistations of taxation shall have to give way. Anyway, I again oppose this particular Bill at the third reading stage and I hope the Government will, if not now, at least with the common man's will and necessary pressure and sanction that make them bend and change their view at a later date will revise this particular legislation.

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXXVIII of 1954, the Hyderabad General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed".

The motion was adopted.

L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill 1954.

The Deputy Minister for Public Health, Medical & Rural Reconstruction (*Shri : Bhagwant Rao Gadhe*): I beg to move :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time".

Mr. Speaker : Motion moved.

شری بھگونت راؤ گاڑھے :— مسٹر اسپیکر سر۔ یہ ایک چھوٹا سا بل اس غرض سے پیش کیا گیا ھے کہ حیدرآباد کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ سنہ ۱۹۵۲ع کے تحت رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کو کوآپریٹیو سوسائٹیز کی نزاعات اور ان کے وصول طلب قرضوں کے بارے میں تصفیہ کرنے کا اختیار دیا گیا ھے۔ اس پر عمل بھی ھو رہا ھے۔ تصفیے ھو رہے ھیں۔ ڈگریاں صادر ھو رہے ھیں۔ لیکن جب ان کے اکزیکیوشن کا سوال آتا ھے تو ان ڈگریات اور تصفیہ کو محکمہ مال یا عدالت میں جنہیں اختیار سماعت حاصل ھے منتقل کرنا پڑتا ھے۔ موجودہ حالات میں محکمہ مال کے عہدہ دار مختلف فرائض کی ادائی میں مصروف رہتے ھیں۔ انہیں اپنے محکمہ کے کام سے ھی بہت کم فرصت ھوتی ھے۔ جسکا نتیجہ یہ ھوتا ھے کہ ان ڈگریات کی تعمیل میں کافی طوالت ھو کر سوسائیٹز کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑتا ھے۔ اور اس وقت تک جب تک کہ ڈگری شدہ رقم وصول نہ ھو

سوسائٹی کا سرمایہ لاک اپ (Lock up) رہتا ہے - ایسی صورت میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار کو بھی اکزیکیوشن کے اختیارات دے جائیں - اصول قانون کے لحاظ سے ہی یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہدہدار صادر کنندہ ڈگری کو تعمیل کے اختیارات نہ دے جائیں اور دوسرے محکمہ کے پاس روانہ کئے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا - اس خامی کو رفع کرنے کے لئے یہ امنڈنگ بل یہاں پیش کیا گیا ہے - اس کو منظور کرنے سے پرانے قرضہ‌جات جن میں ڈگریاں صادر ہوچکے ہیں ان کی جلد از جلد تعمیل میں سہولت ہوگی - اور جو قرضہ‌جات رکے ہوئے ہیں اور جو رقمیں سوسائٹیز کو وصول طلب ہیں ان کے جلد حاصل کرنے میں کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار یا ان کے ایسے ماتحتین جنہیں وہ یہ اختیار تفویض کریں تعمیلی کارروائی کرینگے - میں سمجھتا ہوں یہ بات ضروری ہے - یہ خامی رفع ہونا ضروری ہے -

اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کی ضرورت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ رزرو بنک آف انڈیا سے جو قرض حیدرآباد اسٹیٹ کے لئے اسٹیٹ کوآپریٹیو بنک کو دیا جاتا ہے اسکی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ ایک مدت مقررہ کے اندر ادا کردیا جائے - اگر اس مدت میں ادا نہ ہوتو دوسرے سال قرضہ حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی - اس اہم شرط کی تکمیل کے لحاظ سے بھی اس بل کو منظور کرنا ضروری ہو جاتا ہے - ڈپارٹمنٹ کے عہدہداروں کو یہ اختیارات دے جائیں تو وہ جلد سے جلد قرضہ وصول کرسکینگے - اور اسکی ادائی ہوسکیگی اور اسکی وجہ سے کاشتکاروں کو اسینشیل آپریشنس کے لئے وقت پر قرضہ‌جات بھی مل سکینگے اور انہیں آسانی سے ریلیف مل سکیگی - کیونکہ دوسرے ذرائع سے انہیں قرضہ ملنے کے راستے بند ہوچکے ہیں - ہم نے ڈیٹرس ریلیف بل (Debtors relief Bill) پاس کیا ہے - اور کئی قوانین بھی ہیں ان کے لئے یہی ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ گورنمنٹ نے انہیں رقم فراہم کرنے کی گنجائش رکھی ہے - میں عرض کرونگا کہ اس بل کو منظور کیا جائے -

* شری بی - ڈی - دیشمکھ :- مسٹر اسپیکر سر - اس بل کے بارے میں آنریبل موور نے اپنی وضاحتی تقریر میں اسے ایک معمولی سا بل فرمایا ہے - میں اس نوبت پر اختلاف کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن اس کی تعمیل کے تعلق سے جو شبہات ہیں اونکو میں ہاؤس کے سامنے رکھونگا - کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو سیونگ (Saving) کے نقطۂ نظر سے رکھا گیا ہے اور منشاء یہ ہے کہ کسانوں کو اس سے سہولت ہوسکے قرضوں کی وصولی کے سلسلہ میں نہیں معلوم کہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ اون کی سہولت کو ملحوظ رکھیگا یا نہیں - کسانوں کے ذمہ لاکھوں روپیہ باقی ہیں - وہ اس وجہ سے باقی ہیں کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے ان میں ادا کرنے کی سکت نہیں ہے - وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے قرضے ادا کرسکیں - مادھو راؤ کمیٹی کی اگریرین رپورٹ (Agrarian report) میں خاص طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسانوں کے ذمہ خانگی قرضوں کے ساتھ ساتھ کوآپریٹیو کے قرضے کافی ہیں - انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ پرہیڈ (Per head) (۳۰) روپیہ کا کسان مقروض ہے - ان حالات کے تحت ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں بیجا سختی نہ

ساتھ کسانوں سے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ قرضے وصول نہ کرے - ایسا نہ ہو کہ کسانوں کے زمینات ضبط اور ہراج ہونے کی نوبت آجائے - عدالت میں رجوع ہو کر کسانوں سے قرضے وصول کرنے کی صورت میں خلاف ضابطگی کی گنجائش نہیں رہتی لیکن راست کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ وصول کرے تو ممکن ہے کہ کسانوں کو پریشان ہونا پڑے - ممکن ہے کہ ان کی جائدادیں ضبط اور نیلام کی جائیں - کیونکہ اس میں ایسا پراویژن (Provision) رکھا گیا ہے - تعمیل کے دوران میں ممکن ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس پراویژن سے استفادہ کرے - اور کسانوں کی جائداد کو ضبط و نیلام کرنے سے دریغ نہ کرے - ڈپارٹمنٹ تو یہ چاہیگا کہ زیادہ سے زیادہ بقایا کسی طرح وصول کیا جائے تاکہ اپنی کارگزاری ہو اور ڈپارٹمنٹ کے کریڈٹ (Credit) کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے - ہمارے ان خیالات کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آنریبل منسٹر اپنے جواب میں وضاحت کرینگے -

श्री देवीसिंग चौहान (औसा) :– मिस्टर स्पीकर सर, मेरा अिस फर्स्ट रीडिंग के वक्त बोलने का अिरादा नहीं था, लेकिन अपोजीशन की जानिब से जो ख्याल जाहिर किया गया अुससे मुझे बोलने पर मजबूर होना पड रहा है। यह अेक मामूली बिल है अिस लिये कि कोआपरेटिव्ह सोसायटीज के कर्जेजात आसानी से वसूल किये जायें। लेकिन अिसके बारे में भी कुछ अैसे शुकूक जाहिर किये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि काश्तकारों पर बडा जुल्म होगा, गोया तमाम जुल्म और ज्यादती को रफा करने की जिम्मेदारी आनरेबल मेंबर ने ही ली है। अैसी छोटी सी बातों पर भी अिस तरह से कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अपोजीशन का कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसीजम (Constructive criticism) का रोल (Roll) होना चाहिये अुससे पूरी तरह से दस्तबरदारी की जा रही है। नाजायज तरीके से अपोजीशन करने की अुनको आदत ही हो रही है।

شری بی - ڈی - دیشمکھ :- آنریبل ممبر کو مغالطہ ہورہا ہے - میں نے صرف جن خطرات کا اندیشہ تھا اونکا اظہار کیا ہے اور یہ ریکوسٹ (Request) کی ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھیں - میں سمجھتا ہوں کہ اسبارے میں آپکا اظہار خیال بے موقع ہے -

श्री देवीसिंग चौहान :– मैं कहुंगा कि यह शक जाहीर करना बिलकुल बेमहल है, बेमौका है और अुसके लिये यहां पर कोअी गुंजाअिश नहीं है। अगर कोअी अैसा मौका पैदा हो जाता है तो अुसके लिये कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट की मशीनरी है, हूकूमत है, अुसके सामने ये बात आ सकती है। लेकिन अुन्हें तो अिस बिल का स्वागत करना चाहिये था। कोआपरेटिव्ह डिपार्टमेंट का काम रुक रहा है, अुनकी जो रुकावटें हैं अुनको आसान बनानेके लिये और कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट (Co operative Movement) को तरक्की देने के लिये यह अमेंडिंग बिल (Amending Bill) लाया जा रहा है। अिसके बारे मे कोअी शिकायत का मौका मिलता है तो अुसके लिये और जगाहें थीं। मैं अितना ही कहना चाहता था कि कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से काम करने का मौका दिया जाय और कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट को आगे बढायें। काश्तकारों को आसानि के साथ ज्यादा पैमाने पर कर्जेजात दिये जाने के लिये बिल लाया गया है अुसमें शक व शुबहा करने की कोअी गुंजाअिश नहीं है।

شری بھگونت راؤ گاڑھے :- میں مختصر طور پر ایک ایک جملے میں اعتراضات کا جواب دیدونگا - ڈیٹرس ریلیف بل (Debtors Relief Bill) کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بعض قرضہ جات مستثنے رکھے گئے ہیں - میں نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ مختلف قوانین کی وجہ سے کسانوں کو قرضہ جات نہیں مل رہے ہیں - دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ عہدہ داران کوآپریٹیو وصولی قرضہ کے سلسلہ میں من مانے کارروائی کرینگے وغیرہ میں کہونگا کہ یہ اندیشہ صحیح نہیں ہے - اسلئے کہ اوارڈ (Award) کے کارروائی سے ضابطہ دیوانی متعلق کیا گیا ہے اسکے بعد بھی بدعنوانی ہوتو وہ علحدہ طور پر لائی جاسکتی ہے اور اسکا انسداد ہوسکتا ہے - یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بقایا کے سلسلہ میں کسانوں کے مکانات اور جائداد ہراج کردیجائیگی وغیرہ - جیسے دوسری سہولتیں کسانوں کو دیگئی ہیں اوسی طرح کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ وصولی قرضہ کے سلسلہ میں بھی رعایتیں ملحوظ رکھیگا - سود کی رقم بڑھگئی ہے تو اوس کے لئے احکامات موجود ہیں اونکے لحاظ سے عمل ہوگا - میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنریبل ممبرس کو اس سلسلہ میں احکامات کا علم ہوتا تو ان اعتراضات کی نوبت نہ آتی - ایک آسامی قرضے کی وصولی کے سلسلہ میں کسان کو مجبور کرسکتا ہے کیونکہ وہ انڈیجول (Individual) کا مفاد ہوتا ہے - یہاں یہ بات نہیں ہے - سوسائٹی قرضہ دیتی ہے اور سوسائیٹی ہی قرضہ وصول کرتی ہے - یہ کاشتکاروں کی سوسائٹی ہے - کاشتکاروں کے سرمایہ کی سوسائیٹی ہے - اسلئے میں کہونگا کہ یہ اعتراضات صحیح نہیں ہیں اسلئے میں خواہش کرتا ہوں کہ فرسٹ ریڈنگ (First reading) منظور کی جائے -

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a first time."

The motion was adopted.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

The motion was adopted.

Shri Devisingh Chowhan : I beg to move :

(*a*) "That in the marginal note to Section 66-C, omit 'and revision'."

(*b*) "For lines 42 and 43, substitute 'be final'."

(*c*) "Omit lines 44 and 56".

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Govindrao More (Kandhar-General) *:* I beg to move :

"That after line 35, add :

'(2) Notwithstanding anything contained in section 60 or 66-A of the Act, the Registrar may, of his own motion, or on the application of any party to the execution proceedings pending with the Civil Court of the Revenue Authorities as the case may be, transfer the execution application at any stage and start execution either by himself or by any officer subordinate to him empowered in that behalf'."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I accept both the amendments.

Clause 2.

Mr. Speaker : The question is :

"That Clause 2 as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker : The question is :

"That Short title, Commencement, and Preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Short title, Commencement, and Preamble were added to the Bill.

Shri Bhagwant Rao Gadhe : I beg to move :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

Mr. Speaker : The question is :

"That L. A. Bill No. XXIX of 1954, the Hyderabad Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

The motion was adopted.

Statement regarding the accident to the G.T. Express on 27th September, 1954

Shri V. D. Deshpande : Mr. Speaker, Sir, I request the hon. the Chief Minister to make a statment.....

The Chief Minister (Shri B. Ramakrishna Rao) : Sir, I am on my legs.
میں بہت بڑے حادثے کے بارے میں کچھ اطلاعات ھاؤس کے سامنے رکھنا چاھتا ھوں ۔

Mr. Speaker : The Chief Minister has information, I think, covering upto 2 p.m. today.

**Shri B. Ramakrishna Rao :* Yes, till 2 or 2-30 p.m.

دو ڈھائی بجے تک جو واقعات گزرے انکی کچھ تفصیلات ھاؤس کے سامنے آنریبل ھوم منسٹر نے بیان کئے ھیں ۔ اوسکے بعد کے واقعات میں ھاؤس کے سامنے رکھنا چاھتا ھوں مقام واردات سے میں ابھی آدھ گھنٹہ پہلے آیا ھوں ۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپٹو دی لاسٹ منیٹ (Up-to-the last minute) نہیں تو کم سے کم اوس وقت تک کے واقعات کا خلاصہ بیان کروں جب میں وھاں سے نکلا ۔

واقعہ یہ ھے کہ کل رات کو یہاں سے جو (۳۱۹) نمبر کی ٹرین (Train) نکلی تھی سوا گیارہ بجے جنگاؤں اور رگھوناتھ پلی کے درمیان اوسکے پانچ کیاریجس (Carriages) بہتی ھوئی ندی میں گر گئے جو دو تین تالابوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ بہہ رھی تھی ۔ پچھلا اور اگلا کیاریج بچ گیا ۔ باقی کیاریجس ندی میں گر گئے جسکی وجہ سے کئی آدمی ھلاک ھو گئے ۔ چند کیاریج آدھے پون میل تک بہہ گئے ۔ انکے پرخچے اڑ گئے ۔ اونکے دروازے کہیں تو فیان (Fan) کہیں ندی کی ریت میں دھنس گئے تھے ۔ اندازہ لگایا جاتا ھے کہ کل اس ٹرین سے پانچ سو مسافر گئے تھے ۔ معلوم ھوا ھے کہ پیچھے جو ڈبہ تھا اور سامنے انجن کے قریب جو ڈبہ تھا دونوں بچ گئے ۔ ایک ڈبہ تو ندی کے اندر ڈھلا ھوا تھا اور اس میں جو پیسنجرس تھے وہ کچھ گھنٹوں تک لٹکتے رھے ۔ یہ ایک ایسا حادثہ ھے جو حالیہ زمانہ میں کم از کم ھمارے اسٹیٹ کی حد تک نہیں پیش آیا تھا ۔ اس حادثہ کی وجہ سے جو ھلاکتیں ھوئیں اون کا صحیح اندازہ تو میں کچھ نہیں بتلاسکتا لیکن آرمی کے لوگ اور کچھ دوسرے

لوگ پیچھے کے ڈبہ میں تھے وہ بچ گئے اور ایک تھرو کیاریج (Through carriage) جو دلی کے لئے تھا اور جو سامنے لگا ہوا تھا اوس میں کے کچھ لوگ بھی بچ گئے - دو کیاریج کے لوگ بچ گئے باقی سب کیاریجس ندی میں بہہ گئے - اون میں سے اکثر لوگوں کی موت واقع ہوگئی - جو لوگ بچ گئے اور جو لوگ زخمی ہوگئے اون کی تعداد حاصل کیگئی قریب قریب ۴۵ یا ۵۰ آدمی زخمی ہوئے تھے اون کو وہاں پر فوری مدد دی گئی - مقامی ڈاکٹر واقعہ کے آدھ گھنٹے کے بعد ھی پہنچ گئے - چونکہ رات کا وقت تھا وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی - چوطرف تاریکی تھی - لیکن پھر بھی جو مدد دی جا سکتی تھی ، دی گئی - حیدرآباد میں جب اس حادثہ کی اطلاع ملی تو آر - ٹی - ڈی پولیس - اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے جن عہدہ داروں کی ضرورت تھی وہ یہاں سے چلے گئے - اور وہاں پر انہوں نے کام شروع کیا - سب سے پہلا کام یہ تھا کہ نعشوں کی تلاشی کی جائے اور جو لوگ ابھی زندہ موجود تھے اون کے زخموں کا علاج کیا جائے - جہاں تک میری معلومات ھیں ساڑھے تین بجے تک (۷۳) نعشیں برآمد ہوئی تھیں - اور نعشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ھے - سرچ پارٹیز لگائی گئی ھیں - حیرت کی بات یہ ھے کہ وہ ندی بالکل چھوٹی ھے - مگر کل رات اوس میں اسٹارمی واٹر (Stormy water) تھا چنانچہ نعشیں دس میل تک بہہ گئیں - بعض جگہ سات سات میل تک مواضعات میں نعشیں ملی ھیں - اون کے لانے کے لئے ٹرکس بھیجے گئے - اور سرچ پارٹیز بھی بھیجی گئیں - تاکہ ندی کے کورس پر دس دس اور بارہ بارہ میل تک نعشوں کا پتہ لگایا جائے - کل رات جو لوگ سفر کر رہے تھے اون کے عزیز و اقارب کو جب اطلاع ملی تو وہ موٹروں لاریوں اور بسوں میں مقام حادثہ پر پہنچے - بعض عزیز و اقارب کو نعشیں ملیں - اور بعض لوگ زندہ بھی ملے - ساڑھے تین بجے تک (۷۳) نعشیں برآمد ہوئی تھیں - اور خطرہ یہ ھے کہ اور بہت سی نعشیں برآمد طلب ھیں - اون کی تلاشی کا سلسلہ جاری ھے - چند زخمیوں کا علاج جنگاؤں هسپتال میں کیا گیا ھے - اور چند زخمیوں کو بشمول آر سی کے لوگوں کے حیدرآباد بھیجدیا گیا ھے تاکہ عثمانیہ هسپتال میں زخمی شدہ لوگوں کا علاج کیا جاسکے - جو نعشیں برآمد ہوئیں اور جن کو اون کے عزیز و اقارب نے آئڈنٹیفائی (Identify) کرلیا ھے وہ ان کے حوالے کی گئیں اور وہ اون کو لیکر گئے - لیکن جن لوگوں کے عزیز و اقارب نہیں پہنچے یا جن کو لوگ ابھی تک آئڈنٹیفائی نہیں کرسکے اون کو عثمانیہ هسپتال میں بھیجدیا گیا ھے - جیسے جیسے نعشیں برآمد ہو رہی ھیں ویسے ویسے اون کو عثمانیہ هسپتال بھیجا جا رہا ھے تاکہ اون کے عزیز و اقارب اون کو شناخت کرکے لے جا سکیں - مجھے اس حادثہ کا بڑا ھی سخت افسوس ھے - میں خود وہاں پر بعض لوگوں کے ساتھ پہنچا - ریوینیو منسٹر شری رنگا ریڈی - ڈاکٹر چنا ریڈی - شریمتی سنگم لکشمی بائی اور اس هاؤس کے کئی آنریبل ممبرس بھی تشریف لائے تھے - ان سب لوگوں نے اوس حادثہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا - میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا دردناک واقعہ کم از کم اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا - میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں کہہ سکتا - یہ ایسی

مصیبت آئی ھے جس کا روکنا ہمارے اختیار میں نہ تھا - ساری کوششیں جو مسافرین کے عزیز و اقارب کو مدد دینے کے لئے کرنا چاہئے تھی کی جارھی ھیں - ایک اور واقعہ بھی ہوا ھے - صبح آلیر کے پاس جو ریلوے پل تھا اوس کا اسپان ٹوٹ گیا - اور اس پر جو ریلوے پٹری تھی وہ علحدہ ھو کر معلق ھو گئی ھے - اور پل کا جو کھم تھا وہ بھی گر گیا ھے - اور ٹرین کا آنا جانا بالکل بند ھو گیا ھے - جہاں جہاں پل درست نہیں ھیں وھاں ریلوے کا آنا جانا رک جائیگا یا یہ کہ جب ریلوے کمیونیکیشنس (Communications) جاری ھوں تو ٹرانشپمنٹ (Transhipment) بھی ھوسکیگا - میں نے سنا ھے کہ سنٹرل ریلوے کے جنرل مینجر شری سلڈانہ پلین (Plane) کے ذریعہ پہنچ گئے ھیں اور کرین وغیرہ طلب کرکے جو کیاریجیس دھنسے ھوئے ھیں اور جن میں نعشیں ھیں اون کو نکالنے کی کوشش کی جا رھی ھے - آئی - جی - پی اور کلکٹر بھی موقع پر موجود ھیں - اور کوششیں کر رھے ھیں کہ کرین آنے کے پہلے انسانی مدد سے ان کو نکالا جائے لیکن مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ھے - اس وجہ سے کہ ریت کے اندر کیاریجس کا کچھ حصہ دھنس گیا ھے - آلیر میں جس طرح پل گر گیا ھے ویسا حادثہ ایک اور بھی ہوا ھے - جس کا تعلق اس سے نہیں لیکن اوس حادثہ سے بھی میں بہت متاثر ھوا - بھونگیر اسکول کے تقریباً (۴۲) طلبا اور ٹیچرس اس واقعہ کو سنکر اون کی مدد کرنے کے لئے ٹرک کے ذریعہ بھونگیر سے روانہ ھوئے - وہ لوگ آلیر کے قریب پہنچے تھے کہ اون کی ٹرک الٹ گئی - (۴۲) آدمی زخمی ھوئے اون میں سے تقریباً (۹) آدمیوں کو فریکچر (Fracture) آگیا ھے - جن میں طلباء اور ٹیچرس دونوں بھی شامل ھیں - وہ سب بھونگیر کے دواخانہ میں ھیں - واپسی میں میں اون کو بھی دیکھتا ہوا چلا آیا - غرض یہ کہ کچھ برے واقعات میرے نصیب میں دیکھنا تھے میں نے دیکھے - میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو بھی واقعات کی اطلاع دوں - حکومت کی طرف سے اون مسافروں کے عزیز و اقارب کی اطلاع کے لئے ایک پریس کمیونکے بھی جاری کیا گیا ھے - اور ریڈیو پر بھی اعلان کیا جاوھا ھے - اس کا بھی اھتمام کیا گیا ھے کہ جن لوگوں کو مالی مدد کی ضرورت ھے اون کو مالی امداد حکومت کی طرف سے دی جائے - ہمارے ریھیبیلیٹیشن سکرٹری شری نگیندر بہادر کو مجاز گردانا گیا ھے کہ مسافروں کے جو ڈسٹی ٹیوٹ عزیز و اقارب ھیں وہ اگر آئیں تو اون کی مدد کی جائے - چنانچہ اس کا ریڈیو سے اعلان ھونے والا ھے - چنانچہ یہ واقعات ھیں جن کو میں بیان کرنا مناسب سمجھا - وھاں آئی - جی - پی موجود ھیں - میں نے اون سے کہا ھے کہ جو مزید ھدایات وہ حاصل کرنا چاھتے ھیں ڈائرکٹلی کنٹیکٹ (Directly contact) کرکے مجھ سے یا ھوم منسٹر سے ھدایات حاصل کریں - جس ریلیف کی بھی ضرورت ھے اوس کے متعلق حکومت کی طرف سے جلد از جلد کام کیا جا رھا ھے - ٹرکس کا بھی انتظام ھو چکا ھے - ملٹری کی بھی مدد گئی ھے - ریڈ کراس کی امبولنس کاریں بھیجی گئیں ھیں - اور طبابت کی جانب سے بھی لوگ گئے ھیں - اور خود حیدرآباد اور سکندرآباد اور جنگاؤں وغیرہ سے لوگ کثرت سے آرھے ھیں - اور وھاں کے سٹیزنس بھی

مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں - یہ واقعات ہیں جن کو میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہاؤس کے سامنے پیش کر رہا ہوں - مجھے یقین ہے کہ پورا ہاؤس اس حادثہ پر اپنے افسوس کا اظہار کریگا - اور میرے جذبات میں شامل رهیگا - اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ اون مہلوکین کے پسماندگان کو تعزیت ادا کرنے میں بھی ہاؤس میرے ساتھ شریک ہوگا - یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگیا ہے جو بالکل ہمارے بس کے باہر تھا - سوائے اس کے کہ ہم اون مہلوکین کے پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور اون کی ضرورتوں کو پورا کریں اور کوئی دوسرا چارہ ہمارے پاس نہیں -

श्री व्ही. डी. देशपांडे :– जो वाकयात हमारे स्टेट के अंदर हुअे हैं अुनकी वजाहत चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी की है। जो वाकया गुजरा है वह दर्दनाक है, अफ़सोसनाक है। बहुत दुःख की बात है कि अितने लोग अिस मौके पर अपनी जान खो गये और जखमी हुवे। अुनके बारे मे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ख्यालात जाहिर किये अुनके साथ में अपनी पार्टी की तरफ से सहमत हूं। ओर अुन लोगों के दुःख में शामिल हूं। साथ साथ मैं अुम्मीद करता हूं कि जो लोग बचे हैं अुनको हर तरीके से अिमदाद मिले और आयंदा अैसे वाकयात पेश न आयें। अितना ही अिस सिलसिले में कहते हुअे अुनके बारे में जो ख्यालात चीफ मिनस्टर साहब की तरफ से जाहिर किये गये और जो कन्डोलन्सेस (Condolences) अॉफर (Offer) किये गये हैं अुनका मैं भी अिजहार करना चाहता हूं।

* شری کے - اننت ریڈی (بالکنڈ) :—جو درد ناک اور افسوسناک واقعہ بیان کیا گیا ہے اوس کے تعلق سے لیڈر آف دی ہاؤس نے جو اظہار رنج و غم کیا ہے اوس میں ہم بھی اون کے ساتھ شریک ہیں - یہ جو واقعہ تھا قدرتی تھا ظاہر ہے کہ جس پر کسی کو قابو نہیں تھا - اس واقعہ کی وجہ سے جن لوگوں کو جانی و مالی نقصان ہوا اون کے پسماندگان کو جو صدمہ ہوا اوس صدمہ میں اس ہاؤس کے آنریبل ممبرس بھی شریک ہیں -

مسٹر اسپیکر :— ابھی جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں اس میں میں بھی آپ لوگوں کا شریک ہوں - دوپہر کو ہم نے جو واقعات سنے وہ خود کافی دردناک تھے - اب اس میں یہ اور بھی اضافہ ہوگیا ہے کہ جس لاری میں بچے مدد کے لئے جا رہے تھے وہ بھی الٹ گئی - اور اون کو بھی حادثہ پیش آیا - اوس کے علاوہ ایک اور پل بھی ٹوٹ گیا ہے - غرض کافی نقصانات ہوئے ہیں - ہاؤس میں اس سلسلہ میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں اون میں میں بھی شریک ہوں -

*Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker, Sir, before the House is prorogued, I wish to point out one thing.

सेशन खास तौर से लेजिस्लेशन (Legislation) के लिये बुलाया गया था, और अिसमें दो तीन अहम बिल्स हमारे सामने आये हैं। हैदराबाद के अंदर जो मुख्तलिफ अिन्स्टीट्यूशन्स (Institutions) हैं अुनको डेमोक्रेटाअिज (Democratise) करने के लिये दो-तीन बिल यहां पेश किये गये थे। डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड बिल सिलेक्ट कमेटी से

हमारे सामने आया और हम अुम्मीद कर रहे थे कि अिसी सेशन के अंदर अुसको पास कर दिया जायगा। अिसी तरह से म्युनिसीपल और टाअुन कमेटीज अैक्ट को अेक अक्सरियत से तशकील देते हुअे हाअुस के सामने पेश किया गया। कार्पोरेशन के सिलसिले में भी अेक बिल हाअुस के सामने आया है और अुसमें सिकंदराबाद और हैदराबाद को अेक करना था या नहीं अिसके बारे में हुकूमत की पार्टी के अंदर दो रायें हो गअी हैं और शायद अिसीलिये वह बिल हमारे सामने नहीं आ सका। वजूहात कुछ भी हो लेकिन मुझे आपके तवस्सुत से हुकूमत के सामने यही रखना है कि हैदराबाद की मुख्तलिफ अिन्स्टीटयूशन्स को डेमोक्राटाअिज करने का जो मसला है वह पोस्टपोन (Postpone) हो गया है और गये दो ढाअी साल में अिन अिन्सटीटयूशन्स के अिलेक्शन के सिलसिले में जो दिक्कतें आ रही हैं अुनको अिसी सेशन में दूर नहीं किया जा सका। मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि कम से कम अिस वक्त अिन बिलों की फर्स्ट रीडिंग कि जाय और सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय लेकिन वह कोशिश नाकारा हुअी। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि यह जो डेमोक्रटायजेशन (Democratisation) का प्रोसेस (Process) है वह हैदराबाद में देरी से आया है और अधिक देरी में अुसको डालना मुनासिब नहीं है। अिसलिये मुझे यह कहना है कि अगर जरूरी हो तो अेक स्पेशल सेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिल्स के लिये नवंबर या दिसेंबर में तीन हफ्ते के लिये बुलाया जा सकता है। अैसा करना मुनासिब होगा, चूंकि आज असेंब्ली खतम होने का अिमकान है अिसलिये अिस तरफ के लोगों का जो आम ख्याल है वह मैं हाअुस के सामने रखना चाहता था।

अेक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जिसे मैंने अिसके पहले भी अर्ज किया था कि सेशन की जो तारीख होती है अुसकी अित्तला हमें काफी पहले मिलनी चाहिये, ताकि हमें सवाल आदि भेजनें में सुविधा हो। हाअुस ऑफ दी पिपल में यह प्रॅक्टिस (Practice) है कि अुनकी सेशन की डेट तीन या चार महिने पहले से तय कर दी जाती है। अुसी तरह हमारे यहां भी अगर काफी पहले से यह डेट मुकर्रर की जाय तो मुनासिब होगा। अब जब सेशन होगा तब अुसके डेट्स (Dates) काफी पहले अनाअुन्स (Announce) होने चाहिये, यही मेरा सजेशन (Suggestion) है।

Prorogation of the Assembly

Mr. Speaker : The last announcemnet I have to make is about the prorogation of the Assembly A Message has been received from the Rajprmukh which reads :

"In exercise of the powers conferred by sub-clause (*a*) of clause (2) of Article 174 with Article 238 of the Constitution, I, Mir Osman Ali Khan, Rajpramukh of Hyderabad. do hereby prorogue the House of the Legislature of the Hyderabad State with effect from 29th Sepetmber, 1954"

The Assembly is prorogued accordingly.